



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 488]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 1, 2010/भाद्र 10, 1932

No. 488]

NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 1, 2010/BHADRA 10, 1932

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 सितम्बर, 2010

सा.का.नि. 722(अ).—पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006 (2006 का 19) के खंड 61 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस बोर्ड एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाते हैं अर्थात् :—

1. लघु शीर्ष और प्रारंभण

- (i) इन विनियमों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन को बिछाने, निर्माण, प्रचालन या विस्तार करने के लिए कंपनियों को प्राधिकृत करना) विनियम, 2010 कहा जाएगा।
- (ii) ये विनियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं

- (i) इन विनियमों में जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो—
 - (क) 'अधिनियम' का अर्थ है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006;
 - (ख) 'निर्धारित दिन' का अर्थ है वह तारीख 1 अक्टूबर, 2007 जब केन्द्र सरकार ने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड की स्थापना को अधिसूचित किया था।
 - (ग) 'बोर्ड' का अर्थ है अधिनियम के खण्ड 3 के उप-खण्ड (1) के अन्तर्गत स्थापित पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड।
 - (घ) 'पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन' का अर्थ है पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन विकास, निर्माण, प्रचालन या विस्तार करना;
 - (ङ) पेट्रोलियम, पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन का 'आर्थिक जीवनकाल' पच्चीस वर्ष की अवधि के लिए होगा जो निम्नलिखित से प्रारम्भ होगा।

- (i) यदि कोई कंपनी निर्धारित दिवस को या उसके बाद पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन बिछाने, निर्माण या विस्तार करने का प्रस्ताव करती है तो बोर्ड द्वारा कंपनी को प्राधिकार देने की तारीख;
- (ii) यदि किसी कंपनी ने नियम तारीख को या उससे पहले नियत दिन से पहले पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन बिछाने, निर्माण या विस्तार करने के वास्तविक कार्यकलापों को शुरू करने तारीख तथा कंपनी ने नियत तारीख से पहले केन्द्र सरकार से प्राधिकार लिया हो या इन विनियमों के अंतर्गत बोर्ड से प्राधिकार प्राप्त किया हो।

बशर्ते कि पच्चीस वर्ष की उपर्युक्त अवधि के समाप्त होने पर बोर्ड द्वारा इन विनियमों के अंतर्गत सेवा बाध्यताओं के संतोषजनक अनुपालन के आधार पर और ऐसी निबंधन एवं शर्तों पर, जो उस समय उपर्युक्त समझी जाएं, पर दस वर्ष के ब्लॉक के लिए आर्थिक जीवनकाल अवधि को बढ़ाने पर विचार किया जाए।

- (च) "पाइपलाइन का विस्तार" का अर्थ है संबंधित विनियमों के अंतर्गत बोर्ड द्वारा निर्धारित अनुसार पाइपलाइन की क्षमता में वृद्धि किए बिना मौजूदा पाइपलाइन या ब्रांच लाइन का किसी अन्य भौगोलिक स्थान से पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पादों के परिवहन के लिए किसी भी दिशा में पाइपलाइन की लम्बाई बढ़ाने से है;
- (छ) "पाइपलाइन का क्षमता विस्तार" का अर्थ पंपिंग क्षमता, पंपिंग स्टेशन या लूप लाइनों को जोड़ने जैसी अतिरिक्त सुविधाओं की स्थापना के कारण अपनी पहले प्राधिकृत क्षमता के बाद मौजूदा पाइपलाइन की क्षमता बढ़ाना है। पाइपलाइन के विस्तार में मौजूदा पाइपलाइन का किसी भी दिशा में विस्तार करना है जब तक कि इससे पाइपलाइन की क्षमता में विस्तार होता हो और उस स्थिति में इसे पाइपलाइन का क्षमता विस्तार माना जाएगा न कि विस्तार;
- (ज) "लाइन संतुलन टैंकों" का अर्थ उन मध्यवर्ती पेट्रोलियम उत्पाद टैंकों से है जिन्हें एक या अधिक कंपनियों की दो या अधिक पाइपलाइनों के किसी समान बिंदु पर पाइपलाइनों को परिवर्तित करने या जोड़ने पर उपलब्ध कराए जाने अपेक्षित होते हैं ताकि उत्पाद के बैच आकार या प्रवाह दरों, या दोनों में संतुलन बनाया जा सके;
- (झ) "पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन" का अर्थ पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पादों के परिवर्तन के लिए ब्रांच या स्पर लाइनों सहित किसी पाइपलाइन से है जिसमें सभी संबद्ध ढांचे शामिल हैं, जैसे पंप, मीटर इकाइयां, मूल पर भण्डारण सुविधाएं, सुपुर्दगी, टैप ऑफ प्वाइंट या टर्मिनल स्टेशन तथा इसी तरह सामान्य वाहकों या ठेका वाहकों से जुड़ी पाइपलाइनें, जिनमें आमेलित इंटरफेस के लिए अपेक्षित संतुलित टैंकों और टैंकेज शामिल होते हैं, जो पाइपलाइन प्रणाली के प्रचालन के लिए अनिवार्य होते हैं लेकिन उनमें वे पाइपलाइनें शामिल नहीं हैं जो किसी विशिष्ट ग्राहक

को पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति के लिए समर्पित होती हैं, जो पुनः बिक्री के लिए नहीं हैं।

बशर्ते कि ट्रांसपोर्टर गैर-विभेदक आधार पर ऐसी संबंधित सुविधाओं को स्वयं, किराए पर, बाहरी स्रोत या मेजबानी आधार पर प्रयोग करे;

- (ज) "पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस पाइपलाइन प्रशुल्क" का अर्थ पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पादों के परिवहन के लिए किसी पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन (सांविधिक कर और शुल्क को छोड़कर) के लिए प्रशुल्क की इकाई दर या पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पादों के परिवहन के लिए प्रति मीट्रिक टन प्रति किलो मीटर (रुपए/मी०टन/कि०मी०) रुपए में तथा पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन के लिए प्रशुल्क के निर्धारण के उद्देश्य से बोर्ड अधिनियम की धारा 22 के प्रावधानों द्वारा निर्देशित होगा;
- (च) "मूल पंप स्टेशन" का अर्थ अपेक्षित फ्लूड दबाव बनाने के लिए पाइपलाइन प्रणाली के शुरू में स्थापित सुविधाओं से है ताकि पाइपलाइन प्रणाली में वांछित प्रवाह दरों को प्राप्त किया जा सके;
- (छ) "मध्यवर्ती पंप स्टेशन" का अर्थ प्रारंभिक स्थल और टर्मिनल प्वाइंट के बीच किसी स्थल पर स्थित स्थापना से है ताकि वांछित प्रवाह दर प्राप्त करने के लिए फ्लूड के दबाव को बढ़ाया जा सके;
- (ज) "टैप ऑफ प्वाइंट (टीओपी)" का अर्थ पाइपलाइन सुविधा से है जहां से पेट्रोलियम उत्पादों को किसी सुपुर्दगी टर्मिनल या स्पर लाइन या अन्य पाइपलाइन में अपवर्तित किया जाता है और इसे मध्यवर्ती सुपुर्दगी स्टेशन भी कहा जाएगा;
- (झ) "टर्मिनल स्टेशन" का अर्थ पाइपलाइन के अंत में उत्पादों को प्राप्त करने की सुविधा से है और इसमें पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पादों के भण्डारण के लिए टैंकें शामिल होंगे;
- (ण) "असफल कंपनी" का अर्थ उस कंपनी से है जो बोली में तो शामिल होती है लेकिन प्राधिकार प्राप्त करने में सफल न हो सकी हो;
- (ट) "शिपर" का अर्थ उस कंपनी से है जिसमें वह उपभोक्ता शामिल हो जो पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पादों के पारेषण के लिए पाइपलाइन में क्षमता का उपयोग करना चाहता हो;
- (2) इन विनियमों में प्रयुक्त शब्द और अभिव्यक्तियाँ, जिन्हें इन विनियमों में परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन अधिनियम या उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों और

विनियमों में परिभाषित किया गया है, का अर्थ वही होगा जो अधिनियम में उनके लिए दिया गया है।

3. प्रयोज्यता

ये विनियम उस कंपनी पर लागू होंगे :

- (क) जो एलपीजी और एलएनजी सहित एक या अधिक पेट्रोलियम उत्पादों का परिवहन करने के लिए पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन को बिछाने, निर्माण, प्रचालन या विस्तार कर रहा है या इन्हें बिछाने, निर्माण, प्रचालन या विस्तार करने का प्रस्ताव है; या
- (ख) जो यह प्रस्ताव करता है या जिसे बोर्ड द्वारा पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति के लिए किसी समर्पित या ठेका वाहक पाइपलाइन को किसी सामान्य या ठेका वाहक पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन जैसी भी स्थिति हो, में परिवर्तित करने का निदेश दिया गया हो,

4. बोर्ड द्वारा रुचि की अभिव्यक्ति या स्व-प्रेरणा के माध्यम से प्रस्ताव का प्रारंभ

- (1) पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन बिछाने, निर्माण, प्रचालन या विस्तार करने की इच्छुक कोई कंपनी बोर्ड को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (शुल्क और अन्य प्रभारों की वसूली) विनियम, 2007, जिसे बोर्ड द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया गया है, के अंतर्गत निर्दिष्ट आवेदन शुल्क के साथ अनुसूची 'क' पर दिए गए प्रपत्र पर रुचि की अभिव्यक्ति प्रस्तुत करेगी।
- (2) बोर्ड किसी मार्ग के लिए पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन बिछाने, निर्माण, प्रचालन या विस्तार करने के लिए किसी कंपनी के चयन की प्रक्रिया में भाग लेने के लिए कंपनियों को आमंत्रित करने का कोई प्रस्ताव स्व-प्रेरणा के आधार पर प्रारंभ कर सकता है।

5. अभिव्यक्ति की रुचि मार्ग के लिए कंपनी के चयन हेतु मानदण्ड

- (1) यदि अभिव्यक्ति की रुचि न्यूनतम पात्रता मानदण्ड और उप-विनियम 6 की आवश्यकता सूची को पूरा करती है तो बोर्ड कम से कम एक राष्ट्रीय और एक क्षेत्रीय दैनिक समाचार-पत्र (बेबसाईट में डालने सहित) में खुला विज्ञापन जारी करेगा जिसमें रुचि की अभिव्यक्ति की पावती और तीस दिनों की सार्वजनिक परामर्श अवधि प्रारम्भ की जाएगी;
- (2) सार्वजनिक परामर्श प्रक्रिया की अवधि के दौरान, कोई व्यक्ति, प्राधिकारी या कंपनी बोर्ड को रुचि की अभिव्यक्ति पर अपने विचार, यदि कोई हों लिखित में दे सकती है;
- (3) बोर्ड उन कंपनियों, जो पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन के विकास में रुचि रखती हों, के साथ विभिन्न कंपनियों द्वारा क्षमता बुकिंग के लिए संभावित ठेके प्राप्त करने के लिए

प्राप्त सभी टिप्पणियों को वेब पर डालेगा ताकि विनियम 7 में उल्लिखित अनुसार बोली प्रक्रिया के जरिए बड़े आकार के पेट्रोलियम और उत्पाद पाइपलाइन की सुविधा उपलब्ध कराई जा सके

- (4) बोर्ड प्राप्त विचारों के आधार पर सार्वजनिक परामर्श अविधि के अंतिम दिन के बाद तीस दिनों की अवधि में यह निर्णय लेगा कि :-

(क) प्रस्तावित पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन की अनुमति न दी जाए यदि वह इस बात से संतुष्ट हो कि प्रस्तावित पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन की बजाय अनुमानित संभावित मांग को मौजूदा पाइपलाइन के विस्तार या अन्य किसी आधार पर विस्तार द्वारा किफायती ढंग से पूरा किया जा सकता हो; या

(ख) प्रस्ताव पर संशोधन सहित या उसके बिना कार्रवाई की जाए;

बशर्ते कि बोर्ड ऐसा निर्णय लेते समय एक या अधिक निम्नलिखित उद्देश्यों द्वारा निर्देशित हो, नामतः:

- (i) कंपनियों में प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना;
- (ii) व्यर्थ निवेश करने से बचना;
- (iii) देश भर में पेट्रोलियम उत्पादों को बनाए रखना या आपूर्तियां बढ़ाना या एक समान वितरण या पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना;
- (iv) उपभोक्ता के हितों को सुरक्षित रखना;
- (v) पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन ढांचे का शीघ्र विकास करना।

- (5) बोर्ड उप-विनियम (4) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन के विकास के प्रस्ताव को कम से कम एक राष्ट्रीय समाचार पत्र और एक स्थानीय समाचार पत्र (वेब पर डालने सहित) में विज्ञापन प्रकाशित करेगा और इसके लिए बोलियां आमंत्रित करेगा।

- (6) बोर्ड उस विज्ञापन के प्रत्युत्तर में प्राप्त हुई केवल उन प्रविष्टियों की संवीक्षा करेगा जो निम्नलिखित न्यूनतम पात्रता मानदण्ड पूरा करते हों - अर्थात् :-

(क) कंपनी ने बोर्ड द्वारा यथासंशोधित पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (शुल्क और अन्य प्रभारों की वसूली) विनियम, 2007 के विनियम 3 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट अनुसार ट्रंक लाइनों के लिए विनिर्दिष्ट अनुसार आवेदन-सह-बोली सहित आवेदन शुल्क अदा किया हो।

(ख) कंपनी निम्नलिखित पात्रता मानदण्डों के अनुसार पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन बिछाने और निर्माण करने में तकनीकी रूप से सक्षम हो अर्थात्:-

- (i) कंपनी ने इससे पूर्व संचयी आधार पर स्वयं या विभागीय तौर पर या उसके द्वारा किराए पर लिए गए ठेकेदारों के माध्यम से कम से कम 300 किलोमीटर लम्बी हाइड्रोजन पाइपलाइन या नगर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क बिछाया हो या निर्माण किया हो;
- (ii) कंपनी का किसी अन्य कंपनी (उस कंपनी के साथ कम से कम 11% की इक्विटी धारिता हो) के साथ संयुक्त उद्यम हो जिसने पूर्व में संचयी आधार पर या नगर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क पर कम से कम तीन सौ किलोमीटर लम्बी हाइड्रोकार्बन पाइपलाइन या सीजीडी नेटवर्क बिछाई हो या निर्माण किया हो।
- (iii) कंपनी तकनीकी रूप से सक्षम एक या अधिक फर्मों, जिन्होंने पूर्व में संचयी आधार पर कम से कम तीन सौ किलोमीटर लम्बी हाइड्रोकार्बन पाइपलाइन या नगर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क बिछाया हो या निर्माण किया हो, के माध्यम से एकमुश्त टर्नकी या परियोजना प्रबंधन परामर्शी आधार पर प्रस्तावित पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन बिछाने और निर्माण करने की इच्छुक हो और ऐसी कंपनी ने अपनी तकनीकी क्षमता के उपर्युक्त प्रमाण सहित उन फर्मों की सूची भी संलग्न की होगी।

बशर्ते कि वह कंपनी परियोजना निष्पादन के समय उन फर्मों में से फर्मों का चयन करने के लिए स्वतंत्र होगी और बोर्ड को सूची में शामिल की गई फर्मों के प्रत्यय-पत्रों का सत्यापन करने का और कोई स्पष्टीकरण लेने का अधिकार होगा; या

- (iv) कंपनी के पास हाइड्रोकार्बन पाइपलाइनों का निर्माण करने, प्रारंभण-पूर्व और प्रारंभण कार्यों के तकनीकी रूप से अनुभवी पर्याप्त संख्या में कार्मिक हों और एकल आधार पर पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन को स्वतंत्र रूप से प्रारम्भ करने और निष्पादित करने की क्षमता हो।

स्पष्टीकरण - कंपनी के पास कम से कम तीन तकनीकी रूप से योग्य स्थायी कार्मिक हों जिन्हें निम्नलिखित क्षेत्रों में काम करने का न्यूनतम एक वर्ष का अनुभव हो- अर्थात्:-

(क) अधिग्रहण और स्वीकृति प्राप्त करने का अधिकार;

(ख) हाइड्रोकार्बन पाइपलाइन परियोजना का डिजाइन और निष्पादन;

- (ग) हाइड्रो-परीक्षण सहित प्रारम्भण-पूर्व कार्य और पुनः प्राप्ति; और
- (घ) हाइड्रोकार्बन पाइपलाइन और स्थापनाओं की सुरक्षा;
- (ग) कंपनी निम्नलिखित पात्रता मानदण्डों के अनुसार पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन का प्रचालन और अनुरक्षण करने के लिए तकनीकी रूप से सक्षम हो, अर्थात:-
- (i) कंपनी को स्वयं संचयी आधार पर कम से कम तीन सौ किलोमीटर लम्बे पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन का प्रचालन और अनुरक्षण करने का न्यूनतम एक वर्ष का अनुभव हो;
- (ii) कंपनी को ऐसे किसी अन्य कंपनी के संयुक्त उद्यम में (उस कंपनी में कम से कम 11 प्रतिशत की शेयरधारिता) पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन का प्रचालन और अनुरक्षण करने का न्यूनतम एक वर्ष का अनुभव हो; या
- (iii) कंपनी किसी अन्य पार्टी, जिसे पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन के प्रचालन और अनुरक्षण का न्यूनतम एक वर्ष का अनुभव हो, के साथ न्यूनतम एक वर्ष के उपयुक्त तकनीकी सहायता समझौते के माध्यम से प्रस्तावित पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन का प्रचालन और अनुरक्षण करने की इच्छुक हो; या
- (iv) कंपनी के पास पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन के प्रारम्भण और प्रचालन तथा अनुरक्षण (ओ एण्ड एम) में तकनीकी रूप से योग्य कार्मिक हों और उनके पास एकल आधार पर पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन के प्रचालन और अनुरक्षण कार्यकलाप स्वतंत्र रूप से करने की विश्वसनीय योजना भी हो।

स्पष्टीकरण -

1. उप-खण्ड (iii) के संबंध में -

- (क) कंपनी अपनी आवेदन-सह-बोली में उन प्रस्तावित फर्मों, जिसके साथ मिलकर वह तकनीकी सहायता करार करने की इच्छुक है, के संगत प्रमाण और विश्वसनीय योजनाओं सहित पूरी सूची देगी और कंपनी प्रस्तावित पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन का प्रचालन और अनुरक्षण करने के लिए इस सूची में से किसी एक या एक से अधिक फर्म का चयन कर सकती है और बोर्ड को इस सूची में शामिल फर्मों के प्रत्यय-पत्रों का सत्यापन करने और किसी प्रकार का स्पष्टीकरण लेने का अधिकार है।

2. उप-खण्ड (iv) के संबंध में कंपनी के पास तकनीकी रूप से योग्य न्यूनतम तीन स्थायी कार्मिक हों जिन्हें निम्नलिखित क्षेत्रों में कार्य करने का न्यूनतम एक वर्ष का अनुभव हो, अर्थात्:-

- (क) हाइड्रोकार्बन पाइपलाइनों का प्रारम्भण,
- (ख) पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइनों का प्रचालन और अनुरक्षण तथा पेट्रोलियम उत्पाद स्थापनाएं;
- (ग) वाणिज्यिक और परिवहन प्रबंधन मुद्दे जिनमें मूल्य-निर्धारण, मापन, लेखाकरण, बिलिंग और संग्रहण शामिल हो; या
- (घ) पेट्रोलियम उत्पाद अवसंरचनाओं की सुरक्षा;
- (घ) कंपनी प्रस्तावित पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन को निष्पादित करने, प्रचालन करने और उसका अनुरक्षण करने में वित्तीय रूप से सुदृढ़ स्थिति में हो और एकल पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन के लिए बोली लगाने हेतु निम्नलिखित वित्तीय मानदण्डों को पूरा करती हो, अर्थात्:-

ब्रांच लाइनों (किलोमीटर में) (#) सहित अनुमानित पाइपलाइन लंबाई की श्रृंखला	प्रवर्तकों के कम्फर्ट पत्र द्वारा समर्थित एकल पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन में निवेश के लिए उपलब्ध प्रवर्तकों सहित कंपनी की न्यूनतम संयुक्त निवल सम्पत्ति (*) (अनुमानित पाइपलाइन लंबाई के प्रति किलोमीटर मिलियन रुपए में)
1,001 और अधिक	7.00
251-1000	6.00
250 तक	5.00

- (*) संयुक्त निवल सम्पत्ति (साम्या शेयर पूंजी और मुक्त आरक्षित लेकिन पुनर्मूल्यांकित आरक्षित निधि को छोड़कर) में पर्याप्त नकद निधि- हो जो पूरक वित्त के रूप में उपलब्ध हो और कंपनी तथा उसके प्रवर्तकों की नवीनतम वित्तीय स्थिति पर सनदी लेखाकार द्वारा प्रमाणित परियोजना में प्रवर्तकों के इक्विटी अंशदान के रूप में हो।
- (#) 0.50 किलोमीटर से कम दो दशमलव में लम्बाई के विभाजक की अनदेखी की जाए तथा 0.50 किलोमीटर या अधिक के बराबर को अगले 1 किलोमीटर तक पूर्णांकित किया जाना चाहिए,

- (ड.) कंपनी यदि कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पंजीकृत कंपनी नहीं है तो सफल बोलीदाता के रूप में घोषित किए जाने पर वह कम्पनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पंजीकृत कम्पनी बन जाएगी;
- (च) कंपनी की प्रस्तावित पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन में क्षमता उपयोग की योजना है;
- (छ) कंपनी नीचे दर्शाई गई लागू श्रेणी के अनुसार प्रस्तावित पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पादों की लाइन के अनुसार निर्धारित राशि को उप-विनियम (7) के अंतर्गत आवेदन-सह-बोली प्रस्तुत करने सहित बैंक गारंटी के रूप में एक बोली बांड प्रस्तुत करेगी :-

ब्रांच लाइनों सहित पाइपलाइन की लंबाई (किलोमीटर में) (#)	बोली ब्रांड की राशि (मिलियन रुपए में)
1,001 के बराबर या अधिक	150
251 और 1000 के बीच	80
250 से कम या उसके बराबर	20

- (#) 0.50 किलोमीटर से कम दो दशमलव में लम्बाई के विभाजक की अनदेखी की जाए तथा 0.50 किलोमीटर या अधिक के बराबर को अगले 1 किलोमीटर तक पूर्णांकित किया जाना चाहिए,
- (ज) बोली प्रस्तुत करने वाली कंपनी पर अधिनियम के अध्याय IX के अन्तर्गत कोई दण्ड या धारा 28 के अन्तर्गत कोई शास्ति नहीं लगाई गई हो।
- (झ) कंपनी निम्नलिखित आधार पर पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पादों में अतिरिक्त क्षमता निर्माण के लिए सहमत हो, अर्थात् :-
- (ञ) कंपनी निम्नलिखित आधार के अनुसार पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन में अतिरिक्त क्षमता बनाने के लिए सहमत है:-
- (ii) पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन की क्षमता निम्नलिखित का पूर्णयोग होगी, नामतः:-
- (क) कंपनी की क्षमता आवश्यकताएं;
- (ख) अन्य कंपनियों के साथ सुनिश्चित ठेकागत क्षमता; और
- (ग) अतिरिक्त क्षमता के रूप में (क) और (ख) के योग का कम-से-कम पच्चीस प्रतिशत।

स्पष्टीकरण -

बोर्ड द्वारा क्षमता को पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन की क्षमता निर्धारित करने के लिए संगत विनियमों को विनिर्दिष्ट आधार के अनुसार अनुमोदित किया जाएगा।

- (ii) उप-खण्ड (i) की मद (ग) में उल्लिखित क्षमता किसी तृतीय पक्षकार द्वारा खुली पहुंच और गैर-विभेदक आधार पर सामान्य वाहक के रूप में उपयोग के लिए उपलब्ध होगी;
- (ज) यदि बोली प्रस्तुत करने वाली कंपनी खण्ड (क) से (ज) तक में दिए गए मानदण्ड की अपेक्षाओं को पूरा नहीं करता है तो उसके द्वारा प्रस्तुत की गई बोली को अस्वीकृत कर दिया जाएगा और उसे इस आशय की सूचना दी जाएगी और उस कंपनी की वित्तीय बोली नहीं खोली जाएगी।
- (ट) बोली बांड -
 - (i) का नकदीकरण कराया जाएगा, यदि बोली प्रस्तुत करने वाली कंपनी, बोली छोड़कर चली जाती है।
 - (ii) बोली प्रस्तुत करने वाली असफल रही कंपनी के मामले में बोली बांड निर्मुक्त कर दिया जाएगा।
 - (iii) सफल बोलीदाता द्वारा प्राधिकार के समय निर्धारित निष्पादन बांड प्रस्तुत किए जाने तक बोली बांड को रोक लिया जाएगा।
- (7) आवेदन-सह-बोली अनुसूची 'ग' में निर्दिष्ट प्रपत्र पर दो भागों में अलग-अलग सीलबंद लिफाफों में प्रस्तुत की जाएंगी जिस पर स्पष्ट रूप से यह लिखा होना चाहिए:-
 - (क) भाग-। (तकनीकी बोली) जिसमें उप-विनियम (6) के अन्तर्गत (न्यूनतम पात्रता मानदण्ड सहित) कंपनी का सामान्य विवरण और परियोजना का तकनीकी ब्यौरा शामिल है।
 - (ख) भाग-।। (वित्तीय बोली) विनियम-10 के अन्तर्गत आने वाले वित्तीय ब्यौरे।
- (8) पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन बिछाने, निर्माण, प्रचालन और विस्तार करने के लिए प्राधिकार प्रदान करने के लिए आवेदन-सह-बोली प्रस्तुत करने के लिए एक सौ बीस दिनों का समय देना और अधिसूचित तारीख के बाद प्राप्त होने वाले किसी आवेदन-सह-बोली पर विचार नहीं किया जाएगा। तथापि, बोर्ड बोली प्रस्तुत करने की तारीख को जैसा उचित समझे, बढ़ा सकता है।
- (9) बोर्ड विज्ञापन के जरिए बोली प्रस्तुत करने की तारीख को एक माह तक की अवधि के लिए उप-विनियम (5) के अन्तर्गत दिए हुए तरीके से मूल विज्ञापन के प्रत्युत्तर में केवल एक ही आवेदन-सह-बोली प्राप्त होने में अवधि बढ़ाने की तरह ही बढ़ा सकता है।

6. पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन बिछाने, निर्माण करने, प्रचालन करने या विस्तार करने के लिए बोर्ड द्वारा आमंत्रण

बोर्ड रुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) की प्रस्तुति या चयन की प्रक्रिया में भागीदारी द्वारा, खुले विज्ञापन द्वारा किसी विशिष्ट क्षेत्र, प्रांत या मार्ग में पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन के विकास के संबंध में दृष्टिकोण बनाकर रुचि रखने वाली पार्टियों को स्वयं आमंत्रित कर सकता है, और ऐसे मामले में विनियम 5 में विनिर्दिष्ट अनुसार प्रक्रिया लागू होगी।

7. बोली मानदण्ड

(1) बोर्ड प्राधिकार के प्रस्तावों पर विचार करते समय नीचे दिए गए बोली मानदण्डों के अनुसार न्यूनतम पात्रता मानदण्ड पूरा करने वाली सभी वित्तीय बोलियों की सूची तैयार करेगा और उनकी तुलना करेगा-

(क) पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन के लिए इस खण्ड के अंतर्गत निर्धारित इकाई पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन प्रशुल्क बोली तथा बोली के प्रयोजनार्थ पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन प्रशुल्क (रुपए/मी०टन) के मौजूदा मूल्य में कमी पाइपलाइन के प्रचालन के प्रारम्भ होने की तारीख से दस वर्ष की अवधि के लिए होगी। बोर्ड दस वर्ष के बाद प्रशुल्क की समीक्षा करेगा और तत्पश्चात् संभावित आधार पर पांच वर्ष के ब्लॉक के लिए निर्धारित करेगा।

प्रशुल्क की बोली प्रत्येक दस वर्ष के लिए लगाई जाएगी।

इसे पचास प्रतिशत की तरजीह दी जाएगी।

(ख) पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन के लिए इस खण्ड के अंतर्गत परिवर्तन इकाई पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन प्रशुल्क बोली तथा बोली के प्रयोजनार्थ पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन प्रशुल्क (रुपए/मी०टन/कि.मी.) के मौजूदा मूल्य में कमी पाइपलाइन के प्रचालन के प्रारम्भ होने की तारीख से दस वर्ष की अवधि के लिए होगी। बोर्ड दस वर्ष के बाद प्रशुल्क की समीक्षा करेगा और तत्पश्चात् संभावित आधार पर पांच वर्ष के ब्लॉक के लिए निर्धारित करेगा।

प्रशुल्क की बोली प्रत्येक दस वर्ष के लिए लगाई जाएगी।

इसे बीस प्रतिशत की तरजीह दी जाएगी।

(ग) परियोजना की आर्थिक आय की तुलना में पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन में पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद के परिवहन के लिए सृजित किए जाने वाली प्रस्तावित पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन क्षमता (एमएमटीपीए) के मौजूदा मूल्य की अधिकता। पाइपलाइन में पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पादों के परिवहन के लिए पेट्रोलियम

और पेट्रोलियम उत्पादों का परिवहन करने के लिए पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन क्षमता बोली पच्चीस वर्ष की अवधि के लिए होगी। मौजूदा मूल्य की गणना ऐसे चरण-वार, वर्ष-वार क्षमता निर्माण के लिए की जाएगी।

इसे तीस प्रतिशत तरजीह दी जाएगी।

- (2) उप-विनियम (1) के (क) से (ग) खण्डों के मानदण्ड में मौजूदा मूल्य की गणना कंपनी द्वारा बारह प्रतिशत के बराबर छूट दर का प्रयोग करके की जाएगी। पहले वर्ष के अंत में सभी उपचित सामग्रियों या प्रशुल्क, अर्थात् प्रथम वर्ष के प्रशुल्क या क्षमता पर छूट नहीं दी जाएगी। दूसरे शब्दों में पहले वर्ष के छूट कारक को एकता के रूप में लिया जाएगा।
- (3) उप-विनियम के खण्ड (क) से (ख) के अंतर्गत पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन प्रशुल्क के लिए बोली तथा कंपनी द्वारा उप-विनियम (1) के खण्ड (ग) के अंतर्गत मात्रा परियोजना की अनुमोदित डीएफआर में कंपनी द्वारा लगाए गए अनुमानों के अनुरूप होगी।
- (4) उप-विनियम (1) के खण्ड (क) से (ग) के अंतर्गत तथा अनुसूची ग में उल्लिखित अनुसार मानदण्ड पर विचार करते हुए अधिकतम मिश्रित अंक वाली कंपनी को बोली में सफल घोषित किया जाएगा।

8. निष्पादन बांड

- (1) अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (1) तथा धारा 19 के अंतर्गत बोर्ड द्वारा प्राधिकरण प्रदान करने के परंतुक में उल्लिखित अनुसार केन्द्र सरकार के प्राधिकार की स्वीकृति कंपनी को उसके द्वारा कार्यान्वयनाधीन परियोजनाओं के लिए अनुमानित परियोजना लागत के 1% या पूरी की गई परियोजनाओं के लिए परियोजना पूंजीकृत लागत का 1% के बराबर राशि, जो लगभग लाख रुपए या बीस करोड़ रुपए, जो भी कम हो, तक पूर्णांकित का निष्पादन बांड प्रस्तुत करने पर जारी की जाएगी और यह विनियम 4, 17, 18 या 19 के अंतर्गत प्राधिकृत सभी पाइपलाइनों पर लागू होंगे।

बशर्ते कि यदि पाइपलाइन क्षमता का उसकी प्राधिकृत क्षमता के पचास प्रतिशत से अधिक तक विस्तार किया जाता है तो निष्पादन बांड को वृद्धि के अनुपात में बढ़ाया जाएगा और निकटतम लाख रुपए तक पूर्णांकित किया जाएगा बशर्ते कि अधिकतम कुल सीमा तीस करोड़ रुपए हो।

स्पष्टीकरण - विनियम 10 के अनुसार वित्तीय समापन पूरा होने पर यदि अनुमानित परियोजना लागत में परिवर्तन होता है तो निष्पादन बांड की राशि को उपर्युक्त आधार पर आवेदन करके संशोधित किया जाएगा और तत्पश्चात यह परियोजना पूंजीगत लागत पर आधारित होगा। जब कभी पाइपलाइन प्रणाली का क्षमता विस्तार या विस्तार होगा, संशोधित परियोजना पूंजीकृत लागत की गणना की जाएगी। निष्पादन बांड प्रारम्भ में तीन या पांच वर्ष तक के लिए वैध होंगे और उन्हें कंपनी द्वारा उचित तारीख से कम-से-कम एक माह पूर्व

परियोजना के आर्थिक जीवनकाल के अंत तक तीन या पांच वर्ष के अगले ब्लॉक के लिए कंपनी द्वारा नवीकृत किया जाएगा।

- (2) उप-विनियम (3) में निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार प्रस्तावित पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन समय पर प्रारम्भ करने और परियोजना के प्रचालन चरण के दौरान कम्पनी द्वारा सेवा बाध्यताओं को पूरा करने, जैसी भी स्थिति हो, के लिए गारंटी देने हेतु निष्पादन बांड निर्धारित किए गए हैं, जैसी स्थिति हो। निष्पादन बांड को बोर्ड द्वारा बोली प्रक्रिया के अंतर्गत विनियम 14(1) के अंतर्गत निर्धारित अनुसार उसी ढंग से सभी पाइपलाइनों के लिए भुनाया जाएगा
- (3) कंपनी को पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन परियोजना की स्थापना के लिए प्राधिकार की मंजूरी की तारीख से छत्तीस महीने की अधिकतम अवधि के लिए अनुमति दी जाएगी। तथापि, यदि बोर्ड का यह मत हो कि विलम्ब के कारण परियोजना कार्यान्वित करने वाली कंपनी के नियंत्रण से बाहर थे, तो बोर्ड सुनवाई के बाद कंपनी को उचित समय देने पर उपयुक्त दृष्टिकोण अपना सकता है, और परियोजना को चालू करने के लिए कुछ विस्तार अवधि, जैसी वह उपयुक्त समझे, प्रदान कर सकता है।

9. प्राधिकार देना

- (1) आशय-पत्र (एलओआई) वित्तीय बोली के खुलने की अंतिम तारीख से तीस दिनों की अवधि के अंदर चयनित कंपनी को जारी की जाएगी।
- (2) निष्पादन बांड प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख से तीस दिनों की अवधि के अन्दर अनुसूची-घ में दिए गए प्रपत्र पर चुनी गई कंपनी को प्राधिकार दिया जाएगा।
- (3) कंपनी विनियम 10 के अनुसार एक ठोस पेट्रोलियम उत्पाद समझौता करेगी और वित्तीय समापन प्राप्त करेगी।
- (4) कम्पनी को प्राधिकार देना इसे जारी करने की तारीख से तीन वर्षों की अवधि के दौरान किसी कंपनी को बिक्री, सौंपने, अंतरित करने या अभ्यर्थित करने के जरिए परित्याग करके नहीं दिया जाएगा। तथापि, कोई कंपनी जब तक वह प्रमुख भागीदार बना रहता है, नए भागीदार को शामिल कर सकती है।
- (5) तीन वर्षों की अवधि की समाप्ति के पश्चात किसी अन्य कंपनी के पक्ष में प्राधिकार का परित्याग करने की इच्छुक कम्पनी कम से कम तीस दिन पहले बोर्ड को एक प्रस्ताव प्रस्तुत करेगी और बोर्ड द्वारा मांगी गई समस्त जानकारी उपलब्ध कराएगी।
- (6) बोर्ड इस बात से स्वयं संतुष्ट होने के पश्चात कि पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन बिछाने, निर्माण करने, प्रचालन करने या विस्तार करने के मौजूदा या प्रस्तावित कार्यकलापों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा उस पूरे प्रस्ताव को या उचित

समझे जाने वाले संशोधनों के साथ स्वीकार करेगा और उस मामले में जहां कम्पनी को पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन बिछाने, निर्माण करने, प्रचालन करने या विस्तार करने के कार्यकलाप प्रारम्भ करने के लिए बोर्ड द्वारा अनुमति दी गई है, वह कम्पनी सेवा बाध्यताओं का अनुपालन करने और सेवा मानकों की गुणवत्ता का अनुसरण करने सहित प्राधिकार की मौजूदा या संशोधित निबंधन और शर्तों का पालन करेगी।

परन्तु यह कि बोर्ड को जनहित में प्रस्ताव को अस्वीकार करने का अधिकार होगा और ऐसे मामले में बोर्ड अस्वीकार करने के कारण लिखित रूप में देगा।

10. क्षमता बुकिंग, पेट्रोलियम उत्पाद अनुबंध और वित्तीय समापन

- (1) प्राधिकृत कंपनी सामान्य वाहक क्षमता के अलावा पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन को चालू करने के बाद प्रत्येक पहले पांच वर्षों के लिए विनियम 7 के उप-विनियम (1) के खण्ड (ग) में विचार की गई पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन के कम-से-कम पचास प्रतिशत के बराबर किसी कंपनी के साथ पेट्रोलियम उत्पादों के परिवहन के लिए समझौता कर सकती है।

- (2) उप-विनियम (1) के अंतर्गत उल्लिखित समझौते को पारदर्शी ढंग से लागू किया जाएगा और यह थोड़ी दूरी के सिद्धांत पर आधारित होगा :

बशर्ते कि यह उप-विनियम (1) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन में श्रृंखला क्षमता का दस प्रतिशत हो, को पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पादों की वास्तविक सुपुर्दगी पर बल दिए बिना दृढ़ और परस्पर सहमत शर्तों पर बुक किया जाए।

- (3) कंपनी बोर्ड को प्राधिकार जारी करने के एक सौ अस्सी दिन की अवधि उप-विनियम (1) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट समझौते [समझौता शीर्ष (एचओए)] समझौता-जापन (एमओयू) की प्रति प्रस्तुत करेगी।
- (4) प्राधिकृत कंपनी प्राधिकरण की तारीख से एक सौ अस्सी दिनों की अवधि के अंदर बैंक या वित्तीय संस्थान से परियोजना की वित्तीय समाप्ति प्राप्त करेगी।
- (5) आंतरिक वित्त-पोषित परियोजना के मामले में कंपनी, प्राधिकरण के एक सौ बीस दिनों के अंदर परियोजना की विस्तृत व्यवहार्यता रिपोर्ट (आगे से डीएफआर के रूप में उल्लेख किया जाएगा) तथा अपनी वित्तीय योजना के संबंध में अपने निदेशक मंडल का अनुमोदन प्रस्तुत करेगी :

बशर्ते कि बोर्ड, कंपनी को वित्तीय समाप्ति पर अन्य कोई ब्यौरा या स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के लिए कहे।

- (6) यदि कंपनी उप विनियम (1) से (5) तक की आवश्यकताओं को पूरा करने में असफल रहती है तो कंपनी को प्रदत्त पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन बिछाने, निर्माण, प्रचालन या विस्तार करने का प्राधिकार रद्द कर दिया जाएगा और निष्पादन बंधपत्र को भुना लिया जाएगा तथा बोर्ड को पारदर्शी ढंग से पुनः प्राधिकार देने का अधिकार होगा, और कंपनी को इसके लिए बोर्ड से कोई मुआवजा प्राप्त करने या समाधान करने का कोई अधिकार, जो कोई भी हो, नहीं होगा।

11. पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन प्रशुल्क का निर्धारण और रिकवरी

- (1) पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन प्रशुल्क को विनियम 7 के उप-विनियम (1) के मानदण्ड (क) से (ख) के अंतर्गत कंपनी द्वारा बोली के अनुसार प्रवेश/निकास बिंदु आधार पर निर्धारित किया जाएगा।
- (2) उप-विनियम (1) में विनिर्दिष्ट आधार पर विभिन्न टीओपी के लिए निर्धारित पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन प्रशुल्क को कंपनी द्वारा तदनुसार विभिन्न प्रशुल्क क्षेत्र में स्थित ग्राहकों से वसूला जाएगा।
- (3) लागू पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन पाइपलाइन प्रशुल्क को बिना किसी प्रीमियम के गैर-विभेदक आधार पर बीजक के जरिए वसूल किया जाएगा। इस प्रकार पाइपलाइन के लिए लगाई गई बोली का प्रशुल्क अधिकतम सीमा प्रशुल्क होगा। कंपनी गैर-विभेदक आधार पर प्रशुल्क बोली से कम का प्रभार लेने के लिए स्वतंत्र होगी।
- (4) प्राधिकृत कंपनी से मौजूदा ग्राहकों के साथ हुए करार उल्लिखित अनुसार सुपुर्दगी योग्य दबाव आवश्यकता में सुधार किए बिना अपनी विस्तृत व्यवहार्यता रिपोर्ट (आगे से डीएफआर के रूप में उल्लेख किया जाएगा) के अनुसार तथा सुरक्षा मानकों सहित तकनीकी मानक, विशिष्टियों के लिए संगत विनियमों के अनुसार हर समय पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन में प्रचालन दबाव या प्रवाह को बनाए रखने की अपेक्षा की जाती है।

बशर्ते कि प्राधिकृत कंपनी अतिरिक्त पंपिंग प्रभार का अलग से प्रभार लेगी जो ऐसे ग्राहक, जिसे अनुबंध में परिभाषित अनुसार तथा डीएफआर में परिकल्पित अनुसार पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन की प्रचालन दबाव रूपरेखा के बाद किसी विशिष्ट सुपुर्दगी योग्य दबाव पर पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति की जानी है उप-विनियम (1) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट अनुसार पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन में शामिल नहीं होगा।

12. पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन में क्षमता का विस्तार

कंपनी दस प्रतिशत अतिरिक्त मात्रा का परिवहन कर सकती है या पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन में दस प्रतिशत तक प्राधिकृत क्षमता का विस्तार कर सकती है, और बोर्ड को तत्काल उसका निर्णय सूचित कर सकती है:

बशर्ते कि पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन प्रशुल्क विस्तार के बाद कोई वृद्धि न हो।

- (2) यदि पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन की क्षमता का बोर्ड द्वारा प्राधिकृत क्षमता की तुलना में दस प्रतिशत से अधिक क्षमता का विस्तार किए जाने का प्रस्ताव हो, तो कंपनी बोर्ड के समक्ष एक प्रस्ताव प्रस्तुत करेगी और बोर्ड पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन में क्षमता विस्तार की अनुमति दे सकता है बशर्ते कि कंपनी विस्तार से पूर्व लागू इकाई पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन तथा परिवहन की जाने वाली वृद्धि मात्रा के आधार पर परिकल्पित प्रस्तावित वृद्धि शुल्क राजस्व के पचास प्रतिशत शेयरिंग द्वारा पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन प्रशुल्क इकाई में कमी करने के लिए सहमत हो।

स्पष्टीकरण: प्रस्तावित वृद्धि शुल्क राजस्व के पचास प्रतिशत शेयरिंग का उपयुक्त प्रावधान दस वर्ष की बोली अवधि के लिए लागू होगा।

बशर्ते कि बोर्ड दस वर्ष की अवधि के बाद प्रशुल्क की समीक्षा करेगा और तत्पश्चात् संभावित आधार पर पांच वर्ष का ब्लॉक निर्धारित करेगा। बोली की अवधि के बाद किसी विस्तार के लिए संगत विनियमों के प्रावधानों के अनुसार बोर्ड को प्राधिकरण के लिए प्रस्तुत की जाएगी।

13. प्राधिकरण-उपरांत कार्यकलापों की निगरानी (स्थापना-पूर्व)

- (1) प्राधिकृत कंपनी तिमाही आधार पर प्राप्त अनुमोदनों, प्राप्त लक्ष्यों, किए गए व्यय, चल रहे कार्य तथा अन्य संगत सूचना से संबंधित प्रगति रिपोर्ट का ब्यौरा अनुसूची-ड. पर दिए गए प्रपत्र में भरकर उपलब्ध कराएगी।
- (2) बोर्ड प्रत्यक्ष रूप से या अनुमोदित तृतीय पक्ष एजेंसी के जरिए कंपनी से पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन की सुरक्षित स्थापना और प्रचालन और रखरखाव सुनिश्चित करने के लिए स्थापना-पूर्व चरण के दौरान तथा उसके बाद वर्तमान आधार पर तकनीकी और सुरक्षा लेखा-परीक्षा के जरिए सुरक्षा मानकों सहित तकनीकी मानकों और विशिष्टियों के लिए संगत विनियमों द्वारा अनुपालन सुनिश्चित करेगा।
- (3) बोर्ड पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन के मार्ग में परिवर्तन कर सकता है बशर्ते कि ऐसे मार्ग परिवर्तन से पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन की लम्बाई पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन की प्राधिकृत लम्बाई के दस प्रतिशत से अधिक न हो;

बशर्ते कि पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन प्रशुल्क प्राधिकरण के अनुसार समान हो।

- (4) बोर्ड पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन परियोजना के संबंध में विभिन्न लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कंपनी की प्रगति की निगरानी करेगा, और कोई अपवर्तन या कमी पाए जाने पर कंपनी को उसकी उपचारात्मक कार्यवाही की सलाह देगा।

14. प्राधिकृत कंपनी की सेवा बाध्यताएं (स्थापना-उपरांत)

- (1) कंपनी बोली में उदघृत पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पादों की मात्रा के बराबर पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पादों का परिवहन करने के लिए वार्षिक लक्ष्य को पूरा करेगी और इस संबंध में तिमाही आधार पर वास्तविक प्रगति की निगरानी करेगी:

बशर्ते कि कंपनी द्वारा वार्षिक लक्ष्य को पूरा न करने पर चूक मानी जाएगी और निष्पादन बांड को निम्नलिखित आधार पर भुना लिया जाएगा, नामतः -

(क) पहली बार चूक होने पर :

- क. पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पादों के परिवहन के वार्षिक लक्ष्य के दस प्रतिशत तक की चूक के लिए निष्पादन बांड की राशि का दस प्रतिशत;
- ख. पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पादों के परिवहन के वार्षिक लक्ष्य के दस प्रतिशत से अधिक पचास प्रतिशत तक की चूक के लिए निष्पादन बांड की राशि का बीस प्रतिशत;
- ग. पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पादों के परिवहन के वार्षिक लक्ष्य के पचास प्रतिशत से अधिक तक की चूक के लिए निष्पादन बांड की राशि का पच्चीस प्रतिशत;

(ख) दूसरी बार चूक होने पर :

- क. पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पादों के परिवहन के वार्षिक लक्ष्य के दस प्रतिशत तक की चूक के लिए निष्पादन बांड की राशि का बीस प्रतिशत;
- ख. पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पादों के परिवहन के वार्षिक लक्ष्य के दस प्रतिशत से अधिक पचास प्रतिशत तक की चूक के लिए निष्पादन बांड की राशि का चालीस प्रतिशत;
- ग. पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पादों के परिवहन के वार्षिक लक्ष्य के पचास प्रतिशत से अधिक तक की चूक के लिए निष्पादन बांड की राशि का पचास प्रतिशत;

(ग) तीसरी बार चूक होने पर निष्पादन बांड की राशि का शत प्रतिशत:

बशर्ते आगे यह कि कंपनी राशि भुनाए जाने के सप्ताह के अंदर खण्ड (क) से (ग) में प्रत्येक मामले में निष्पादन बांड की भुनाई गई राशि की पूर्ति करेगा और यदि यह आवश्यकता पूरी नहीं की जाती है तो प्राधिकरण रद्द कर दिया जाएगा।

- (2) प्राधिकृत कंपनी स्वयं या अपनी सहायक कंपनियों से किसी शिपर, जो पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद को पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन में परिवर्तित करने का इच्छुक हो, से पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पादों के स्रोत के लिए कोई शर्त नहीं लगाएगा।
 - (3) प्राधिकृत कंपनी पाइपलाइन क्षमता के अधिकतम उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए सामान्य वाहक या ठेका वाहक आधार पर पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन में उपलब्ध क्षमता का व्यापक प्रचार-प्रसार करेगा तथा इस संबंध में सूचना को पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइनों के लिए पहुंच संहिता पर संगत विनियमों में विनिर्दिष्ट अनुसार अपनी सरकारी वेबसाइट पर डालेगा।
 - (4) सामान्य वाहक के रूप में प्रयोग के लिए पहुंच संहिता पर संगत विनियमों में विनिर्दिष्ट आधार पर आबंटित की जाएगी तथा पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन में उपलब्ध क्षमता संविदा वाहक या सामान्य वाहक के रूप में पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन की घोषणा की जाएगी।
 - (5) प्राधिकृत कंपनी पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन के प्रचालन चरण सहित आवेदन-सह-बोली को प्रस्तुत करने और उसके बाद से ही संबंध आचार-संहिता के लिए संगत विनियमों के अंतर्गत प्रावधानों का सख्ती से पालन करेगी।
 - (6) प्राधिकृत कंपनी जब कभी बोर्ड द्वारा निर्णय लिया जाए, पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन से परिवहन होने वाले पेट्रोलियम उत्पादों के वितरण या विपणन के कार्यकलापों से पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन में परिवहन के कार्यकलाप को बनाए रखने की आवश्यकता का पालन करेगी।
 - (7) प्राधिकृत कंपनी स्थापना-पूर्व चरण के दौरान चालू आधार पर बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट या निर्देशित अंतराल पर स्वतंत्र तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा तकनीकी और सुरक्षा लेखा-परीक्षा कराने के लिए जिम्मेदार होगी और तत्पश्चात् सुरक्षा मानकों सहित तकनीकी मानकों और विशिष्टियों के लिए संगत विनियमों के साथ अनुपालन सुनिश्चित करेगी और लेखा-परीक्षा रिपोर्ट तथा निष्कर्षों को कंपनी द्वारा बोर्ड को उसकी समीक्षा और उपचारी कार्रवाई, यदि कोई हो, की सलाह के लिए प्रस्तुत किया जाएगा।
 - (8) तृतीय पक्षकार तकनीकी और सुरक्षा लेखा-परीक्षा संगत विनियमों के अनुपालन में अनुमोदित पैनल या बोर्ड में पंजीकृत स्वतंत्र तकनीकी विशेषज्ञों या प्रोद्गवन एजेंसियों द्वारा कराया जाएगा।
15. सेवा मानकों की गुणवत्ता

- (1) पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन बिछाने, निर्माण, प्रचालन या विस्तार करने वाली कंपनी को अनुसूची च में विनिर्दिष्ट अनुसार सेवा मानकों की गुणवत्ता का अनुपालन अवश्य करना चाहिए।
- (2) सेवा मानकों की गुणवत्ता का अनुपालन करने में कंपनी के कार्य-निष्पादन का बोर्ड द्वारा समय-समय पर आकलन किया जाएगा तथा इनकी न्यूनतम निर्धारित बैचमार्क से तुलना की जाएगी तथा कार्य-निष्पादन का स्तर न्यूनतम निर्धारित बैचमार्क से कम पाए जाने पर विनियम 16 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट अनुसार कार्रवाई की जा सकती है।

16. चूक के परिणाम और प्राधिकार प्रक्रिया का रद्द किया जाना

प्राधिकृत कंपनी इन विनियमों में विनिर्दिष्ट सभी निबंधन और शर्तों का पालन करेगा और इसमें विनियम 14 के उप-विनियम (1) के अंतर्गत सेवा बाध्यता की चूक और प्रतिकूल परिस्थितियों को छोड़कर ऐसा करने में असफल रहने पर निम्नलिखित प्रक्रिया के अनुसार कार्रवाई की जाएगी, अर्थात्:-

- (क) बोर्ड दोषी कंपनी को विनियमों के अंतर्गत उसकी बाध्यताओं को पूरा करने के लिए उसे उपयुक्त समय देते हुए एक नोटिस जारी करेगा;
- (ख) यदि कंपनी द्वारा बोर्ड को संतुष्ट करते हुए निर्धारित अवधि में सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है तो आगे कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।;
- (ग) सुधारात्मक कार्रवाई करने में असफल रहने पर बोर्ड निम्नलिखित आधार पर कंपनी के कार्य-निष्पादन बंधपत्र को भुना सकता है, अर्थात्:-
 - (i) पहली चूक होने पर कार्य-निष्पादन बंधपत्र की राशि में पच्चीस प्रतिशत की कटौती; और
 - (ii) दूसरी चूक होने पर कार्य-निष्पादन बंधपत्र की राशि में पचास प्रतिशत की कटौती:

बशर्ते कि कंपनी राशि के भुनाए जाने के एक सप्ताह के अंदर उप-खण्ड (i) और (ii) के प्रत्येक मामले में कार्य-निष्पादन बंधपत्र की पूर्ति कर देगी, ऐसा न करने पर कार्य-निष्पादन बंधपत्र की बकाया राशि को भी भुना लिया जाएगा और कंपनी का प्राधिकार रद्द कर दिया जाएगा।
- (iii) तीसरी बार चूक होने पर कार्य-निष्पादन की एक सौ प्रतिशत राशि भुना ली जाएगी तथा कंपनी का प्राधिकार रद्द कर दिया जाएगा;
- (घ) किसी प्राधिकार को रद्द करने को लागू करने की प्रक्रिया अनुसूची-छ में उपलब्ध कराए गए अनुसार होगी;

(ड.) बोर्ड बिना किसी पूर्वाग्रह के खण्ड (क) से (घ) में विनिर्दिष्ट अनुसार अधिनियम के अध्याय IX के अंतर्गत अपराध और दण्ड के लिए निर्धारित अनुसार कार्रवाई करने के अलावा अधिनियम की धारा 28 के अनुसार सिविल दण्ड भी लगा सकता है।

17. निर्धारित तारीख से पूर्व पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन नेटवर्क बिछाने, निर्माण, प्रचालन या विस्तार करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा प्राधिकृत कंपनियां।

(1) कंपनी अनुसूची ज में दर्शाए गए फार्म में सहायक दस्तावेजों सहित संगत सूचना प्रस्तुत करेगा।

(2) कंपनी संबंधित विनियम के अंतर्गत विनिर्दिष्ट अनुसार सुरक्षा मानकों और सेवा मानकों की गुणवत्ता सहित तकनीकी मानकों और विशिष्टियों के लिए संगत विनियमों का पालन करेगी।

(3) बोर्ड पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन बिछाने, निर्माण या विस्तार करने के कार्यकलापों में कंपनी द्वारा की स्थापना की अवधि के संदर्भ में की गई वास्तविक प्रगति, परियोजना के डीएफआर में विनिर्दिष्ट लक्ष्यों, और अधिक समय या लागत लगने से बचने को देखते हुए प्राधिकरण की निबंधन एवं शर्तों, जो पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन शुल्क पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती हैं, की तिमाही आधार पर निगरानी करेगा;

बशर्ते कि पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन की स्थापना में किसी विलंब या प्राधिकरण में विनिर्दिष्ट लक्ष्य के बाद किसी लक्ष्य को पूरा करने में हुए किसी विलंब के मामले में बोर्ड को निम्नलिखित कार्रवाई करने का अधिकार होगा -

(क) खण्ड (5) में विनिर्दिष्ट अनुसार पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन प्रशुल्क को निर्धारित करते समय अधिक समय लगने के कारण अतिरिक्त लागत पर विचार न करे; या

(ख) निष्पादन या बैंक गारंटी, यदि कोई हो, को भुना ले और केन्द्र सरकार को प्राधिकार रद्द करने के लिए सलाह दे।

(4) बोर्ड कंपनी द्वारा लिए जाने वाले पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन प्रशुल्क को पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन प्रशुल्क के निर्धारण पर संगत विनियमों के अंतर्गत विनिर्दिष्ट अनुसार पद्धति के आधार पर अनुमोदन देगा।

(5) कंपनी के कार्यकलाप अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार लागू अनुसार ऐसे अन्य विनियमों के अधीन होंगे।

18. निर्धारित तारीख से पूर्व पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन बिछाने, निर्माण, प्रचालन या विस्तार करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा अप्राधिकृत कंपनियां।

- (1) निर्धारित तारीख से पूर्व किसी भी समय पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन नेटवर्क बिछाने, निर्माण, प्रचालन या विस्तार करने वाली कंपनी, जिसे केन्द्र सरकार द्वारा विधिवत प्राधिकृत न किया गया हो, अनुसूची-झ में दिए गए फार्म में प्राधिकार प्राप्त करने के लिए तत्काल आवेदन कर सकता है।
- (2) बोर्ड प्राधिकार प्रदान करने के लिए आवेदनपत्रों पर विचार करते समय निम्नलिखित मानदण्डों पर विचार करेगा, अर्थात्:-

(क) कंपनी निर्धारित तारीख से पूर्व विनियम 5 के उप-विनियम 6 के खण्ड (क) से (ड.) और (झ) में विनिर्दिष्ट अनुसार न्यूनतम पात्रता मानदण्ड पूरा करती हो तथा उसके पास सभी आवश्यक सांविधिक अनुमोदन, अनुमतियां, केन्द्र और राज्य सरकारों से अनापत्ति प्रमाण-पत्र तथा अन्य सांविधिक प्राधिकार हों;

(ख) कोई कंपनी, जो प्राधिकार प्रदान करने के लिए आवेदन प्रस्तुत करते समय कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पंजीकृत नहीं है, तो वह कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पंजीकृत नहीं है तो उसे कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत एक पंजीकृत कंपनी बनना होगा:

बशर्ते कि बोर्ड किसी कंपनी को कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पंजीकरण कराने की उन शर्तों, जिन्हें वह उपयुक्त समझता हो, से छूट दे सकता है;

(ग) परियोजना का वित्त-पोषण करने वाले वित्तीय संस्थान द्वारा मूल्यांकित कंपनी के डीएफआर की तुलना में निर्धारित तारीख से तत्काल पूर्व की गई वास्तविक भौतिक प्रगति तथा वित्तीय वचनबद्धता का संतोषजनक आकलन करना। यदि परियोजना का किसी वित्तीय संस्थान द्वारा वित्त-पोषित नहीं किया गया है तो बोर्ड डीएफआर का मूल्यांकन कर सकता है। किसी कंपनी की डीएफआर में प्रस्तावित पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन की लंबाई, मार्ग और क्षमता को स्पष्ट रूप से दर्शाया जाना चाहिए;

(घ) की गई वास्तविक भौतिक प्रगति तथा उसमें अंतर्निहित खण्ड (ग) में उल्लिखित वित्तीय वचनबद्धता के संबंध में निर्धारित तारीख से तत्काल पूर्व डीएफआर के अनुसार पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन परियोजना के लिए चयनित भौतिक प्रगति की कम से कम पच्चीस प्रतिशत तथा पूंजीगत व्यय की कम से कम पच्चीस प्रतिशत वित्तीय वचनबद्धता को पर्याप्त माना जा सकता है;

(ड.) बोर्ड को वास्तविक भौतिक प्रगति कराने और प्रमाणित वित्तीय वचनबद्धता प्राप्त करने का अधिकार होगा तथा प्राप्त प्रगति के आधार पर बोर्ड कंपनी को पेट्रोलियम

और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन बिछाने, निर्माण, प्रचालन या विस्तार करने के लिए प्राधिकार देने पर विचार कर सकता है -

- i) अपने डीएफआर में विनिर्दिष्ट मार्ग और लम्बाई के अनुसार;
- ii) नियत तारीख तक कार्यान्वयन के अंतर्गत वास्तव में शामिल मार्ग और लम्बाई के अनुसार; अथवा
- iii) बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट मार्ग और लम्बाई के अनुसार;

(च) पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन बिछाने, निर्माण, प्रचालन या विस्तार के संबंध में कंपनी को लागू तकनीकी मानकों, विशिष्टियाँ और सुरक्षा मानकों जिनमें सुरक्षा मानकों सहित तकनीकी मानक और विशिष्टियों के लिए संगत विनियमों में विनिर्दिष्ट अनुसार तकनीकी मानक, विशिष्टियाँ और सुरक्षा मानकों को पूरा करने की उनकी योग्यता के बारे में बोर्ड को संतुष्ट कराना होगा;

(छ) किसी वित्तीय संस्थान द्वारा किए गए मूल्यांकन के अनुसार पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन परियोजना का विकास करने संबंधी वित्तीय वचनबद्धता को समय पर और पर्याप्त रूप से पूरा करने के लिए किसी कंपनी की वित्तीय स्थिति;

(ज) पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन में क्षमता की बुकिंग कंपनी की निजी क्षमता आवश्यकताओं तथा सुदृढ़ ठेकागत क्षमता के योग के कम से कम पचास प्रतिशत के बराबर होनी चाहिए और इस संबंध में करार किए जाने चाहिए जो आसान पहुंच के सिद्धांत के आधार पर होने चाहिए।

(झ) कंपनी बोर्ड को खण्ड (ज) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट ठोस ठेकागत क्षमता के लिए पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन द्वारा पेट्रोलियम उत्पादों का परिवहन या आपूर्ति करने के लिए करार की प्रतियां प्रस्तुत करेगा; और

(ञ) आवेदन की जांच करने पर बोर्ड द्वारा संगत समझा गया अन्य कोई मानदण्ड।

- (3) मानदण्ड की मिश्रित प्रकृति और अंतर-संपर्कों पर समग्र रूप से विचार करते हुए उप-विनियम (2) के खण्ड (क) से (ञ) के अनुसार आवेदनपत्र का मूल्यांकन किया जाएगा।
- (4) बोर्ड उप-विनियम (3) के मानदण्डों के अनुसार आवेदन की जांच करने के बाद तथा अन्य विनियमों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए प्रथम दृष्टया दृष्टिकोण बना सकता है कि क्या मामले को प्राधिकार देने के संबंध में विचार किया जाना चाहिए।
- (5) प्रथम दृष्टया विचार करने के मामले में बोर्ड परियोजना का संक्षिप्त ब्यौरा देते हुए एक राष्ट्रीय और एक स्थानीय भाषा समाचारपत्र (वेब में डालने सहित) में एक सार्वजनिक

सूचना जारी करेगा तथा प्रस्ताव पर किसी व्यक्ति से तीस दिनों के अंदर टिप्पणियां और आपत्तियां, यदि कोई हों, प्राप्त करेगा।

- (6) बोर्ड टिप्पणियों और आपत्तियों, यदि कोई हों, की जांच करने के बाद उप-विनियम (5) के अंतर्गत पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन के लिए प्राधिकार देने के मामले पर या तो विचार कर सकता है अथवा उसे रद्द कर सकता है।
- (7) यदि प्राधिकार प्रदान करने का निर्णय लिया जाता है तो यह अनुसूची घ में दिए गए फार्म के अनुसार होना चाहिए;
- (8) आवेदन के रद्द होने की स्थिति में बोर्ड संबंधित पार्टी को उसकी स्थिति को स्पष्ट करने के लिए उचित अवसर प्रदान करने के बाद एक स्पीकिंग ऑर्डर पारित करेगा तथा विनियम 6 के अनुसार परियोजना के लिए किसी उपयुक्त कंपनी का चयन करने संबंधी आगे कार्रवाई करेगा।
- (9) यदि कंपनी को पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन बिछाने, निर्माण, प्रचालन या विस्तार करने का प्राधिकार देने के लिए चयन हो जाता है तो -

(क) पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन प्रशुल्क पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन प्रशुल्क का निर्धारण संगत विनियमों के अंतर्गत निर्धारित अनुसार होगा;

(ख) कंपनी तकनीकी मानकों और विशिष्टियों, जिसमें सुरक्षा मानक शामिल होंगे, के लिए संगत विनियमों के अंतर्गत विनिर्दिष्ट अनुसार सुरक्षा मानकों सहित तकनीकी मानकों, विशिष्टियों का पालन करेगी;

(ग) बोर्ड पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन बिछाने, निर्माण या विस्तार करने के कार्यकलापों में कंपनी द्वारा की स्थापना की अवधि के संदर्भ में की गई वास्तविक प्रगति, परियोजना के डीएफआर में विनिर्दिष्ट लक्ष्यों, और अधिक समय या लागत लगने से बचने को देखते हुए प्राधिकरण की निबंधन एवं शर्तों, जो पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन शुल्क पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती हैं, की तिमाही आधार पर निगरानी करेगा;

बशर्त कि पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन की स्थापना में किसी विलंब या प्राधिकरण में विनिर्दिष्ट लक्ष्य के बाद किसी लक्ष्य को पूरा करने में हुए किसी विलंब के मामले में बोर्ड को निम्नलिखित कार्रवाई करने का अधिकार होगा कि उप-विनियम (क) में विनिर्दिष्ट अनुसार पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन प्रशुल्क को निर्धारित करते समय अधिक समय लगने के कारण अतिरिक्त लागत पर विचार न करे; या

(घ) कंपनी पहुंच संहिता पर संगत विनियमों के अंतर्गत प्रावधानों का पालन करेगा और सामान्य वाहक या संविदा वाहक के रूप में पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइनों की घोषणा करेगा;

(ड.) कंपनी पर विनियम 8, 9, 13, 14, 15 और 16 में अंतरनिहित प्रावधान लागू होंगे।

19. पेट्रोलियम उत्पादों के परिवहन के लिए समर्पित पाइपलाइनों से संबंधित प्रावधान

(1) नियत दिन से पहले विद्यमान समर्पित पाइपलाइनों के संबंध में निम्नलिखित प्रावधान लागू होंगे, अर्थात् :-

- (क) नियत दिन से पहले किसी विशिष्ट ग्राहक को पेट्रोलियम उत्पादों का परिवहन करने के लिए समर्पित पाइपलाइन वाली कंपनी इन विनियमों की अधिसूचना के साठ दिनों के अंदर बोर्ड को परियोजना की डीएफआर के साथ पाइपलाइन की लंबाई, मार्ग, क्षमता और सेवा प्रदत्त ग्राहकों को ब्यौरा प्रस्तुत करेगी;
- (ख) बोर्ड यह पता लगाने के लिए कि क्या ऐसी पाइपलाइन को जन हित में पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन में परिवर्तित करने की आवश्यकता है, आम जनता की टिप्पणियां प्राप्त करने के लिए समर्पित पाइपलाइन का ब्यौरा वेब पर डालेगा;
- (ग) बोर्ड प्राप्त टिप्पणियों की जांच के आधार पर कंपनी को संपूर्ण जन हित में ऐसी पाइपलाइन को पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन में परिवर्तित करने का निर्देश देगी:

बशर्ते कि कंपनी को अपना मामला प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाए।

(घ) कंपनी बोर्ड को संपूर्ण ब्यौरा और औचित्य सहित अपनी समर्पित पाइपलाइन को पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन को परिवर्तित करने के प्रस्ताव को भी प्रस्तुत करेगा और बोर्ड यह पता लगाने के लिए कि क्या ऐसी पाइपलाइन को जनहित में पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन में परिवर्तित करने की आवश्यकता है, आम जनता की टिप्पणियां प्राप्त करने के लिए समर्पित पाइपलाइन का ब्यौरा वेबसाइट पर डालेगा, तथा प्राप्त टिप्पणियों की जांच के आधार पर तथा संपूर्ण जन हित में कंपनी को पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन में परिवर्तित करने के लिए प्राधिकार जारी करेगा।

(2) नियत दिन के बाद प्रस्तावित पाइपलाइन को बिछाने, निर्माण, प्रचालन या विस्तार करने के संबंध में निम्नलिखित प्रावधान लागू होंगे, अर्थात् :-

- (क) ऐसी कंपनी जो नियत दिन के बाद किसी विशिष्ट ग्राहक न कि पुनः बिक्री के लिए पेट्रोलियम उत्पाद के परिवहन के लिए समर्पित पाइपलाइन को बिछाने, निर्माण, प्रचालन या विस्तार करने के प्रस्तावित प्रारंभण से पहले कम से कम तीस दिनों के

लिए परियोजना की डीएफआर सहित पाइपलाइन लंबाई, मार्ग, क्षमता और सेवा दिए जा रहे ग्राहकों का विवरण प्रस्तुत करेगा;

- (ख) बोर्ड यह पता लगाने के लिए कि क्या समर्पित पाइपलाइन की बजाय यह जनता के हित में होगा यदि पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन को बिछाया, निर्माण, प्रचालन या विस्तार किया जाए, की दृष्टि से आम जनता की टिप्पणियां प्राप्त करने के लिए प्रस्तावित समर्पित पाइपलाइन का ब्यौरा वेब पर डालेगा।
- (ग) यदि प्राप्त टिप्पणियों की जांच के आधार पर बोर्ड का यह मत हो कि समर्पित पाइपलाइन की बजाय पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन जनता की सेवा बेहतर ढंग से कर सकेगी तो बोर्ड कंपनी से सूचना के प्राप्त होने के साठ दिनों के अंदर कंपनी को उपयुक्त सलाह देगा।
- (घ) यदि खण्ड (ग) के अंतर्गत बोर्ड से सलाह प्राप्त होने के बावजूद कंपनी अभी भी समर्पित पाइपलाइन को बिछाने, निर्माण, प्रचालन या विस्तार करने के अभिव्यक्ति की रुचि जारी करने का निर्णय ले सकता है:

बशर्ते कि कंपनी द्वारा समर्पित पाइपलाइन का निर्माण करने के साथ-साथ बोर्ड स्व-प्रेरणा के आधार पर पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन को बिछाने, निर्माण, प्रचालन या विस्तार करने के लिए अभिव्यक्ति की रुचि जारी करने का निर्णय ले सकता है:

लेकिन आगे यह भी कि कंपनी को अपनी समर्पित पाइपलाइन की स्थापना की तारीख से पांच वर्षों की अवधि के लिए अपनी समर्पित पाइपलाइन को पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन में परिवर्तित करने के लिए बोर्ड को आवेदन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी;

- (ड.) बोर्ड नियत तारीख के बाद बिछाई गई, निर्मित, प्रचालित या विस्तार की गई समर्पित पाइपलाइन के संबंध में कंपनी को निम्नलिखित प्रक्रिया के अनुसार समर्पित पाइपलाइन को पेट्रोलियम, पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन में परिवर्तित करने के लिए निर्देश दे सकता है, अर्थात् :-

- (i) बोर्ड यह पता लगाने के लिए कि क्या ऐसी पाइपलाइन को जनहित में पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन में परिवर्तित करने की आवश्यकता है, आम जनता की टिप्पणियां प्राप्त करने के लिए समर्पित पाइपलाइन का ब्यौरा वेब पर डालेगा;
- (ii) बोर्ड प्राप्त टिप्पणियों की जांच के आधार पर कंपनी को संपूर्ण जनहित में ऐसी पाइपलाइन को पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन में परिवर्तित करने के लिए निर्देश दे सकता है;

बशर्ते कि कंपनी को अपना मामला प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाना चाहिए।

- (3) यदि उप-विनियम (1) या (2) के अंतर्गत समर्पित पाइपलाइन पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन में परिवर्तित की जाती है तो विनियम 18 के उप-विनियम (9) के अंतर्गत प्रावधान लागू होंगे।

20. पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन तक पहुंच और इंटर-कनेक्टिविटी

कंपनी पहुंच संहिता का पालन करेगी तथा पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइनों के लिए पहुंच संहिता विनियमों के प्रावधानों के अनुसार अन्य पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइनों को इंटर कनेक्टिविटी की अनुमति देगी। कंपनी इस उद्देश्य के लिए बोर्ड द्वारा अधिसूचित संबद्ध आचार संहिता का पालन करेगी।

21. पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन में संशोधन या क्षमता विस्तार या विस्तार के संबंध में प्रावधान

(1) कोई कंपनी जो

- i) पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन में किसी सुधार या क्षमता विस्तार का प्रस्ताव करे, या
- ii) पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन या उसके किसी खण्ड में प्रचालनों को बंद करने का प्रस्ताव करे, या
- iii) किसी नए टैप ऑफ प्वाइंट को जोड़े या किसी मौजूदा टैप ऑफ प्वाइंट को समाप्त करने का प्रस्ताव करे, या
- iv) किसी नई कनेक्टिविटी को उपलब्ध कराए या प्राप्त करने वाले टर्मिनल या प्रेषण टर्मिनल के साथ मौजूदा कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने का प्रस्ताव करे।

जिससे पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन की स्थापित क्षमता आंशिक या पूर्ण रूप से प्रभावित होने की संभावना हो, इस संबंध में बोर्ड से पूर्व अनुमति प्राप्त करेगा और सभी विवरण, सभी सुविधाओं के नक्शे और ऐसी पाइपलाइनों के लिए पहुंच संहिता की आवश्यकताओं और इन विनियमों के संगत प्रावधानों और इस संबंध में अन्य कोई लागू विनियमों के अनुसार प्रस्तावित संशोधन के लिए औचित्य का पूरा विवरण प्राप्त करेगा।

बशर्ते कि ट्रंक या पारेषण पाइपलाइन की प्राधिकृत लंबाई के 10 प्रतिशत या 50 किलोमीटर लंबाई बढ़ाने, जो भी कम हो, का प्रस्ताव अधिनियम तथा विनियमों के प्रावधानों के अनुसार प्राधिकरण के लिए बोर्ड को प्रस्तुत किया जाएगा:

लेकिन आगे यह भी कि पाइपलाइन के पाइपलाइन प्रशुलक विस्तार के बाद कोई परिवर्तन नहीं होगा और यह मौजूदा ग्राहकों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा।

- (2) कंपनी पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन में प्राधिकृत क्षमता का दस प्रतिशत तक विस्तार करेगा और बोर्ड को अपने निर्णय के बारे में तत्काल सूचित करेगा।

बशर्ते कि पाइपलाइन प्रशुल्क विस्तार के बाद पाइपलाइन में कोई अंतर नहीं होगा।

- (3) यदि पाइपलाइन की क्षमता का बोर्ड द्वारा प्राधिकृत प्रतिशत की तुलना में दस प्रतिशत से अधिक का विस्तार करने का प्रस्ताव किया जाता है तो कंपनी बोर्ड के विचारार्थ प्रस्ताव प्रस्तुत करेगी और बोर्ड पाइपलाइन द्वारा ग्राहकों को दी जा रही सेवा पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना पाइप का क्षमता विस्तार करने की अनुमति दे सकता है। इसके विततीय प्रभाव पर पाइपलाइनों के प्रशुल्क पर संगत विनियमों के प्रावधानों के अनुसार प्रशुल्क हेतु अगली समीक्षा अवधि में विचार किया जाएगा।
- (4) पाइपलाइन के विस्तार और क्षमता विस्तार के लिए स्व-प्रेरणा प्रस्ताव के मामले में मना करने का पहला अधिकार पाइपलाइन के मालिक का होगा।
- (5) बोर्ड यह जांच कर सकता है कि प्रस्ताव उचित व्यापार और कंपनियों के बीच प्रतिस्पर्धा के प्रतिकूल न हो, और यह ऐसे प्रस्ताव की प्राप्ति के साठ दिनों की अवधि में प्रस्ताव पर निर्णय देगा।

22. विविध

- (1) ये विनियम सभी अन्य पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन पर लागू होंगे जिन्हें बोर्ड द्वारा इन विनियमों की अधिसूचना से पहले अनंतिम प्राधिकार प्रदान किया गया है। ये कंपनियां ऐसे प्रस्तावों के लिए इन विनियमों के सभी प्रावधानों का पालन करेगी और इन विनियमों की अधिसूचनाओं से तीस दिनों की अवधि के अंदर ब्यौरा प्रस्तुत करेंगी।
- (2) यदि इन विनियमों के किसी प्रावधान की व्याख्या के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो बोर्ड का निर्णय अंतिम होगा।
- (3) विभिन्न कार्यकलापों के लिए निर्धारित समय-सीमा में बोर्ड द्वारा पारदर्शी ढंग से छूट दी जा सकती है।

अनुसूची क

[विनियम 4(1) और 5(6) देखें]

पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन बिछाने, निर्माण, प्रचालन या विस्तार करने की इच्छुक कंपनी द्वारा रुचि की अभिव्यक्ति प्रस्तुत करने का आवेदन-पत्र

- क. केवल वह कंपनी, जो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन के बिछाने, निर्माण, प्रचालन या विस्तार करने के लिए कंपनी को प्राधिकृत करना) विनियम, 2010 विनियम 5(6) में दिए गए न्यूनतम अर्हता मानदण्डों को पूरा करती है, बोर्ड को रुचि की अभिव्यक्ति के लिए आवेदन करने की पात्र होगी।
- ख. कंपनियों को न्यूनतम अर्हता मानदण्डों को पूरा करने से संबंधित दस्तावेजों को प्रमाण के रूप में अवश्य संलग्न करना चाहिए।

ग. रुचि की अभिव्यक्ति देने वाली कंपनियां निम्नलिखित सूचना अवश्य दें:

1	सामान्य विवरण
क.	कंपनी का नाम
ख.	फर्म का प्रकार - सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी/निजी लिमिटेड कंपनी/भागीदार कंपनी/प्रोप्राइटरशिप फर्म/अन्य (कृपया उल्लेख करें)
ग.	निगमित होने की तारीख और व्यवसाय शुरू करने की तारीख
घ.	पंजीकृत कार्यालय का पता
ड.	सभी निदेशकों/भागीदारों/प्रोपराइटर का नाम, पता, दूरभाष संख्या, ई-मेल
2.	प्राथमिक तकनीकी आंकड़े
क	पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन का मूल प्वाइंट और अंतिम प्वाइंट
ख	प्रस्तावित पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन का सांकेतिक मार्ग जो पेट्रोलियम उत्पाद इंजेक्शन प्वाइंट के संभावित स्थल और भौतिक नक्शे पर दर्शाए गए संभावित सुपुर्दगी प्वाइंट को दर्शाएगा।
ग	पेट्रोलियम उत्पाद उपलब्धता स्थिति
घ	पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन के मार्ग में पेट्रोलियम उत्पादों की संभावित मांग
ड.	प्रस्तावित पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन में परिवहन के लिए कुल मात्रा का आकलन
च	अन्य कोई विषय जिसे कंपनी द्वारा संगत समझा जाए।
3	डिमांड ड्राफ्ट/पे-आर्डर नं० < _____ > दिनांक < _____ > बैंक और शाखा का नाम > से बनवाकर < _____ > के आवेदन शुल्क का भुगतान।

दिनांक

स्थान

कंपनी या प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम और हस्ताक्षर
कार्यालय मोहर

अनुसूची ख

[विनियम 5(7) देखें]

पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन के प्राधिकार के लिए आवेदन-सह-बोली

सेवा में,

सचिव,
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड
प्रथम तल, विश्व व्यापार केन्द्र,
बाबर लेन, कनाट प्लेस,
नई दिल्ली-110 001

विषय: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन के बिछाने, निर्माण, प्रचालन या विस्तार करने के लिए कंपनी को प्राधिकृत करना) विनियम, 2010 के अंतर्गत प्रारंभिक स्थल से अंतिम स्थल तक प्रस्तावित मार्ग को दर्शाने वाला नाम > पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन बिछाने, निर्माण, प्रचालन या विस्तार करने के प्राधिकार देने हेतु आवेदन-सह-बोली

(जहां आवश्यक हो सूचना प्रस्तुत करने के लिए अतिरिक्त शीट संलग्न करें)

भाग-1 कंपनी का सामान्य विवरण और परियोजना का तकनीकी विवरण (विधिवत चिह्नित, मोहरबंद और एक पृथक लिफाफे में प्रस्तुत किया जाए)		
1.	कंपनी का विवरण	
क.	कंपनी का नाम	
ख.	कंपनी का प्रकार - सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी/निजी लिमिटेड कंपनी/भागीदार कंपनी/प्रोप्राइटरशिप फर्म/अन्य	
ग.	निगमन की तारीख और व्यवसाय शुरू करने की तारीख	
घ.	पंजीकृत कार्यालय का पता	
ड.	सभी निदेशकों/भागीदारों/प्रोप्राइटरों के नाम, पते, दूरभाष संख्या, ई-मेल पते	
2.	वित्तीय विवरण	
क.	शेयर पूंजी या प्रोप्राइटर की स्वयं की निधियां, जैसा लागू हो।	
ख.	लिए गए ऋण की - राशि, अवधि, अधिस्थगन अवधि, ब्याज की दर और इस ऋण को प्राप्त करने के लिए बंधक या मालबंधक रखी गई परिसम्पत्ति, यदि कोई हो।	
ग.	रिजर्व, यदि कोई हो	
घ.	स्थाई परिसम्पत्ति	
ड.	वर्तमान परिसम्पत्ति	
च.	वर्तमान देयताएं	
छ.	बिक्री कारोबार	
ज.	कर-पश्चात लाभ	
	(पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लिए लेखा परीक्षित लाभ-हानि खाते और तुलन-पत्र की प्रतियां संलग्न करें)	
3.	कंपनी की व्यावसायिक गतिविधियां	
क.	कंपनी के सभी मौजूदा पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन का विवरण, यदि कोई हो, इसमें डिजाइन विशिष्टताएं, संस्थापित क्षमता, पूंजी लागत, प्रचालन लागत का वार्षिक विवरण, स्थापना की तारीख, ग्राहक रूपरेखा के विवरण सहित नेटवर्क में गैस की मात्रा का परिवहन, मौजूदा सुविधाओं और भावी योजना का विवरण दर्शाने वाला मानचित्र और डिजाइन, पेट्रोलियम उत्पाद स्रोत, वसूल की जा रही इकाई नेटवर्क की औसत दर, आदि शामिल हैं।	
ख.	मौजूदा पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइनों के लिए पेट्रोलियम उत्पादों के परिवहन के लिए किया गया मौजूदा समझौते या सहयोग का विवरण।	
ग.	पिछले पांच वर्षों से प्रवर्तकों द्वारा किए जा रहे अन्य व्यवसाय, यदि कोई हो, का विवरण।	

4.	स्वामित्व और सम्बद्धता का विवरण	
क	प्रवर्तकों का विवरण	
ख	कंपनी की सभी सम्बद्ध संस्थाओं का विवरण, जिसमें उनके व्यावसायिक रिश्ते को बताया गया हो।	
ग	कंपनी अपने और अपनी कंपनियों के सभी संबंधित प्रलेखों या दस्तावेजों को प्रस्तुत करने का वचन देती है।	हां/नहीं
घ	क्या कंपनी, कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पंजीकृत है?	हां/नहीं
ड.	यदि संस्था आवेदन-सह-बोली प्रस्तुत करते समय कंपनी नहीं है तो प्राधिकार के लिए उसका चयन होने पर वह कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत एक कंपनी निर्माण की घोषणा करती है।	हां/नहीं
च.	प्रमोटरों की लेटर ऑफ कम्फर्ट के रूप में घोषणा पत्र, जिसमें यह घोषणा की गई हो कि प्राधिकार मिलने की तारीख से तीन महीने के अंदर परियोजना को दिए गए उनके वित्तीय योगदान का निवेश किया जाएगा। प्रमोटरों के लेटर आफ कम्फर्ट संलग्न करें।	हां/नहीं
5.	प्रस्तावित पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन का तकनीकी विवरण	
क.	प्रस्तावित पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन परियोजना का नाम	
ख.	प्रस्तावित पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन का निम्नलिखित ब्यौरे सहित मार्ग, खण्ड-वार लंबाई दर्शाने वाला विस्तृत नक्शा: (क) ब्रांच लाइन (ख) इंटर-कनेक्शन प्वाइंट, यदि कोई हो (ग) प्रस्तावित प्रमुख सुविधाओं का प्रदर्शन जैसे पंप स्टेशन, प्राप्ति टर्मिनल, सुपुर्दगी टर्मिनल, टैप ऑफ प्वाइंट, आदि	
ग.	परियोजना की तकनीकी विशिष्टियां, जिसके साथ संभाव्यता रिपोर्ट की प्रति संलग्न हो।	
घ.	प्रस्तावित पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइनों के लिए अभिकल्पित विकास योजना - डिजाइन और संस्थापित क्षमता, तथा प्रचालनों के चरण-वार शुरू होने की तारीख सहित चरण-वार पूंजी व्यय योजनाओं का ब्यौरा।	
ड.	निम्नलिखित के लिए प्रस्तावित योजना (i) पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन में इंजेक्शन के लिए पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन का स्रोत (ii) प्रस्तावित पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन में चरण-वार क्षमता अनुबंध	
च.	क्या प्रस्तावित पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन का डिजाइन बनाने में टी4एस के लिए संगत विनियमों के अंतर्गत विनिर्दिष्ट अनुसार सुरक्षा मानकों (टी4एस) सहित सभी लागू तकनीकी मानकों, विशिष्टियों का पालन किया गया है? पूरा ब्यौरा उपलब्ध कराएं।	हां/नहीं

छ	पाइपलाइन की स्थापना से पूर्व आपात प्रतिक्रिया और आपदा प्रबंधन योजना विकसित करने की वचनबद्धता।	हां/नहीं
ज	क्या परियोजना केन्द्र या राज्य सरकारों से किसी सांविधिक कर से कोई राजसहायता, छूट, आस्थगन या माफी की पात्र हैं? यदि हां, तो कंपनी की वर्ष-वार उपयोग योजना की सूचना देते हुए पूरा विवरण दें।	हां/नहीं
झ	विनियम 5(6) के अंतर्गत अप्रतिदेय आवेदन शुल्क	< _____ > रुपए
	डिमांड ड्राफ्ट या पे आर्डर की संख्या और तारीख	
	जारीकर्ता बैंक और शाखा का नाम	
ञ	बोली बंधपत्र	< _____ > रु0
	डिमांड ड्राफ्ट या पे आर्डर या बैंक गारंटी की संख्या व दिनांक	
	जारीकर्ता बैंक और शाखा का नाम	

भाग-II: वित्तीय बोली (विधिवत चिह्नित, मोहरबंद और एक अतिरिक्त लिफाफे में प्रस्तुत की जाए) उन्हीं कंपनियों के लिए खोली जाएगी जो विनियम 5(6) के अंतर्गत न्यूनतम योग्यता मानदण्डों को पूरा करती हैं।

क	पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन के लिए निर्धारित इकाई पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन प्रशुल्क बोली का मौजूदा मूल्य (पीवी) [10 वर्ष की अवधि के लिए बोली लगाने के प्रयोजनार्थ पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन प्रशुल्क (रुपए/मी.टन)]। बोर्ड दस वर्ष के बाद समीक्षा करेगा और तत्पश्चात् भावी आधार पर पांच वर्ष का ब्लॉक निर्धारित करेगा।	12% की छूट दर का प्रयोग करते हुए " _____ " रुपए प्रति मी.टन है। वर्ष-वार पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन प्रशुल्क:- 1 वर्ष: <.....> रु0 प्रति मी.टन 2 वर्ष <.....> रु0 प्रति मी.टन 10 वर्ष: <.....> रु0 प्रति मी.टन
ख	पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन के लिए परिवर्तन इकाई पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन प्रशुल्क बोली का मौजूदा मूल्य (पीवी) [10 वर्ष की अवधि के लिए पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन प्रशुल्क (रुपए/मी.टन/कि.मी.)]। बोर्ड दस वर्ष के बाद समीक्षा करेगा और तत्पश्चात् भावी आधार पर पांच वर्ष का ब्लॉक निर्धारित करेगा।	12% की छूट दर का प्रयोग करते हुए " _____ " रुपए प्रति मी.टन प्रति कि.ग्रा. है। वर्ष-वार पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन प्रशुल्क:- 1 वर्ष: <.....> रु0 प्रति मी.टन प्रति के.एम. 2 वर्ष <.....> रु0 प्रति मी.टन प्रति के.एम. 10 वर्ष: <.....> रु0 प्रति मी.टन प्रति के.एम.

ग	परियोजना के आर्थिक जीवन काल की तुलना में पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन में परिवहन के लिए सृजित की जाने वाली प्रस्तावित पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन क्षमता (मिलियन टन प्रति वर्ष) का मौजूदा मूल्य (पीवी) [परियोजना के जीवन काल के प्रत्येक वर्ष के लिए पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन में परिवहन किए जाने के लिए सृजित पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन क्षमता]।	12% की छूट दर का प्रयोग करते हुए "_____" मिलियन टन प्रति वर्ष (एमएमटीपीए) है। वर्ष-वार पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन प्रशुल्क:- 1 वर्ष: <.....> एमएमटीपीए 2 वर्ष <.....> एमएमटीपीए 25 वर्ष: <.....> एमएमटीपीए
---	---	--

टिप्पणी:

कृपया विनियम 7 के उप-विनियम (3) के उद्देश्य के लिए प्रस्तावित पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन परियोजना के अनुमोदित डीएफआर की एक प्रति संलग्न करें।

घोषणा

1. प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त सूचना मेरी/हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार सही है और इस आवेदन-सह-बोली के साथ संलग्न परिशिष्ट, संलग्नक और गणना शीट में दिए गए आंकड़े और सूचना सही पूर्ण और सत्य हैं और यदि इनमें दिया गया कोई भी विवरण गलत पाया जाता है तो आवेदन-सह-बोली निरस्त कर दी जाएगी, आवेदन-शुल्क और बोली बंधपत्र जब्त कर लिए जाएंगे और मैं/हम अधिनियम के प्रावधान के अंतर्गत कार्रवाई और दण्ड के हकदार होंगे।
2. मैं/हम प्रमाणित करते हैं कि मेरे/हमारे द्वारा केवल एक ही आवेदन-सह-बोली प्रस्तुत की गई है जो उपर्युक्त है और पेट्रोलियम, पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन मेरे/हमारे द्वारा अलग से कोई भी दूसरा आवेदन-सह-बोली पत्र न तो प्रस्तुत किया गया है और न ही प्रस्तुत किया जा रहा है।

दिनांक :

स्थान :

कंपनी/प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम और हस्ताक्षर
कार्यालय मोहर

अनुसूची ग

[विनियम 7(4) और विनियम (7) के उप-विनियम (1) के खण्ड (क) से (ग) के अंतर्गत प्रावधान देखें]

पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन का प्राधिकार देने हेतु सफल बोली को सुनिश्चित करने के लिए उच्चतम संयुक्त स्कोर निर्धारित करने के आधार का स्पष्टीकरण

विनियम (7) के उप-विनियम (1) के खण्ड (क) से (ग) के अंतर्गत उल्लिखित बोली मानदण्डों के आधार पर सफल बोली का निर्धारण करने के लिए आइए तीन कंपनियां लेते हैं जिनकी बोलियां की तुलना की जानी है।

(क) पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन के लिए निर्धारित इकाई पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन प्रशुल्क बोली का न्यूनतम मौजूदा मूल्य (पीवी) [10 वर्ष की अवधि के लिए बोली लगाने के प्रयोजनार्थ पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन प्रशुल्क (रुपए/मी.टन)]।

देखें,

एफटी1= पहली कंपनी द्वारा दस वर्ष के लिए निर्धारित इकाई पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन प्रशुल्क बोली (रुपए/मी.टन) का मौजूदा मूल्य

एफटी2= दूसरी कंपनी द्वारा दस वर्ष के लिए निर्धारित इकाई पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन प्रशुल्क बोली (रुपए/मी.टन) का मौजूदा मूल्य

एफटी3= तीसरी कंपनी द्वारा दस वर्ष के लिए निर्धारित इकाई पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन प्रशुल्क बोली (रुपए/मी.टन) का मौजूदा मूल्य

मान लीजिए एफटी1, एफटी2 से कम है और एफटी2, एफटी3 से कम है।

पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन प्रशुल्क बोली (एफटी1) के न्यूनतम वर्तमान मूल्य को 100% का स्कोर दिया जाएगा और बोली की अन्य निर्धारित इकाई पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन प्रशुल्क बोली को यथानुपात आधार पर एलएफटी1 के संबंध में निम्नानुसार स्कोर दिया जाएगा:-

$$\text{एलएफटी 1} = 100\%$$

$$\text{एलएफटी 2} = 100\% \times (\text{एफटी 1} \div \text{एफटी 2})$$

$$\text{एलएफटी 3} = 100\% \times (\text{एफटी 1} \div \text{एफटी 3})$$

(ख) पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन के लिए परिवर्तन इकाई पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन प्रशुल्क बोली का न्यूनतम मौजूदा मूल्य [दस वर्ष की अवधि के लिए बोली लगाने के प्रयोजनार्थ पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन प्रशुल्क (रुपए/मी.टन/कि.मी.)]।

देखें,

वीटी1= पहली कंपनी द्वारा दस वर्ष के लिए परिवर्तन इकाई पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन प्रशुल्क बोली (रुपए/मी.टन/कि.मी.) का मौजूदा मूल्य

वीटी2= दूसरी कंपनी द्वारा दस वर्ष के लिए परिवर्तन इकाई पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन प्रशुल्क बोली (रुपए/मी.टन/कि.मी.) का मौजूदा मूल्य

वीटी3= तीसरी कंपनी द्वारा दस वर्ष के लिए परिवर्तन इकाई पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन प्रशुल्क बोली (रुपए/मी.टन/कि.मी.) का मौजूदा मूल्य

मान लीजिए वीटी1, वीटी2 से अधिक है और वीटी2, वीटी3 से अधिक है।

पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन प्रशुल्क बोली (एलवीटी 3) के न्यूनतम परिवर्तन मूल्य को 100% का स्कोर दिया जाएगा और बोली की अन्य परिवर्तनीय इकाई पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन प्रशुल्क बोली को यथानुपात आधार पर एलवीटी3 के संबंध में निम्नानुसार स्कोर दिया जाएगा:-

$$\begin{aligned}\text{एलवीटी 1} &= 100\% \times (\text{वीटी3} \div \text{वीटी1}) \\ \text{एलवीटी 2} &= 100\% \times (\text{वीटी3} \div \text{वीटी2}) \\ \text{एलवीटी 3} &= 100\%\end{aligned}$$

ग) परियोजना के आर्थिक जीवन काल की तुलना में पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन में परिवहन के लिए सृजित की जाने वाली प्रस्तावित पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन क्षमता (मिलियन टन प्रति वर्ष) का मौजूदा अधिकतम मूल्य [परियोजना के जीवन काल के प्रत्येक वर्ष के लिए पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन में परिवहन किए जाने के लिए सृजित पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन क्षमता]।

देखें,

सी1= पहली कंपनी द्वारा पच्चीस वर्ष के लिए पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन बोली (एमएमटीपीए) का मौजूदा मूल्य
सी2= दूसरी कंपनी द्वारा पच्चीस वर्ष के लिए पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन बोली (एमएमटीपीए) का मौजूदा मूल्य
सी3= तीसरी कंपनी द्वारा पच्चीस वर्ष के लिए पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन बोली (एमएमटीपीए) का मौजूदा मूल्य

मान लीजिए सी1, सी2 से कम है और सी2, सी3 से कम है।

पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन बोली (एचसी 3) के अधिकतम वर्तमान मूल्य को 100% का स्कोर दिया जाएगा और बोली की अन्य निर्धारित इकाई पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन बोली को यथानुपात आधार पर एचसी3 के संबंध में निम्नानुसार स्कोर दिया जाएगा:-

$$\text{एचसी1} = 100\% \times (\text{एचसी1} \div \text{एचसी3})$$

$$\text{एचसी2} = 100\% \times (\text{एचसी2} \div \text{एचसी3})$$

$$\text{एचसी3} = 100\%$$

अब तीनों कंपनियों के संयुक्त स्कोर की गणना प्रत्येक बोली मानदण्ड के निर्दिष्ट भार को लेकर की जाएगी जो निम्नानुसार होगी:

$$\text{कंपनी 1} = 0.50 \times \text{एलएफटी1} + 0.20 \times \text{एलवीटी1} + 0.30 \times \text{एचसी1}$$

$$\text{कंपनी 2} = 0.50 \times \text{एलएफटी2} + 0.20 \times \text{एलवीटी2} + 0.30 \times \text{एचसी2}$$

$$\text{कंपनी 3} = 0.50 \times \text{एलएफटी3} + 0.20 \times \text{एलवीटी3} + 0.30 \times \text{एचसी3}$$

जिस कंपनी का संयुक्त स्कोर अधिकतम होगा, उसी को सफल बोलीदाता घोषित किया जाएगा।

अनुसूची घ

(विनियम 9 (2) और 18 (7) देखें)

पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन बिछाने, निर्माण, प्रचालन और उसका विस्तार करने के लिए प्राधिकार देना

सेवा में,

<सफल बोलीदाता कंपनी का नाम>

<पता>

विषय: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन बिछाने, निर्माण, प्रचालन और विस्तार के लिए कंपनियों को प्राधिकृत करना) विनियम 2010 के अंतर्गत <प्रारंभिक स्थल का नाम, गुजरने वाले राज्यों अथवा संघ राज्य-क्षेत्रों का नाम, अंतिम स्थल का नाम> के मार्ग सहित पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन बिछाने, निर्माण, प्रचालन और विस्तार करने के लिए प्राधिकार देना।

महोदय/महोदया,

पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन बिछाने, निर्माण, प्रचालन और विस्तार करने <प्रारंभिक स्थल का नाम, गुजरने वाले राज्यों अथवा संघ राज्य-क्षेत्रों का नाम, अंतिम स्थल का नाम> के मार्ग सहित प्राधिकार देने के लिए आपके आवेदन के संदर्भ में आपको प्राधिकार देने का निर्णय किया गया है जो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन बिछाने, निर्माण, प्रचालन और विस्तार करने के लिए कंपनियों को प्राधिकृत करना) विनियम 2010 और निम्नलिखित निबंधन और शर्तों के अध्यधीन होगा:-

1. पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन बिछाने, निर्माण, प्रचालन और विस्तार करने के मार्ग को संलग्न ड्राईंग [पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन के <मूल स्थल का नाम>, <मध्यवर्ती टैप ऑफ और इंटरकनेक्शन स्थल>, <ब्रांच लाइन का नाम> और <अंतिम सुपुर्दगी स्थल का नाम> दर्शाया जाए]।
2. कंपनी पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन बिछाने, निर्माण करने, प्रचालन करने और विस्तार करने संबंधी कार्यकलाप पूरा करेगी और पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन की संलग्न समय अनुसूची और लक्ष्यों के अनुसार स्थापना करेगी। कंपनी को पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन परियोजना की स्थापना के लिए प्राधिकार पत्र जारी करने की तारीख से छत्तीस माह की अधिकतम अवधि दी जाती है। समयानुसूची में निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने में कंपनी के सफल न होने पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन बिछाने, निर्माण करने, प्रचालन करने और विस्तार करने के लिए कंपनियों को प्राधिकृत करना) विनियम 2010 के विनियम 16 के

अधीन विनिर्दिष्ट परिणामों का सामना करना पड़ेगा।

3. पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन की क्षमता <_____> मिलियन टन प्रति वर्ष (एमएमटीपीए) के बराबर होगी।
4. पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन में अतिरिक्त क्षमता विनियम 5 के उप-विनियम (6) के खण्ड (ज) में विनिर्दिष्ट प्रावधानों के अनुसार <_____> एमएमटीपीए के बराबर होगी और खुली पहुंच और गैर-विभेदकारी आधार पर किसी अन्य तीसरी पार्टी द्वारा सामान्य वाहक आधार पर प्रयोग के लिए उपलब्ध होगी।
5. प्राधिकृत कंपनी को परियोजना के लिए धन प्राप्त करने हेतु पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन पुनर्ग्रहणाधिकार अथवा रेहन के लिए बोर्ड से पूर्वानुमोदन प्राप्त करना होगा। तथापि, किसी वित्तीय संस्था अथवा बैंक से धन लेने की स्थिति में संस्था को सात दिनों की अवधि के भीतर निधियों की स्वीकृति के संबंध में बोर्ड को केवल सूचित करना होगा।
6. कंपनी पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन के प्रत्येक प्रशुल्क क्षेत्र के लिए अनुमोदित प्रशुल्कों को अपनी वेबसाइट पर डालेगी।
7. कंपनी पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन बिछाने, निर्माण, प्रचालन और उसका विस्तार करने के लिए कंपनियों को प्राधिकृत करना) विनियम 2010 के विनियम 9 के अधीन बोर्ड द्वारा जारी प्राधिकार की तारीख से एक सौ बीस दिनों की अवधि के भीतर बोर्ड को एक विस्तृत और स्पष्ट वित्तीय समाप्ति रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।
8. <_____> मिलियन रुपए के निष्पादन बांड को प्रस्तुत करना बोली में प्रस्तुत निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार तथा परियोजना के प्रचालन चरण के दौरान निष्पादन वचनबद्धता को पूरा करने के लिए परियोजना की समय पर स्थापना करने की गारंटी है।
9. कंपनी पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइनें बिछाने, निर्माण, प्रचालन अथवा विस्तार करने के लिए कंपनियों को प्राधिकृत करना) विनियम 2010 के विनियम 14 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट सेवा बाध्यताओं तथा विनियम 15 के अंतर्गत सेवा मानकों की गुणवत्ता का पालन करेगी।
10. यदि कंपनी के प्राधिकार को समाप्त कर दिया जाता है तो बोर्ड उन निबंधन और शर्तों, जो वह उचित समझे, पर किसी एजेंसी या अन्य कंपनी को अधिकार और जिम्मेदारियां सौंप सकती है। इसके अलावा, कंपनी को बोर्ड के निर्देशानुसार पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन के प्रचालनों को तब तक बनाए रखना होगा जब तक कि बोर्ड द्वारा नियुक्त कोई अन्य एजेंसी या कंपनी पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन का पूर्ण नियंत्रण न ले ले।
11. कंपनी निम्नलिखित प्रावधानों का अनुपालन करे :-
 - (क) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइनें बिछाने, निर्माण, प्रचालन अथवा विस्तार करने के लिए कंपनियों को प्राधिकृत करना) विनियम 2010;

- (ख) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन शुल्क का निर्धारण) विनियम, जब कभी अधिसूचित हो;
- (ग) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन बिछाने, निर्माण, प्रचालन या विस्तार करने के लिए कंपनियों को प्राधिकृत करना) विनियम 2010 की अनुसूची (अ) में विनिर्दिष्ट सेवा उत्तरदायित्व।
- (घ) निम्नलिखित के लिए संगत विनियम -
- (i) सुरक्षा मानकों सहित तकनीकी मानक और विशिष्टियां;
 - (ii) पहुंच संहिता;
 - (iii) पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन के लिए क्षमता का निर्धारण;
 - (iv) संबद्ध आचार संहिता;
 - (v) पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन को सामान्य वाहक या ठेका वाहक के रूप में घोषणा करना;
- (ङ.) अन्य कोई लागू विनियम तथा पीएनजीआरबी अधिनियम, 2006 के प्रावधान।

12. कंपनी किसी ऐसी अन्य निबंधन और शर्त का पालन भी करेगी जो बोर्ड द्वारा समय-समय पर जनहित में अधिसूचित की जाएगी।

आपसे अनुरोध है कि नीचे दी गई जगह में अपनी स्वीकृति की पुष्टि करें और मूल रूप से इसे लौटा दें।

भवदीय,

हस्ता/-

दिनांक :

अधिकारी का नाम और पदनाम
पीएनजीआरबी की ओर से
कार्यालय की मुहर

प्राधिकार स्वीकार करना

मैं/हम दिनांक-----के पत्र सं0----- के तहत बोर्ड द्वारा जारी किए गए प्राधिकार पत्र को स्वीकार करता हूं/करते हैं और उन सभी निबंधन और शर्तों का पालन करने के लिए सहमत हूं/हैं जिसके अधीन मुझे/हमें <____> राज्य या संघ राज्य-क्षेत्र <____> में मूल स्थल <____> से लेकर राज्य या संघ शासित क्षेत्र में अंतिम स्थल <____> में पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन बिछाने, निर्माण, प्रचालन अथवा विस्तार करने के लिए प्राधिकार दिया गया है।

दिनांक :

स्थान :

कंपनी /प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर
नाम और कार्यालय की मुहर

अनुसूची- ड.
(विनियम 13 (1) देखें)

प्राधिकृत कंपनी द्वारा तिमाही आधार पर डेटा प्रस्तुत करना

- (क) निम्नलिखित रूप में कंपनी द्वारा प्रस्तुत की जाने वाले अपेक्षित डेटा/सूचना का बोर्ड द्वारा निम्नलिखित के आधार पर विश्लेषण किया जाएगा:-
- (1) कंपनी द्वारा की गई वास्तविक प्रगति तथा डीएफआर में निर्धारित भौतिक और वित्तीय लक्ष्य की तुलना में परियोजना की स्थापना करना; और
 - (2) बोली में प्रतिबद्ध मात्रा की तुलना में पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन में परिवहन किए गए पेट्रोलियम उत्पाद का वास्तविक मूल्य।
- (ख) प्रगति मॉनीटरिंग बोर्ड द्वारा तिमाही आधार पर की जाएगी और कमी तथा अंतर, यदि कोई हों की सूचना तुरंत समाधान के लिए भेजी जाएगी। सूचनावधि के भीतर वार्षिक तौर पर प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में किसी विलंब के मामले में अथवा बार-बार उल्लंघन करने के मामले में कंपनी को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (नेटवर्क बिछाने, निर्माण करने, प्रचालन करने अथवा नगर अथवा स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क के लिए कंपनियों को प्राधिकृत करना) विनियम 2010 के विनियम 16 के अधीन विनिर्दिष्ट परिणाम भुगतने होंगे।

क	प्राधिकृत कंपनी का नाम		
ख	परियोजना का नाम		
ग	प्राधिकार देने की तारीख		
घ	प्रचालन शुरू करने की तारीख		
ड.	कंपनी के स्वामित्व के गठन का विवरण (कृपया अंतरों का विवरण दें यदि प्राधिकार की तारीख से कोई हुआ हो)		
	सूचना/डेटा	तिमाही के लिए	वर्ष के लिए संचयी
च	वित्तीय ब्यौरा (मिलियन रुपए में)		
1	पूँजीगत निवेश		
	(क) स्थायी परिसंपत्तियां		
	अथशेष		
	प्रत्यक्ष जमा		
	पूँजी कार्य प्रगति (सीडब्ल्यूआईपी) से अंतरण		
	लोप, यदि कोई हो		

	अंतशेष		
	(ख) सीडब्ल्यूआईपी		
	अथशेष		
	जमा		
	नियत परिसंपत्तियों से अंतरण		
	लोप, यदि कोई हो,		
	अंतशेष		
2	प्रचालन खर्च (पाइपलाइन की स्थापना के बाद)		
	(क) उपभोज्य तथा रसायन		
	(ख) सुविधाएं- बिजली और ईंधन		
	(ग) वेतन		
	(घ) मरम्मत और अनुरक्षण		
	(ङ.) सामान्य प्रशासन खर्च		
	(च) बीमा		
	(छ) कोई अन्य खर्च (विवरण दें)		
3	वित्तीय खर्च		
	(क) कार्यपूंजी ऋणों पर ब्याज (डब्ल्यूसीबी)		
	(ख) आवधिक ऋणों पर ब्याज		
4	मूल्य ह्रास		
5	अर्जित राजस्व (पाइपलाइन की स्थापना के बाद)		
	(क) पेट्रोलियम उत्पाद परिवहन		
	(ख) पेट्रोलियम उत्पादों का विपणन		
	(ग) अन्य आय - ब्याज आदि		
6	ऋणों की स्थिति		
	(क) आवधिक ऋण और कार्य पूंजी ऋण		
	शुरू किए गए		
	जोड़े गए		
	पुनर्भुगतान किए गए		
	बंद		
	(प्रत्येक ऋण का विवरण दें- ब्याज की दर, ऋण स्थगन, अवधि, शर्तें आदि)		

ज	भौतिक विवरण		
1	(क) पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन में परिवहन की गई मात्रा (ख) बोली और डीएफआर में उल्लिखित वचनबद्ध मात्रा (ग) कारणों सहित (क) बनाम (ख) में भिन्नता (घ) प्रत्येक सुपुर्दगी स्थल में ग्राहक-वार दी गई मात्रा		
2	पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन की लम्बाई (किलोमीटर में) (क) गत तिमाही तक (ख) वर्तमान तिमाही में बिछाई गई और निर्मित (ग) तिमाही के अंत में लंबाई (बाहरी व्यास और दबाव दर-वार उपलब्ध कराया गया ब्यौरा)		
3	पंपिंग स्टेशनों, मध्यवर्ती सुपुर्दगी स्टेशनों, टीओपी आदि की संख्या (क) गत तिमाही तक (ख) वर्तमान में जोड़ी गई (ग) आज की तारीख तक कुल		
4	परियोजना पूर्ण स्थिति - वास्तविक उपलब्धि बनाम अनुमोदित अनुसूची के अनुसार (% में) (प्राधिकार प्रदान करने की अनुमोदित अनुसूची के अनुसार प्रत्येक लक्ष्य का ब्यौरा और इसके अपवर्तन के कारण, यदि कोई हों, उपलब्ध कराएं)।		
5	कोई अन्य सूचना/आंकड़े जो बोर्ड द्वारा निर्धारित किए गए हों अथवा कंपनी द्वारा संगत समझी गए हों।		

दिनांक :

स्थान :

कंपनी अथवा प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर
नाम और मुहर

टिप्पणी :

उपर्युक्त फॉर्म में सूचना और डेटा सनदी लेखाकार द्वारा प्रमाणित होना चाहिए।

अनुसूची-च
(विनियम 15 (1) देखें)
सेवा मानकों की गुणवत्ता

सामान्य

सेवा मानकों की गुणवत्ता विनिर्दिष्ट करने का उद्देश्य उपभोक्ताओं पर अन्य कंपनियों को प्रदान की जाने वाली सेवा के संदर्भ में पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन को बिछाने, निर्माण करने, प्रचालित करने और उसका विस्तार करने में कंपनी से अपेक्षित निष्पादन न्यूनतम स्तर को विनिर्दिष्ट करना है। कंपनी सेवा मानकों की गुणवत्ता, उपभोक्ताओं और अन्य फर्मों जैसे पणधारियों के साथ संतोषपूर्ण तरीके से कार्य करने में समर्थ हो, से कतिपय न्यूनतम उत्तरदायित्वों को सही तरीके से पूरा करने की उम्मीद की जाती है। जहां प्राधिकृत कंपनी को सेवा मानकों की गुणवत्ता को अनिवार्य रूप से बनाए रखना होगा वहां इसे उपभोक्ताओं और अन्य फर्मों द्वारा अपेक्षित न्यूनतम उत्तरदायित्वों का व्यापक विज्ञापन करना होगा और उसे उचित तौर पर संविदाओं में अंतर्विष्ट करना होगा। सेवा मानकों की गुणवत्ता नीचे दी गई है :-

1. तंत्र अनुरक्षण और उपभोक्ता वर्गीकरण
 - (1) कंपनी का उत्तरदायित्व :
 - (क) प्राधिकार प्राप्त करने के बाद कंपनी आम जनता की सूचना के लिए प्राधिकृत मार्ग के अनुसार पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन को बिछाने, निर्माण करने, प्रचालित करने और उसका विस्तार करने की अपनी योजना को समाचार-पत्र में और अपनी सरकारी वेबसाइट में प्रकाशित करेगी।
 - (ख) संगत विनियमों के अधीन विनिर्दिष्ट सुरक्षा मानकों समेत तकनीकी मानकों, विनिर्देशनों के अनुसार तंत्र का अनुरक्षण सुनिश्चित करना।
 - (ग) आपूर्तियों में बाधा आने पर यह सुनिश्चित करना कि पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन को पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन में लाइन पैक मात्रा के प्रयोग के लिए पहली प्राथमिकता दी जाएगी।

उपभोक्ताओं के साथ संविदाओं में पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्तियों में रुकावट के संबंध में एक विशिष्ट खण्ड होना चाहिए;

- (घ) सुरक्षा मानकों सहित तकनीकी मानकों और विनिर्देशनों हेतु संगत विनियमों के अधीन विनिर्दिष्ट सुरक्षा मानकों समेत तकनीकी मानकों, विनिर्देशनों के अनुसार पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन को प्राकृतिक गैस की

गुणवत्ता को बनाए रखना।

(2) उपभोक्ताओं का उत्तरदायित्व:

- (क) परिसर के भीतर फर्म द्वारा उपलब्ध कराए गए उपस्कर और सुविधाएं, यदि कोई हों, की सुरक्षा सुनिश्चित करना;

2. मीटरिंग और बिलिंग

कंपनी का उत्तरदायित्व:

- (क) पेट्रोलियम उत्पादों की सुपुर्दगी सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार;
- (ख) ठेके की निबंधन और शर्तों के अनुसार पेट्रोलियम उत्पादों के परिवहन के लिए सही बिलिंग सुनिश्चित करना जिसमें लागू पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन प्रशुल्क को दर्शाया जाए। इस बिल के साथ ग्राहक का नाम और पता, क्रम संख्या, मात्रा, कर/शुल्क, यदि कोई हो, राशि, निर्धारित तारीख, आदि का ब्यौरा होना चाहिए।

3. पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन में बाधाएं

कंपनी का उत्तरदायित्व:

- (क) नियोजित अनुरक्षण के लिए उपभोक्ताओं को समय नोटिस देना;
- (ख) बाधा आने पर शीघ्रातिशीघ्र नेटवर्क को बहाल करना सुनिश्चित करना; और
- (ग) अनियोजित नेटवर्क बाधाओं से तुरंत मुक्ति सुनिश्चित करना;

4. आपातकालीन स्थिति से निपटना :

(1) कंपनी का उत्तरदायित्व :

- (क) आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए निम्नानुसार एक योजना सुनिश्चित करें -

- (i) पुलिस, अग्निशमन विभाग, स्थानीय प्रशासन और अस्पतालों के साथ तालमेल बनाकर आपातकालीन स्थितियों का मुकाबला करें;
- (ii) आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए आपातकालीन कक्ष में चौबीसों घंटे सातों दिन एक व्यक्ति की उपस्थिति सुनिश्चित करें;
- (iii) आपातकालीन स्थितियों में व्यक्तियों की अलग-अलग भूमिकाएं बताते हुए एक स्पष्ट उत्तरदायित्व चार्ट बनाएं;

- (ख) आपदा प्रबंधन योजना की उपलब्धता सुनिश्चित करें जिसकी एक प्रति बोर्ड तथा स्थानीय प्रशासन और उस क्षेत्र की राज्य सरकार, जहां से पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन गुजर रही है, को उपलब्ध कराई जाए।

(2) उपभोक्ता का उत्तरदायित्व :

- (क) किसी ज्यादा खतरनाक स्थिति के बारे में यथाशीघ्र कंपनी सूचित करें;
- (ख) आपातकालीन स्थिति पर काबू पाने के लिए, यदि अपेक्षित हो, कंपनी के कार्मिक की सहायता करें।

5. डेटाबेस का अनुरक्षण

कंपनी का उत्तरदायित्व :

बोर्ड की डेटा आवश्यकताओं और प्राप्त हुई उपभोक्ताओं की शिकायतों तथा उस पर की गई कार्रवाई के रिकॉर्ड के प्रबंधन के लिए एक विश्वसनीय डेटाबेस प्रबंधन तंत्र बनाना।

अनुसूची-छ

[विनियम 16(1) (घ) देखें]

पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन के प्राधिकार की समाप्ति की प्रक्रिया

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन बिछाने, निर्माण, प्रचालन और उसका विस्तार करने के लिए कंपनियों को प्राधिकृत करना) विनियम, 2010 के विनियम 16 के उपबंधों के अनुसार कंपनी द्वारा चुक करने पर पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन बिछाने, निर्माण, प्रचालन और उसका विस्तार करने हेतु कंपनी के प्राधिकार को समाप्त करने की प्रक्रिया इस प्रकार है -

1. बोर्ड द्वारा प्राधिकार को समाप्त करने का अनुमोदन देने पर कंपनी द्वारा नोटिस की प्राप्ति की तारीख से तीस दिनों की अवधि के अंदर पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन निवेश, देयताओं में चल रहे क्रियाकलापों का विस्तृत विवरण और ऐसी अन्य सूचना, जो बोर्ड द्वारा निर्देशित हो, प्रस्तुत करनी होगी;
2. कंपनी को तब तक उसी स्तर पर पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन का प्रचालन जारी रखना होगा जब तक कि बोर्ड के निर्णयानुसार अन्य एजेंसी अथवा कंपनी पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन का पूरा नियंत्रण अपने हाथ में न ले लें। बोर्ड के पास पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन के प्रबंधन और प्रचालन के लिए किसी अन्य एजेंसी अथवा फर्म को उस समयावधि तक और उन शर्तों और निबंधनों पर नियुक्त करने का अधिकार होगा, जिन्हें यह उपयुक्त समझे;
3. बोर्ड, एक विज्ञापन जारी करने के माध्यम सहित किसी ऐसे तरीकों, जिसे वह उपयुक्त समझे, पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन के प्रबंधन और प्रचालन का कार्य अपने हाथ में लेने की इच्छुक कंपनियों से बोलियाँ अथवा अभिरुचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित कर सकता है;
4. अभिरुचि की अभिव्यक्ति अथवा बोलियाँ, जैसा भी मामला हो, प्राप्त होने पर बोर्ड मूल्यांकन और उसके पश्चात् प्राधिकार देने संबंधी प्रक्रिया पर उपयुक्त विचार कर सकता है और दोषी कंपनी से पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन का प्रचालन अपने हाथ में लेने के लिए कंपनी का चयन कर सकता है;
5. दोषी कंपनी को किसी ऐसे दायित्व, जो उसके पिछले कार्यों के कारण बाद में सामने आएँ, के लिए नई प्राधिकृत कंपनी को क्षतिपूर्ति करने का वचनपत्र देना होगा।

अनुसूची - ज
(विनियम 17(1) देखें)

निर्धारित दिन से पूर्व केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राधिकृत पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन के लिए उपलब्ध कराई जाने वाली सूचना

सेवा में
सचिव,
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड,
पहला तल, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर,
बाबर रोड,
नई दिल्ली - 110 001

विषय: <मूल स्थल> से <अंतिम सुपुर्दगी स्थल> तक पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन के संबंध में सूचना

(सूचना प्रदान करने हेतु यदि आवश्यक हो, अलग शीट संलग्न करें)

भाग-1 - कंपनी और पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन परियोजना का सामान्य, तकनीकी और वित्तीय विवरण		
1.	कंपनी का ब्यौरा	
क	कंपनी का नाम	
ख	फर्म का प्रकार - पब्लिक लिमिटेड कंपनी/निजी लिमिटेड कंपनी/साझेदारी फर्म/प्रोपराइटरशिप फर्म साझेदारी दस्तावेज, आदि अन्य (कृपया स्पष्ट करें) (संगम-जापन/भागीदारी विलेख, आदि की प्रति संलग्न करें।	
ग	निगमन की तिथि और व्यवसाय शुरू करने की तिथि	
घ	पंजीकृत कार्यालय का पता	
ड.	सभी निदेशकों/साझेदारों/प्रोपराइटर के नाम, पते, टेलिफोन नम्बर, ई-मेल पते (कृपया एसटीडी कोड और पिन कोड साइन पूरा विवरण दें)।	
च.	निर्धारित दिन से पहले पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन बिछाने, निर्माण, प्रचालन अथवा उसका विस्तार करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा दिए गए प्राधिकार का ब्यौरा। कंपनी द्वारा उपलब्ध कराने हेतु उपयुक्त समझे जाने वाले अनापत्ति प्रमाण-पत्रों,	

	अनुमतियों, आदि का विवरण। (प्राधिकारी और अन्य दस्तावेजों की प्रतियां संलग्न की जाएं) ।	
2.	वित्तीय ब्यौरा	
क	शेयर पूंजी/स्वामी की अपनी निधियां	
ख	ऋण-राशि, अवधि, ऋण स्थगन अवधि, ब्याज दर, किससे लिया और उसे प्राप्त करने के लिए रहन रखी गई परिसंपत्ति (यदि कोई हो)।	
ग	रिजर्व, यदि कोई हो	
घ.	स्थायी परिसंपत्ति	
ड.	वर्तमान परिसंपत्ति	
च.	वर्तमान देयताएं	
छ	बिक्री कारोबार	
ज	कर पश्चात् लाभ	
	(पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लेखा-परीक्षित लाभ और हानि लेखाओं और तुलन-पत्रों की प्रतियां) - यदि कंपनी एक सहायक कंपनी है तो मूल कंपनी के गत तीन वित्तीय वर्षों के लेखा-परीक्षित लाभ और हानि लेखाओं और तुलन-पत्रों की प्रतियां संलग्न की जाएं।	
3	फर्म की व्यावसायिक गतिविधियां	
क	संस्थापन वर्ष के साथ परिसंपत्तियों की मूल लागत और डब्ल्यूडीवी परिसंपत्ति, पेट्रोलियम और गत तीन वर्षों के दौरान पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन प्रशुल्क आदि।	
ख.	पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन बिछाने, निर्माण, प्रचालन और उसका विस्तार करने के लिए किसी अन्य कंपनी के साथ किए गए तकनीकी अथवा प्रचालनात्मक सहयोग अथवा करार का ब्यौरा।	
ग	किसी अन्य व्यवसाय, यदि कोई हो, का विवरण जो प्रवर्तक द्वारा गत तीन वर्षों से चलाया जा रहा हो।	
4	स्वामित्व और संबद्धता विवरण	
क	प्रवर्तकों का विवरण	
ख	व्यावसायिक संबंधों का उल्लेख करते हुए कंपनी से	

	संबंध संस्थाओं का विवरण।	
ग	कंपनी अपने और अपनी संबंधित कंपनियों के सभी संगत रिकार्ड और दस्तावेज बोर्ड मांग पर प्रस्तुत करने का वचन देती है।	हां/नहीं
घ.	कंपनी संबद्ध आचार संहिता के लिए संगत विनियमों का पालन काने का वचन देती है।	हां/नहीं
ड.	क्या फर्म कंपनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत एक निगमित निकाय है?	हां/नहीं
च	क्या फर्म कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पंजीकृत कंपनी द्वारा विकसित हो?	हां/नहीं
छ	(यदि यहां सूचना देते समय फर्म एक निगमित निकाय नहीं है) तो क्या प्राधिकार प्राप्त करने पर फर्म कंपनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत एक कंपनी बनाने का वचन देती है।	हां/नहीं
5	पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन का तकनीकी ब्यौरा	
क	पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन का नाम	
ख	पेट्रोलियम उत्पादों के लिए सभी ब्रांच लाइनों, प्रवेश और निकासी स्थलों पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन में इंटर-कनेक्टिविटी के मौजूदा और प्रस्तावित स्थलों के ब्यौरे सहित पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन के मार्ग, खण्ड-वार लंबाई दर्शाने वाला भौतिक नक्शा।	
ग	पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन में अवसंरचना की तकनीकी विशिष्टियां। <u>टिप्पणी:</u> (क) निवेश के लिए प्रबंधन के अनुमोदन सहित डीएफआर की प्रति संलग्न करें, और (ख) पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन की क्षमता, डिजाइन, दबाव, दर, व्यास, मोटाई, श्रेणी, आदि, पाइपलाइन जंग संरक्षण व्यवस्था, मेन ब्लॉक वाल्वों, पृथक्करण वाल्वों, आपातकालीन शटडाउन वाल्व, मीटर व्यवस्था, एमएलपीयू, मध्यवर्ती और सुपुर्दगी स्टेशन, तकनीकी मानक और विशिष्टियों का पूरा ब्यौरा	

	उपलब्ध कराएं जिसमें सुरक्षा मानकों का पालन किया जा रहा हो।	
घ.	पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन परियोजना के लिए परिकल्पित विकास योजना - क्षमता बढ़ाने के लिए चरणबद्ध योजनाओं तथा पूंजीगत व्यय के बयौरे सहित पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन का डिजाइन और स्थापित क्षमता उपलब्ध कराएं।	
ड.	क्या कंपनी ने नियत दिन को पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन बिछाने, निर्माण, प्रचालन या विस्तार करने के लिए अपेक्षित अधिकार प्राप्त कर लिया है? <u>टिप्पणी:</u> (क) यदि उत्तर नहीं है तो कृपया विशेष कारण बताएं। (ख) यदि हां, तो दस्तावेजी प्रमाण उपलब्ध कराया जाए।	हां/नहीं
च	कंपनी द्वारा वास्तव में प्राप्त वर्ष-वार प्रगति: (i) पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन में वास्तविक आधारभूत ढांचे का सृजन उपलब्ध कराया जाए; (ii) शीर्ष-वार सृजित नियत परिसंपत्ति का मूल्य और नियत दिन तक सृजित आधारभूत ढांचे से संबंधित पूंजीकृत कार्य प्रगति; और (iii) परियोजना की डीएफआर तथा प्राधिकरण की निबंधन और शर्तों में विनिर्दिष्ट लक्ष्यों में उल्लिखित अनुसार स्तर के साथ उप-खण्ड (i) और (ii) की तुलना। इसका उद्देश्य अधिक समय और लागत लगने से बचना है, जो पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन प्रशुल्क पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। <u>टिप्पणी:</u> (क) शीर्ष-वार सृजित परिसंपत्तियों तथा बही खातों में नियत परिसंपत्तियों के रूप में प्रदर्शित	समय-अनुसूची तथा डीएफआर में विनिर्दिष्ट लक्ष्यों के संदर्भ में कार्यकलाप-वार सूचित प्रतिशत पूरा होना।

	परिसंपत्तियों का दस्तावेजी प्रमाण संलग्न किया जाए। (ख) पूंजीगत कार्य प्रगति के संबंध में पूर्णता चरण दर्शाया जाए और उसकी डीएफआर में दर्शाए अनुसार तुलना की जाए। (ग) कंपनी द्वारा वास्तव में की गई वित्तीय प्रतिबद्धता का ब्यौरा दिया जाए और उससे दस्तावेजी प्रमाण को अलग से दर्शाया जाए। (घ) कृपया डीएफआर में विनिर्दिष्ट अनुसार पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन को बिछाने, निर्माण, प्रचालन और विस्तार करने के कार्यकलापों की सूच्य-अनुसूची और विशिष्ट लक्ष्यों को पूरा करने में कमी, यदि कोई हो, के विशिष्ट कारण बताएं।	
छ	पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन के लिए पेट्रोलियम उत्पादों के स्रोत हेतु कंपनी द्वारा की गई व्यवस्था का पूरा ब्यौरा उपलब्ध कराया जाए। यदि कंपनी ने कोई सुदृढ़ क्षमता समझौता प्राप्त किया है तो उस व्यवस्था की प्रतियां संलग्न की जाएं।	
ज	i) पिछले तीन वर्षों के दौरान पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन में वास्तव में परिवहन किए गए पेट्रोलियम उत्पादों की क्षमता उपयोग सहित मात्रा; ii) डीएफआर में अनुमानों की तुलना में परिवहन की गई वास्तविक मात्रा में भिन्नता के कारण; iii) परियोजना के शेष आर्थिक जीवन काल के दौरान वार्षिक आधार पर परिवहन और बिक्री किए जाने वाले प्रस्तावित पेट्रोलियम उत्पादों की मात्रा। <u>टिप्पणी:</u> (क) मात्रा एमएमटीपीए या टीएमटी में दर्शाई जाए। (ख) प्रत्येक प्रशुल्क क्षेत्र के लिए टीओपी-वार, ग्राहक-वार उपलब्ध कराई जाने वाली वास्तविक मात्रा। (ग) कंपनी द्वारा पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद	

	पाइपलाइन के लिए क्षमता समझौता सुनिश्चित करने संबंधी करार का ब्यौरा स्पष्ट रूप से दर्शाया जाना चाहिए। (घ) सुनिश्चित क्षमता समझौता करने के मामले में करार की प्रतियां उपलब्ध कराई जाएं।	
झ	क्या पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन बिछाने, निर्माण, विस्तार या प्रचालन का डिजाइन तैयार करते समय बोर्ड द्वारा अधिसूचित अनुसार सुरक्षा मानकों सहित तकनीकी मानकों, विशिष्टियों पर विचार और उनका अनुपालन किया गया है? कृपया ब्यौरा दें।	हां/नहीं
ञ	कंपनी द्वारा पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन परियोजना पर लागू अनुसार केन्द्रीय और राज्य सरकारें तथा अन्य सांविधिक प्राधिकारियों से प्राप्त सभी आवश्यक सांविधिक अनुमोदन, अनुमतियां और प्रमाण-पत्र की प्रतियां उपलब्ध कराएं।	
ट	आपातकाल प्रतिक्रिया और आपदा प्रबंधन योजना की प्रति संलग्न करें।	
ठ	क्या परियोजना किसी राजसहायता या किसी छूट या आस्थगन या राज्य/केन्द्र सरकार से आयकर सहित किसी सांविधिक शुल्क में छूट के लिए पात्र है? यदि हां, तो कंपनी के वर्ष-वार उपयोग प्रमाण दर्शाते हुए पूर्ण ब्यौरा दें।	हां/नहीं
भाग-II - कंपनी द्वारा संमत समझी गई कोई अन्य प्रस्तुति		
टिप्पणी: बोर्ड तिमाही आधार पर कंपनी के लिए निर्धारित लक्ष्यों की तुलना में कंपनी द्वारा वास्तव में की गई प्रगति की निगरानी करेगा और किसी अपवर्तन या कमी, जो अनुसूची घ में सूचित अनुसार ढंग से वार्षिक आधार पर निर्धारित किए जाने होते हैं, पर आगे कार्यवाई करेगा।		

घोषणा

1. प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त सूचना मेरी/हमारी पूरी जानकारी तथा विश्वास से सही है और इस आवेदन के साथ अनुबन्ध तथा विवरण के रूप में दी गई सूचना सही, पूर्ण और सच्चाई से वर्णित हैं और यदि इसमें दिया गया कोई विवरण असत्य पाया जाता, तो आवेदन अस्वीकार कर दिया जाएगा, तो मैं/हम इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत कार्यवाई किए जाने और दण्ड दिए जाने के उत्तरदायी हूँगा/होंगे।

2. मैं/हम बोर्ड द्वारा अपेक्षित अतिरिक्त सूचना या आंकड़े निर्धारित समय में उपलब्ध कराने का भी वचन देता हूँ/देते हैं।

तारीख:

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम और हस्ताक्षर

स्थान:

आधिकारिक सील

अनुसूची झ
[देखें विनियम 18 (1)]

कंपनियां, जो केन्द्र सरकार द्वारा प्राधिकृत नहीं हैं, को पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन हेतु प्राधिकार प्रदान करने के लिए आवेदन

सेवा में,
सचिव,
पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड,
प्रथम तल, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर,
बाबर लेन, कनॉट प्लेस,
नई दिल्ली-110001

विषय : पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन <नाम> <मूल स्थल> से <अंतिम ऑफ-टेक/सुपुर्दगी प्वाइंट> तक प्राधिकरण प्रदान करने के आवेदन

(आवेदन सूचना प्रदान करने के लिए जहां-कहीं जरूरी हो, पृथक शीट लगाएं)

भाग-I - कंपनी और पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन परियोजना का सामान्य, तकनीकी और वित्तीय ब्यौरा		
1.	कंपनी का ब्यौरा	
क.	कंपनी का नाम	
ख.	फर्म का प्रकार - सार्वजनिक लिमिटेड कम्पनी/निजी लिमिटेड कम्पनी/सहभागिता फर्म/स्वामित्व वाली फर्म/अन्य (कृपया उल्लेख करें) (साझेदारी के नियमों, सहभागिता विलेख, आदि की प्रति संलग्न करें)	
ग.	संस्थापन की तारीख और कारोबार आरम्भ करने की तारीख	
घ.	पंजीकृत कार्यालय का पता	
ड.	सभी निदेशकों/साझेदारों/प्रोपराइटर के नाम, पते, दूरभाष संख्या, ई-मेल आईडी (कृपया एसटीडी कोड और पिन कोड सहित पूरा ब्यौरा दें)	
2	विनियम 18 के उप-विनियम (2) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट अनुसार पात्रता मानदण्ड के समर्थन में कंपनी द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सूचना और आंकड़े।	
क	विनियम 5 (6) (क) के अंतर्गत अप्रतिदेय आवेदन शुल्क	रुपए < _____ >
	डिमांड ड्राफ्ट या पे आर्डर	
	डिमांड ड्राफ्ट या पे आर्डर संख्या और तारीख	

	जारी करने वाले बैंक और शाखा का नाम	
ख	कंपनी पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन बिछाने और निर्माण करने के लिए तकनीकी रूप से सक्षम है।	
	विनियम 5 (6) (ख), (i) से (iv) के अंतर्गत अर्हक मानदण्ड के अनुसार कंपनी की तकनीकी क्षमता के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य संलग्न किए जाएं।	
ग	कंपनी पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन का प्रचालन और रखरखाव करने के लिए तकनीकी रूप से सक्षम है।	
	विनियम 5 (6) (ग), (i) से (iv) के अंतर्गत अर्हक मानदण्ड के अनुसार कंपनी की तकनीकी क्षमता के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य संलग्न किए जाएं।	
घ	कंपनी सुरक्षा मानकों सहित तकनीकी मानकों और विशिष्टियों के लिए संगत विनियमों का पालन करने की सहमति देती है।	हां/नहीं
ड.	कंपनी के पास पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन का कार्यान्वयन, प्रचालन और उसका रखरखाव करने के लिए पर्याप्त वित्तीय व्यवस्था है और वह विनियम 5(6) (ड.) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट अनुसार न्यूनतम संयुक्त निवल मूल्य के वित्तीय मानदण्ड को पूरा करता है। टिप्पणी: सनदी लेखाकार द्वारा विधिवत प्रमाणित न्यूनतम संयुक्त निवल मूल्य की गणना के समर्थन में सभी दस्तावेज संलग्न किए जाएं।	
च.	कंपनी की धारा 28 या अधिनियम के अध्याय-IX के अंतर्गत कोई दण्ड लगाया गया है? यदि हां, तो कृपया पूरा ब्यौरा प्रस्तुत करें।	हां/नहीं
छ.	कंपनी द्वारा पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन परियोजना पर लागू अनुसार केन्द्रीय और राज्य सरकारें तथा अन्य सांविधिक प्राधिकारियों से प्राप्त सभी आवश्यक सांविधिक अनुमोदन, अनुमतियां और प्रमाण-पत्र की प्रतियां उपलब्ध कराएं।	हां/नहीं
ज.	यदि कंपनी, कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत पंजीकृत कंपनी नहीं है तो कंपनी प्राधिकार मिलने पर कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत पंजीकृत कंपनी बनने का वचन देती है। कंपनी के प्रमोटर का पूरा ब्यौरा उपलब्ध कराया जाए।	हां/नहीं

	<u>टिप्पणी:</u> यदि कंपनी, कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत पंजीकरण से छूट पाना चाहती है तो बोर्ड को विस्तृत औचित्य दिया जाए।	
झ	पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन की तकनीकी विशिष्टियां	
	पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन के मार्ग, खण्ड-वार लंबाई का ब्यौरा जिसके वास्तविक नक्शे में निम्नलिखित को दर्शाया जाए: (i) पेट्रोलियम उत्पादों के लिए प्रवेश और निकासी स्थल (ii) मध्यवर्ती टैप-ऑफ स्थल (iii) ब्रांच लाइनें, (iv) पंपिंग स्टेशन (v) पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन के साथ अंतर कनेक्शन स्थल <u>टिप्पणी:</u> पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन की क्षमता, डिजाइन, दबाव, दर, व्यास, मोटाई, श्रेणी, आदि, पाइपलाइन जंग संरक्षण व्यवस्था, मेन ब्लॉक वाल्वों, पृथक्करण वाल्वों, आपातकालीन शटडाउन वाल्व, मीटर व्यवस्था, एमएलपीवी, मध्यवर्ती और सुपुर्दगी स्टेशन, तकनीकी मानक और विशिष्टियों का पूरा तकनीकी ब्यौरा अलग से उपलब्ध कराएं जिसमें सुरक्षा मानकों का पालन किया जा रहा हो।	हां/नहीं
ञ	नियत दिन को पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन बिछाने, निर्माण, प्रचालन या विस्तार करने में वास्तविक और वित्तीय प्रगति का ब्यौरा:	
	i) परियोजना के डीएफआर की प्रति संलग्न की जाए। <u>टिप्पणी:</u> कंपनी अपने प्रबंधन द्वारा परियोजना के डीएफआर के अनुसार निवेश के औपचारिक अनुमोदन के दस्तावेजी प्रमाण को भी संलग्न करेगा।	
	ii) क्या प्रस्तावित पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन परियोजना की डीएफआर, जिसके लिए प्राधिकार मांगा जा रहा है, का किसी वित्तीय संस्थान द्वारा मूल्यांकन कर लिया गया है।	हां/नहीं

	iii) स्थापित क्षमता, यदि कोई हो, को बढ़ाने के लिए पूंजी व्यय हेतु चरणबद्ध योजनाओं के ब्यौरे सहित पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन के डिजाइन और स्थापित क्षमता के संबंध में उपलब्ध कराई गई परियोजना।	
	iv) क्या कंपनी ने नियत दिन को पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन बिछाने, निर्माण, प्रचालन या विस्तार करने के लिए अपेक्षित अधिकार प्राप्त कर लिया है? <u>टिप्पणी:</u> (क) यदि उत्तर नहीं है तो कृपया विशेष कारण बताएं। (ख) यदि हां, तो दस्तावेजी प्रमाण उपलब्ध कराया जाए।	हां/नहीं
	v) पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन के लिए पेट्रोलियम उत्पादों के स्रोत हेतु कंपनी द्वारा की गई व्यवस्था का पूरा ब्यौरा उपलब्ध कराया जाए। यदि कंपनी ने कोई सुदृढ़ क्षमता समझौता प्राप्त किया है तो उस व्यवस्था की प्रतियां संलग्न की जाएं।	
	vi) कंपनी द्वारा समय अनुसूची और डीएफआर में विनिर्दिष्ट लक्ष्यों की तुलना में नियत दिन से तत्काल पहले दिन तक प्राप्त पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन बिछाने, निर्माण, प्रचालन या विस्तार करने में प्राप्त वास्तविक प्रगति। <u>टिप्पणी:</u> (क) कंपनी द्वारा वास्तव में की गई वास्तविक प्रगति को साबित करने की जिम्मेदारी कंपनी की है और कंपनी इसके समर्थन में सभी आवश्यक दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत करेगी। (ख) परियोजना की समय अनुसूची तथा डीएफआर के लक्ष्यों में विनिर्दिष्ट अनुसार स्तर के साथ वास्तविक प्रगति की तुलना का उद्देश्य अधिक समय और लागत लगने से बचना है जो पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन शुल्क पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। (ग) कृपया कमियां, यदि कोई हों, के लिए विशिष्ट कारण उपलब्ध कराएं।	<प्रतिशत के अनुसार>

	(vii) कंपनी द्वारा व्यवहार्यता रिपोर्ट में चयनित अनुमानित पूंजी व्यय की तुलना में नियत दिन से तत्काल पहले दिन तक पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन परियोजना में की गई वास्तविक वित्तीय वचनबद्धता की सीमा। <u>टिप्पणी:</u> (क) भौतिक आधारभूत ढांचे के वर्ष-वार सृजित सकल और निवल ब्लॉक परिसंपत्ति-शीर्षवार अलग से उपलब्ध कराए जाएं। (ख) पूंजी कार्य प्रगति का ब्यौरा और पूर्णता का स्तर दर्शाया जाए। (ग) कंपनी द्वारा वास्तव में वित्तीय वचनबद्धता प्रमाणित करने का दायित्व कंपनी का होता है और कंपनी इसके समर्थन में सभी आवश्यक दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत करेगी।	<प्रतिशत के अनुसार>
	(viii) पिछले तीन वर्षों के दौरान नियत दिन तक पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन में परिवहित पेट्रोलियम उत्पादों की मात्रा तथा वास्तविक परिवहन की गई मात्रा बनाम डीएफआर में इस संबंध में लगाए गए अनुमान में भिन्नता का कारण। <u>टिप्पणी:</u> (क) मात्रा संबंधी आंकड़े टीओपी-वार, क्षेत्र-वार और ग्राहक-वार अलग से उपलब्ध कराए जाने चाहिए। (ख) परियोजना के शेष आर्थिक जीवन काल के दौरान वार्षिक आधार पर परिवहित तथा क्षेत्र-वार और ग्राहक-वार दिए गए प्रस्तावित पेट्रोलियम उत्पादों की मात्रा को अलग से दर्शाए जाएं। (ग) कंपनी द्वारा किए गए क्षमता करार का खुलासा किया जाए और प्राप्त क्षमता अनुबंध, यदि कोई हो, के लिए करार की प्रति संलग्न की जाए। (घ) मात्रा एमएमटीपीए या टीएमटी में दर्शाई जाए।	<प्रतिशत के अनुसार>
	(ix) कंपनी द्वारा उसके प्रबंधन द्वारा अनुमोदित अनुसार आंतरिक प्रक्रियाओं और मार्गदर्शिकाओं की प्रतियां संलग्न की जाएं जिसमें कंपनी द्वारा सुरक्षा मानकों और ग्राहकों को गुणवत्ता सेवाओं, यदि कोई हो, सहित किसी तकनीकी	

	मानकों का अनुपालन आधार दर्शाया गया हो।	
3.	कंपनी का वित्तीय ब्यौरा	
क	शेयर पूंजी/स्वामी की अपनी निधियां	
ख	ऋण-राशि, अवधि, ऋण स्थगन अवधि, ब्याज दर, किससे लिया और उसे प्राप्त करने के लिए रहन रखी गई परिसंपत्ति यदि कोई हो।	
ग	रिजर्व, यदि कोई हो	
घ.	स्थायी परिसंपत्ति (क्षीब-आर परिसंपत्ति ब्यौरा)	
ङ.	वर्तमान परिसंपत्ति	
च.	वर्तमान देयताएं	
छ	बिक्री कारोबार	
ज	कर पश्चात् लाभ	
	(पिछले तीन वित्तीय वर्षों की लेखा-परीक्षित लाभ और हानि लेखों और तुल्य पत्रों की प्रतियां संलग्न करें) - यदि आवेदक एक सहायक कंपनी है तो मूल कंपनी की गत तीन वित्तीय वर्षों की लेखा-परीक्षित लाभ और हानि लेखों और तुल्य-पत्रों की प्रतियां (संलग्न करें)।	
4.	कंपनी के व्यापार कार्यकलाप	
क	चालू किए जाने के वर्ष के साथ परिसंपत्तियों की मूल लागत और डब्ल्यूडीवी, प्रचालन लागतों का विस्तृत ब्यौरा, पिछले तीन वर्षों के दौरान लिया गया पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन प्रशुल्क, आदि।	
ख	पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन परियोजना के संबंध में किसी अन्य कंपनी के साथ किया गया तकनीकी अथवा प्रचालनात्मक समझौता अथवा सहयोग का ब्यौरा (ऐसे करार, समझौता-ज्ञापन अथवा एचओए की प्रतियां संलग्न करें)।	
ग	पिछले तीन वर्षों में प्रवर्तकों द्वारा किए जा रहे अन्य व्यवसाय, यदि कोई हो, का ब्यौरा।	
5.	स्वामित्व और संबद्ध कंपनी का ब्यौरा	
क	प्रवर्तकों का ब्यौरा	
ख	कंपनी और संबद्ध कंपनी के बीच कारोबार संबंध का उल्लेख करने वाली कंपनी की सभी संबद्ध कंपनियों का ब्यौरा ("संबद्ध कंपनी" का अर्थ संबद्ध आचरण नियमावली के लिए संगत विनियमों में परिभाषित अनुसार है)।	
ग	आवेदक बोर्ड को अपने तथा अपनी संबंधित कंपनियों के सभी संगत रिकार्डों और दस्तावेजों को बोर्ड को प्रस्तुत करने का वचन देता है।	हां/नहीं

घ	आवेदक संबद्ध आचरण संहिता के लिए संगत विनियमों का पालन करने का वचन देता है।	हां/नहीं
6.	अन्य ब्यौस	
क.	आपातकाल प्रतिक्रिया और आपदा प्रबंधन योजना की प्रति संलग्न करें।	
ख.	क्या परियोजना किसी राजसहायता या किसी छूट या आस्थगन या राज्य/केन्द्र सरकार से आयकर सहित किसी सांविधिक शुल्क में छूट के लिए पात्र है? यदि हां, तो कंपनी के वर्ष-वार उपयोग प्रमाण दर्शाते हुए पूर्ण ब्यौरा दें।	हां/नहीं
भाग-11: बोर्ड द्वारा पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन के लिए प्राधिकरण प्रदान करने हेतु आवेदन के संबंध में कंपनी द्वारा संगत समझी जाने वाली कोई अन्य जानकारी		

घोषणा

1. प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त सूचना मेरी/हमारी पूरी जानकारी तथा विश्वास से सही है और इस आवेदन के साथ अनुबन्ध तथा वक्तव्य के रूप में दी गई सूचना सही, पूर्ण और सच्चाई से वर्णित हैं और इसमें दिया गया कोई वक्तव्य, यदि सही नहीं पाया जाता, तो आवेदन अस्वीकार कर दिया जाएगा, आवेदन शुल्क जब्त कर लिया जाएगा तथा मैं/हम इस अधिनियम के प्रावधानों के लहत कार्रवाई किए जाने और दण्ड दिए जाने के उत्तरदायी होंगे।
2. मैं/हम बोर्ड द्वारा अपेक्षित अन्य कोई सूचना या आंकड़े उपलब्ध कराने का वचन भी देता हूँ।

तारीख
स्थान

कंपनी अथवा प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम
और हस्ताक्षर आधिकारिक सील

अनुसूची-अ

[देखें अनुसूची घ में प्राधिकरण प्रदान करने के फार्म की धारा 11 (ग)]

कंपनी की सेवा बाध्यताएं**1. सामान्य**

क) कंपनी संबंधित स्वीकृति प्राधिकरणों से सभी सांविधिक परमिट, निकासियां और स्वीकृतियां प्राप्त करेगी और उक्त परमिटों, निकासियों तथा स्वीकृतियों की सभी समय पर वैधता सुनिश्चित करेगी।

ख) प्राधिकरण के जारी रहने के दौरान, कंपनी इस प्राधिकरण की शर्तों के अनुसार प्राधिकृत पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति करेगी, अनुमोदित पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन प्रशुल्क लेगी तथा ऐसे संशोधन सहित वर्तमान नियमों और विनियमों का पालन करेगी जिसमें ऐसे संशोधन, जैसी स्थिति हो, शामिल होंगे।

ग) कंपनी विनियम 6 के उप-विनियम (5) के खण्ड (अ) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट अनुसार पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन में अतिरिक्त क्षमता उपलब्ध कराएगी, जो खुली पहुंच और गैर-विभेदकारी आधार पर तृतीय पक्षकार द्वारा सामान्य वाहक आधार पर उपयोग के लिए उपलब्ध होगी।

(घ) कंपनी निम्नलिखित के लिए उपयुक्त प्रणालियां और प्रक्रियाएं व्यवस्थित करेगा:-

- (i) इसकी परिसम्पत्ति की सुरक्षा;
- (ii) पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन के प्रचालन में हानि और अपशिष्ट को रोकना;
- (iii) सुरक्षा मानकों सहित तकनीकी मानकों और विनिर्दिष्टताओं, जैसी कि बोर्ड द्वारा अधिसूचित की गई हैं, का अनुपालन करते हुए पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन का सुरक्षित प्रचालन;
- (iv) ग्राहक शिकायतों का निपटान;

प्राधिकृत कंपनी द्वारा उक्त प्रणालियों और प्रक्रियाओं की एक प्रलेखित प्रति बोर्ड को दी जाएगी। बोर्ड द्वारा यदि कोई संशोधन सुझाए जाते हैं तो कंपनी द्वारा उन्हें करना होगा।

(ड.) प्राधिकृत कंपनी अपनी निजी बाध्यताओं का उल्लेख करेगी तथा पहुंच संहिता के लिए संगत विनियमों में विनिर्दिष्ट अनुसार पेट्रोलियम उत्पादों के स्रोत और परिवहन के लिए ठेकों में अपनी निजी तथा अन्य कंपनियों की बाध्यताओं का उल्लेख करेगी।

- (च) यदि प्राधिकृत कंपनी पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन को बिछाने, निर्माण, प्रचालन या विस्तार करने के अलावा पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पादों के विपणन कार्यकलाप कर रही है तो वह:
- (i) पेट्रोलियम उत्पादों के परिवहन के लिए ठेका के अंतर्गत भुगतान किए जाने वाले अनुमोदित पाइपलाइन प्रशुल्क का रुपए/मी.टन या रुपए/मी.टन/कि.मी. और ठेके में प्रस्तावित अन्य संगत शर्त का उल्लेख करेगा;
 - (ii) ग्राहक पर कोई अनुचित दबाव नहीं डालेगा;
 - (iii) ग्राहक को कोई संवर्धनात्मक सामग्री का प्रस्ताव नहीं करेगा या उपलब्ध कराएगा जो दिए जा रहे ठेके या ग्राहक के साथ किए जा रहे समझौते से मेल न खाता हो;
 - (iv) ऐसा कोई प्रतिवेदन अथवा वक्तव्य अथवा कोई उत्तर नहीं देगा या ऐसा कोई उपाय नहीं करेगा जो असत्य हो या किसी ग्राहक के लिए भ्रामक स्थिति पैदा होने की संभावना हो।
 - (v) संबद्ध आचार संहिता के संगत प्रावधानों के अंतर्गत प्रावधानों का पालन करेगा।
- (छ) कंपनी तकनीक रूप से व्यवहार्य होने पर ग्राहक से अनुरोध प्राप्त होने पर तथा क्षमता की उपलब्धता तथा प्रस्तावित कनेक्टिविटी की तकनीकी और आर्थिक व्यवहार्यता के अधीन पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन प्रशुल्क का भुगतान करने का वचन देने पर पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन में प्रशुल्क क्षेत्र के अंदर कनेक्टिविटी उपलब्ध कराएगी।
- (ज) कंपनी पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन के कार्यकलाप में उपयोग की गई सभी परिसम्पत्तियों का बीमा करेगी और इस संबंध में बीमा पॉलिसी तृतीय पक्ष की देयताओं को भी कवर करेगी।
2. निर्माण, प्रचालन तथा अनुरक्षण
- (क) कंपनी कोई खुदाई अथवा संबंधित कार्य नहीं करेगी जिसमें किसी सड़क/राजमार्ग, जलमार्ग, नहर, नदी, रेलवे क्रासिंग, वन आदि के पथमार्ग के हिस्से की सतह में कोई विघ्न अथवा बाधा डाले जब तक कि उचित प्राधिकारियों और सरकार से ऐसा करने की अनुमति पहले प्राप्त न की गई हो और कंपनी द्वारा तदनन्तर किए गए सभी निर्माण कार्य, पुनःस्थापन कार्य तक और उनके सहित, अनुमोदन प्राधिकारी और सरकार की संतुष्टि के अनुरूप किए जाएंगे।
 - (ख) कंपनी धारा 2(क) में प्रदान की गई अनुमति से अनुमोदन प्राधिकारी और सरकार की स्वीकृति एजेन्सियों की पूर्व स्वीकृति के बिना, विपणन नहीं करेगा।

- (ग) कंपनी पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन प्रणाली के निर्माण, अनुरक्षण और प्रचालन में सभी उचित पूर्वोपायों का उपयोग करेगी ताकि किसी व्यक्ति अथवा परिसम्पत्ति को क्षति अथवा चोट से बचा जा सके। कंपनी अथवा इसके एजेंटों की लापरवाही के कारण होने वाली किसी हानि, चोट अथवा क्षति के लिए कंपनी उत्तरदायी होगी और प्रभावित पक्षों को क्षतिपूर्ति भी करेगा।
- (घ) कंपनी पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन की मॉनिटरिंग और नियंत्रण के लिए एक केन्द्रीकृत नियंत्रण कक्ष स्थापित करेगी और आपदा प्रबन्धन प्रणाली प्रचालनात्मक बनाने के लिए उत्तरदायी होगी।
- (ङ.) कंपनी पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन के विस्तृत "निर्माणानुसार" ड्राइंग सहित मानचित्र, जिनमें पाइपलाइन संबंधित उपकरणों का आकार, गहराई और अवस्थिति निदर्शित मार्ग सहित मार्कर खम्बों की अवस्थिति, पाइपलाइन अनुपात आदि सही से दर्शाया गया हो, बोर्ड को नियमित आधार पर प्रस्तुत करेगी और इसमें किसी परिवर्तन, वर्धन अथवा विलोपन को नियमित रूप से अद्यतन करेगी।
- (च) कंपनी ग्राहक को किसी कनेक्टिविटी प्रदान करने से पहले सभी आवश्यक गुणवत्ता संबंधी जांच और निरीक्षण प्रमाणीकरण का अनुपालन सुनिश्चित करेगी।
- (छ) कंपनी लम्बे समय से उपयोग में नहीं लाई जा रही अथवा अपमार्जित कर दी गई किसी गैस पाइपलाइन के हिस्से, उपकरण आदि को उचित रूप के साथ, पृथक, बन्द अथवा विखण्डित करेगा ताकि पूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके और मानचित्रों तथा ड्राइंग में आवश्यक संशोधन करेगा।
- (ज) कंपनी के पास निरीक्षण, परीक्षण, व्यासमापन और मीटरों तथा उपकरणों की मरम्मत आदि के प्रयोजन के लिए नामित सुविधाओं सहित उचित प्रणालियाँ और प्रक्रियाएँ होंगी।
- (झ) आपदा प्रबन्धन योजना व्यवस्थित करेगा जिसमें आपसी सहायता प्रणाली और स्थल से परे अथवा स्थल पर आपातक योजना शामिल है।
- (ञ) अन्य कोई सेवा दायित्व जो बोर्ड समय-समय पर विनिर्दिष्ट करेगा।

3. कंपनी द्वारा अनुरक्षित की जाने वाली सेवाएं और सूचना

- (क) कंपनी के सभी स्थलों, जहां पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन स्थापित और प्रचलित किया जा रहा है, का वर्तमान डाक पता और दूरभाष संख्या होगी।
- (ख) कंपनी एक डाटाबेस तैयार करेगी और अनुरोध किए जाने पर बोर्ड को निम्न के संबंध में ब्यौरे देगी:-

- (i) ग्राहक और पेट्रोलियम उत्पादों के शिपर का ब्यौरा;
- (ii) ग्राहक और पेट्रोलियम उत्पादों के शिपर के साथ अनुबन्ध की प्रतियां;
- (iii) खण्ड (क) और (ख) में ठेकों के नवीकरण या विस्तार का ब्यौरा।

4. ग्राहक सूचना की गोपनीयता

- (क) कंपनी ग्राहक की लिखित सहमति के बिना बोर्ड के अलावा किसी व्यक्ति को ग्राहक सूचना का खुलासा नहीं करेगी सिवाय जन सूचना पर्याप्त रूप से ऐसे समूहित हो गई हो कि एक वैयक्तिक ग्राहक की सूचना पृथक रूप से चिन्हित नहीं की जा सकती अथवा जब ग्राहक सूचना का निम्नलिखित के लिए खुलासा करना अपेक्षित हो:-
 - (i) बिल दिए जाने अथवा बाजार प्रचालन प्रयोजनों के लिए;
 - (ii) कानून प्रवर्तन प्रयोजना के लिए; और
 - (iii) जब ग्राहक के विगत देय लेखे किसी ऋण संग्रहण एजेन्सी को अन्तरित किए गए हों।
- (ख) कंपनी ग्राहकों को धारा 4(क) में निर्धारित शर्तों के संबंध में सूचित करेगी जिसके अन्तर्गत ग्राहक सूचना ग्राहक की सहमति के बिना किसी तृतीय पक्ष को जारी की जा सकती है।
- (ग) कंपनी ग्राहक सूचना का उपयोग, उस प्रयोजन के सिवाय जिसके लिए यह प्राप्त की गई है, नहीं करेगी।

5. शिकायतें

- (क) कंपनी अपने ग्राहक सेवा केन्द्र के पतों और दूरभाष संख्या को शिकायत दर्ज कराने हेतु प्रदान करेगा और इन्हें समय-समय पर व्यापक तौर पर विज्ञप्ति जारी करेगी।
- (ख) कंपनी प्राप्त शिकायतों का एक समयबद्ध तरीके से निपटान करने में सभी उचित प्रयास करेगी।
- (ग) कंपनी बोर्ड को समय-समय पर निम्न ब्यौरा देने के लिए एक प्रणाली तैयार करेगी:-
 - (i) कंपनी द्वारा प्राप्त अथवा बोर्ड द्वारा भेजी गई शिकायतें;
 - (ii) शिकायत के निपटान की पद्धति और समय;
 - (iii) निपटान के लिए बकाया शिकायत; और
 - (iv) कंपनी द्वारा प्रदान की गई सेवा की गुणवत्ता टिप्पणियां और सुझाव, यदि कोई हों।

[फा. सं. एस-प्रशा/II/8/2010]

रतन पी. वातल सचिव

PETROLEUM AND NATURAL GAS REGULATORY BOARD**NOTIFICATION**

New Delhi, the 1st, September, 2010

G.S.R. 722(E).—In exercise of the powers conferred by section 61 of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Act, 2006 (19 of 2006), the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board hereby makes the following regulations, namely:-

1. Short title and commencement.

- (1) These regulations may be called the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Authorizing Entities to Lay, Build, Operate or Expand Petroleum and Petroleum Products Pipelines) Regulations, 2010.
- (2) These shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.

- (1) In these regulations, unless the context otherwise requires,-
 - (a) "Act" means the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board Act, 2006;
 - (b) "appointed day" means the date of October 1, 2007 when the Central Government notified the establishment of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board;
 - (c) "Board" means the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board established under sub-section (1) of section 3 of the Act;
 - (d) "development of petroleum and petroleum products pipeline" means laying, building, operating or expanding a petroleum and petroleum products pipeline;
 - (e) "economic life" of petroleum, petroleum products pipeline shall be a period of twenty five years commencing from-
 - (i) the date of grant of authorization to the entity by the Board in case an entity proposes to lay, build or expand a petroleum and petroleum products pipeline on or after the appointed day;
 - (ii) the start-up date of the commencement of physical activities of laying, building or expanding the petroleum and petroleum products pipeline in case an entity started up laying, building or expanding a petroleum and petroleum products pipeline before the appointed day and the entity has either an authorization from the Central Government before the appointed day or an authorization from the Board under these regulations;

Provided that at the end of the aforesaid period of twenty five years, extension of the period of economic life may be considered by the Board for a block of ten years at a

time depending on the satisfactory compliance of the service obligations under these regulations and on such terms and conditions, as it may deem fit at that point in time;

- (f) "extension of pipeline" means increase in length of pipeline in either direction for transportation of petroleum and petroleum products from an existing pipeline or branch line to another geographical location without increase in capacity of the pipeline as determined by the Board under relevant regulations;
- (g) "expansion of pipeline" means increase in the capacity of existing pipeline beyond its previously authorized capacity due to installation of additional facilities such as pumping capacity, addition of pumping stations or loop lines etc. Expansion of pipeline may also include extension of the existing pipeline in either direction as long as it increases the capacity of the pipeline and in that case it shall be treated as expansion of the pipeline and not extension;
- (h) "line balancing tanks" means such intermediate petroleum products tanks as are required to be provided at the pipelines converging or diverging at a common point of two or more pipelines of one or more entities to balance out the product batch size or flow rates, or both;
- (i) "petroleum and petroleum products pipeline" means any pipeline including a branch or spur lines for transport of petroleum and petroleum products and includes all connected infrastructure such as pumps, metering units, storage facilities at originating, delivery, tap off points or terminal stations and the like connected to the common carriers or contract carriers including line balancing tanks and tankage required for unabsorbed interface, essential for operating a pipeline system but excluding pipelines, which are dedicated for supply of petroleum products to a specific consumer which are not for resale;

Provided that the transporter may own, hire, outsource or use on hospitality basis such connected facilities on non discriminatory basis;

- (j) "petroleum and petroleum products pipeline tariff" means the unit rate of tariff for a petroleum and petroleum products pipeline (excluding statutory taxes and levies) in rupees per metric tonnes or in rupees per metric tonnes per kilo meter (Rs./MT/KM) for transport of petroleum and petroleum products and for the purpose of determination of tariff for petroleum and petroleum products pipeline, the Board shall be guided by the provisions of section 22 of the Act;
- (k) "originating pump station" means facilities installed at the start of the pipeline system for developing required fluid pressure so as to achieve desired flow rates in the pipeline system;
- (l) "intermediate pump station" means the installation located at any place between starting point and the terminal point having pumps to enhance the pressure of the fluid to achieve desired flow rate;
- (m) "tap off point(TOP)" means a facility on the pipeline from where the petroleum products are diverted into a delivery terminal or into a spur line or another pipeline and this may also be called the intermediate delivery station;

- (n) "terminal station" means a facility to receive products at the end of the pipeline and this may include the tankage for storage of petroleum and petroleum products;
- (o) "unsuccessful entity" means an entity which participated in the bid but could not succeed in getting authorization;
- (p) "shipper" means an entity and also includes a consumer who intends to utilize the capacity in the pipeline for transmission of petroleum and petroleum products;
- (2) Words and expressions used and not defined in these regulations, but defined in the Act or in the rules or regulations made there under, shall have the meanings respectively assigned to them in the Act or in the rules or regulations, as the case may be.

3. Applicability.

These regulations shall apply to an entity-

- (a) which is laying, building, operating or expanding or which proposes to lay, build, operate or expand a petroleum and petroleum products pipeline for transporting one or more petroleum products including LPG and LNG; or
- (b) which proposes or is directed by the Board to convert a dedicated or contract carrier pipeline for supply of petroleum products to a specific consumer into a common or contract carrier petroleum and petroleum products pipeline, as the case may be.

4. Initiation of proposal through expression of interest route or suo-motu by Board.

- (1) An entity desirous of laying, building, operating or expanding a petroleum and petroleum products pipeline shall submit an expression of interest to the Board in the form of an application at Schedule A along with an application fee as specified under the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Levy of Fee and Other Charges) Regulations, 2007 as amended from time to time by the Board.
- (2) The Board may suo-motu initiate a proposal inviting entities to participate in the process of selection of an entity for laying, building, operating or expanding petroleum and petroleum products pipeline along any route.

5. Criteria for selection of entity for expression of interest route.

- (1) In case the expression of interest fulfills the minimum eligibility criteria and the requirements list out at sub-regulation 6, the Board shall issue an open advertisement in at least one national and one vernacular daily newspaper (including webhosting) publishing receipt of an expression of interest and commencement of public consultation period of thirty days;
- (2) During the period of public consultation process, any person, authority or entity may submit in writing to the Board its views, if any, on the expression of interest;

- (3) The Board may web-host all comments received to facilitate possible contracts for capacity booking by different entities with the entities that may be interested in the development of petroleum and petroleum products pipeline so as to facilitate coming up of an optimum sized petroleum and petroleum products pipeline through the bidding process as stated in regulation 7;
- (4) The Board shall, based on the views received, within a period of thirty days after the last day of the public consultation period decide-
- (a) not to allow the proposed petroleum and petroleum products pipeline if it is convinced that, instead of laying, building or expanding the proposed petroleum and petroleum products pipeline, the projected potential demand could be better met in cost-effective manner by expansion of an existing pipeline or any other ground; or
 - (b) to go ahead with the proposal with or without modification:

Provided that the Board in deciding so shall be guided by one or more of the following objectives, namely:-

- (i) promoting competition among entities;
 - (ii) avoiding infructuous investment;
 - (iii) maintaining or increasing supplies or for securing equitable distribution or ensuring adequate availability of petroleum products throughout the country;
 - (iv) protection of consumer interest;
 - (v) facilitating rapid development of petroleum and petroleum products pipeline infrastructure.
- (5) The Board may, within the period specified in sub-regulation (4), publish through an open advertisement in at least one national and one vernacular daily newspaper (including webhosting), the proposal for the development of petroleum and petroleum products pipeline and invite bids for the same.
- (6) The Board shall scrutinize the bids received in response to the advertisement in respect of only those entities which fulfill the following minimum eligibility criteria, namely:-
- (a) entity has paid the application fee along with the application-cum-bid as specified for trunk lines as specified under regulation 3 of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Levy of Fee and Other Charges) Regulations, 2007 as amended from time to time by the Board;
 - (b) entity is technically capable of laying and building petroleum and petroleum products pipeline as per the following qualifying criteria, namely:-
 - (i) entity has on its own, either departmentally or through contractors hired by it in the past, laid and built either a hydrocarbon pipeline of a length not less than three

hundred kilometers on a cumulative basis or a city or local natural gas distribution network;

- (ii) entity has a joint venture with another entity (with at least eleven per cent. equity holding by that entity) which in the past has either laid and built a hydrocarbon pipeline of a length not less than three hundred kilometers on a cumulative basis or a city or local natural gas distribution network;
- (iii) entity intends to lay and build proposed petroleum, petroleum products pipeline on lump sum turnkey or project management consultancy basis through one or more technically competent firms, which in the past have laid and built a hydrocarbon pipeline of a length not less than three hundred kilometers or a city or local natural gas distribution network and the entity shall also enclose a list of such firms along with aforesaid proof of their technical competence:

Provided that the entity shall have the freedom to choose such firms at the time of execution of the project and the Board reserves the right to cross verify the credential of the firms included in the list and seek clarifications; or

- (iv) entity has an adequate number of technically qualified personnel with experience in construction and pre-commissioning of hydrocarbon pipelines to independently undertake and execute the petroleum and petroleum products pipeline project on a standalone basis;

Explanation.- The entity shall have at least three technically qualified personnel on its permanent rolls having experience of not less than one year in the following areas, namely:-

- (a) right of way acquisition or clearance securing;
 - (b) design and execution of a hydrocarbon pipeline project;
 - (c) pre-commissioning including hydro-testing and restoration; and
 - (d) safety of hydrocarbon pipeline and installations;
- (c) entity is technically capable of operating and maintaining petroleum and petroleum products pipeline as per the following qualifying criteria, namely:-
 - (i) entity on its own has an experience of at least one year in operations and maintenance of a petroleum and petroleum products pipeline of a length not less than three hundred kilometers on a cumulative basis;
 - (ii) entity has a joint venture with another entity (with at least eleven per cent. holding of that entity) which has an experience of at least one year in operations and maintenance of a petroleum and petroleum products pipeline;
 - (iii) entity intends to operate and maintain the proposed petroleum, petroleum products pipeline through an appropriate firms' technical assistance agreement for a period of at least one year with another party having experience of at least one year in operations and maintenance of a petroleum and petroleum products pipeline; or

- (iv) entity has an adequate number of technically qualified personnel with experience in commissioning and operation and maintenance (O&M) of petroleum, petroleum products pipeline and also has a plan to independently undertake the O&M activities of a petroleum, petroleum products pipeline on a standalone basis;

Explanation-

1. In relation to sub-clause (iii), –
 - (a) the entity shall submit in its application-cum-bid an exhaustive list of proposed firms with whom it desires to have a technical assistance agreement along with the proof of relevant experience of such firms and the entity may choose a firm or more from amongst the firms in this list for operation and maintenance of the proposed petroleum and petroleum products pipeline and the Board reserves the right to cross verify the credential of the firm or firms included in this list and seek any clarifications;
2. In relation to sub-clause (iv), the entity shall have at least three technically qualified personnel on its permanent rolls having experience of not less than one year in the following areas, namely:-
 - (a) commissioning of a hydrocarbon pipeline;
 - (b) operation and maintenance of petroleum and petroleum products pipelines and petroleum products installations;
 - (c) commercial and transport management issues including pricing, measurement, accounting, billing and collection; and
 - (d) safety of petroleum products infrastructure;
- (d) the entity has adequate financial strength to execute the proposed petroleum, petroleum products pipeline project and operate and maintain the same and shall meet the following financial criterion to qualify for bidding for a single petroleum, petroleum products pipeline, namely:-

Range of estimated pipeline length including branch lines (in kilometers) (#)	Minimum combined net worth (*) of the entity along with its promoters available for investments in a single petroleum and petroleum products pipeline duly supported by letter of comfort from promoters (in million of rupees per kilometer of estimated pipeline length)
1,001 and above	7.00
251-1000	6.00
Up to 250	5.00

- (*) combined net worth (equity share capital plus free reserves, but excluding revaluation reserves) to be adequately represented by cash funds, which shall be available as bridge finance and as promoters equity contribution in the project as certified by a

Chartered Accountant based on the latest financial position of the entity and its promoters.

- (#) a fraction of the length in two decimals place less than 0.50 kilometer shall be ignored and equal to 0.50 kilometer or more shall be rounded off to next 1 kilometer;
- (e) the entity, on being declared as a successful bidder and not being a company registered under the Companies Act, 1956, shall convert itself into a company registered under the Companies Act, 1956;
- (f) the entity shall have a plan for utilization of the capacity in the proposed petroleum and petroleum products pipeline;
- (g) the entity shall furnish a bid bond in the form of Bank Guarantee along with the submission of the application-cum-bid under sub-regulation (7) of an amount determined as per the length of the proposed petroleum and petroleum products pipeline as per the applicable category indicated below:-

Pipeline Length including branch lines (in kilometers) (#)	Amount of bid bond (in million of rupees)
equal to 1,001 or more	150
between 251 and 1000	80
less than or equal to 250	20

- (#) a fraction of the length in two decimals place less than 0.50 kilometer shall be ignored and equal to 0.50 kilometer or more shall be rounded off to next 1 kilometer.
- (h) entity submitting the bid should not have charges framed under Chapter IX of the Act or have been punished or imposed any penalty under section 28;
- (i) the entity agrees to build extra capacity in the petroleum and petroleum products pipeline as per the following basis, namely:-
 - (i) the capacity of petroleum and petroleum products pipeline shall be an aggregate of the following, namely:-
 - (A) capacity requirements of the entity;
 - (B) firmed-up contracted capacity with other entities; and
 - (C) at least twenty five per cent. of the sum of (A) and (B) as an extra capacity.

Explanation-

The capacity shall be approved by the Board as per the basis specified in the relevant regulations for determining the capacity of petroleum and petroleum products pipeline.

- (ii) the capacity mentioned at item (C) of sub-clause (i) shall be available for use as common carrier by any third party on open access and non-discriminatory basis;

- (j) in case the entity submitting the bid does not fulfill the requirements of any criteria under clauses (a) to (j), the bid submitted by it shall be summarily rejected and a communication in this regard shall be sent to it and the financial bid shall not be opened for that entity;
- (k) the bid bond shall be –
 - (i) encashed if an entity submitting the bid walks out;
 - (ii) released in respect of the unsuccessful entity submitting the bid;
 - (iii) retained till the specified performance bond is furnished at the time of authorization by the successful bidder.
- (7) The application-cum-bid shall be submitted in two parts in the form as specified in Schedule B in separate properly earmarked and sealed envelopes, namely:-
 - (a) Part I (Technical bid) covering general particulars of the applicant and technical details of the project (including minimum eligibility criteria) under sub-regulation (6);
 - (b) Part II (Financial bid) covering the details under regulation 10.
- (8) A time period of one hundred and twenty days shall be allowed for submission of the application-cum-bid for grant of authorization for laying, building, operating or expanding the petroleum and petroleum products pipeline and any application-cum-bid received after the notified date and time shall not be considered. However, the Board may extend the date for submission of bid as deemed fit.
- (9) The Board may extend the date of submission of bids upto a period of one month through an advertisement in the same manner as specified under sub-regulation (5), in a situation where only a single application-cum-bid is received in response to the original advertisement.

6. Invitation by Board for laying, building, operating or expansion of petroleum and petroleum products pipeline.

The Board may *suo-moto* by inviting interested parties either through submission of expression of interest (EOI) or through participation in the process of selection, through an open advertisement, form a view regarding the development of a petroleum and petroleum products pipeline in a specific area, region or route, and in such a case, the procedure as specified in regulation 5 shall apply.

7. Bidding criteria.

- (1) The Board shall tabulate and compare all financial bids meeting the minimum eligibility criteria as per the bidding criteria given below, namely:-
 - (a) Lowness of the present value of the fixed unit petroleum and petroleum products pipeline tariff bid under this clause for the petroleum and petroleum products pipeline Petroleum and petroleum products pipeline tariff (Rs/MT) for the purpose of bidding

shall be for a period of ten years from the date of start of the operation of the pipeline. The Board shall review the tariff after ten years and fix for a block of five years thereafter on prospective basis.

The tariff shall be bid for each of the ten years.

This shall have a weightage of fifty per cent.;

- (b) Lowness of the present value of the variable unit petroleum, petroleum products pipeline tariff bid under this clause for the petroleum, petroleum products pipeline Petroleum and petroleum products pipeline tariff (Rs/MT/KM) for the purpose of bidding shall be for a period of ten years from the date of the start of operation of the pipeline. The Board shall review the tariff after ten years and fix for a block of five years thereafter on prospective basis.

The tariff shall be bid for each of the ten years.

This shall have a weightage of twenty per cent.:

- (c) Highness of the present value of the petroleum and petroleum products pipeline capacity (MMTPA) proposed to be created for transportation of petroleum and petroleum products in the petroleum and petroleum products pipeline over the economic life of the project. Petroleum and petroleum products pipeline capacity bid for transporting petroleum and petroleum products in the pipeline shall be for a period of twenty five years. The present value shall be computed for such stage wise, year wise capacity build up.

This shall have a weightage of thirty per cent.

- (2) The present value in the criteria at clauses (a) to (c) of sub-regulation (1) shall be calculated by the entity using a discount rate equal to twelve per cent. To bring all accruals or tariff at the end of the first year, that is, the first year tariff or capacity shall not be discounted. In other words, the discount factor for the first year shall be taken as unity.
- (3) The bids for the petroleum and petroleum products pipeline tariff under clauses (a) to (b) of sub-regulation and the volume under clause (c) of sub-regulation (1) by the entity shall be consistent with the assumptions considered by the entity in its approved DFR of the project.
- (4) Entity with the highest composite score considering the criteria under clauses (a) to (c) of sub-regulation (1) and as illustrated in Schedule C shall be declared as successful in the bid.

8. Performance bond.

- (1) Acceptance to the Central Government authorization as referred to in proviso to sub-section (1) of section 17 and grant of authorization by the Board under section 19 of the Act shall be issued to the entity after it furnishes a performance bond of an amount equal to 1% of the estimated project cost for the projects under execution or 1% of the project capitalized cost for the completed projects rounded off to the nearest lakh rupees or rupees twenty crores, whichever is less,

and it shall be applicable to all pipelines authorized under regulation 4, 17, 18 or 19:

Provided that in case the pipeline capacity is expanded for more than fifty per cent. of its authorized capacity, the performance bond shall be increased in proportion to the increase and shall be rounded off to the nearest lakh rupees subject to a total ceiling of rupees thirty crores.

Explanation.— The amount of the performance bond shall be revised by applying the above basis in case the estimated project cost undergoes a change on completion of the financial closure as per regulation 10 and subsequently based on the project capitalized cost. Whenever there is expansion or extension of the pipeline system the modified project capitalized cost shall be taken into account. The performance bond shall be initially valid for a period of three or five years and shall be renewed by the entity for the next block of three or five years, at least one month before the due date, upto the end of the economic life of the project.

- (2) The performance bond has been prescribed for guaranteeing the timely commissioning of the proposed petroleum and petroleum products pipeline as per the targets laid down in sub-regulation (3) and also for meeting the service obligations by the entity during the operating phase of the project, as the case may be. The performance bond shall be en-cashed by the Board for all pipelines in the similar manner as prescribed under regulation 14(1) under the bidding process.
- (3) The entity shall be allowed a maximum period of thirty six months from the date of grant of authorization for commissioning of the petroleum and petroleum products pipeline project as the case may be. However, if the Board is of the opinion that the reasons for delay are beyond the control of the entity implementing the project, the Board may take an appropriate view after giving reasonable time to the entity of being heard, and may also allow certain extension period which it may deem fit for the commissioning of the project.

9. Grant of authorization.

- (1) The letter of intent (LOI) shall be issued to the selected entity within a period of thirty days from the last date of opening of financial bid.
- (2) The authorization shall be granted to the selected entity in the format at Schedule D within a period of thirty days of the last date of submitting the performance bond.
- (3) The entity shall achieve a firm petroleum products tie-up and a financial closure as per regulation 10.
- (4) The grant of authorization to the entity shall not be renunciated by way of sale, assignment, transfer or surrender to any person or entity during the period of three years from the date of its issue. However, an entity may induct new partner as long as it remains a lead partner.

- (5) The entity intending to renunciate the authorization in favour of another entity after the end of the three years period shall submit a proposal to the Board at least thirty days in advance and shall provide all information as may be called for by the Board.
- (6) The Board after satisfying itself that the proposal will not adversely affect the existing or proposed activities of laying, building, operating or expansion of the petroleum and petroleum products pipeline shall either accept the proposal in full or with such modifications as it may deem fit and in a case where the entity is permitted by the Board to take over the activities of laying, building, operating or expanding the petroleum and petroleum products pipeline, such entity shall abide by the existing or modified terms and conditions of the authorization including compliance with the service obligations:

Provided that the Board reserves the right to reject the proposal in public interest and in such a case the Board shall provide in writing the reasons for such rejection.

10. Capacity booking, petroleum products tie-up and financial closure.

- (1) The authorized entity may achieve agreement for transport of petroleum products with any entity equal to at least fifty per cent. of the petroleum and petroleum products pipeline capacity considered in clause (c) to sub-regulation (1) of regulation 7 for each of the first five years following the commissioning of the petroleum and petroleum products pipeline other than common carrier capacity.
- (2) The agreement specified under sub-regulation (1) shall be entered into a transparent manner and be based on the principle of at an arm's length:

Provided that up to ten per cent. of the throughput capacity in the petroleum and petroleum products pipeline specified under sub-regulation (1) may be booked on firm and mutually agreed terms without insisting on physical delivery of petroleum and petroleum products.

- (3) The entity shall submit copy of the agreement [Heads of Agreement (HOA)/ Memorandum of Understanding (MOU)] specified under sub-regulation (1) to the Board within a period of one hundred and eighty days of the date of the issue of the authorization.
- (4) The authorized entity shall obtain the financial closure of the project from a scheduled bank or financial institution within a period of one hundred and eighty days from the date of the authorization.
- (5) In case of an internally financed project, the entity shall submit the approval of its Board of Directors' for the detailed feasibility report (hereinafter referred as DFR) of the project along with its financial plan within one hundred and twenty days of the authorization:

Provided that the Board may ask the entity to submit any further details or clarifications on the financial closure.

- (6) In case the entity fails to meet the requirements at sub-regulations (1) to (5), the authorization of the entity for laying, building, operating or expanding petroleum,

petroleum products pipeline shall be cancelled and the performance bond shall be encashed and the Board reserves the right to re-award the authorization in a transparent manner and the entity shall have no right whatsoever against the Board for seeking any compensation or remedy on this account.

11. Fixation and recovery of petroleum and petroleum products pipeline tariff.

- (1) The petroleum and petroleum products pipeline tariff shall be fixed on entry, exit point basis, as per the bid by the entity, namely, under criteria (a) to (b) of sub-regulation (1) of regulation 7.
- (2) The petroleum and petroleum products pipeline tariff determined for different TOPs on the basis specified in sub-regulation (1) shall be accordingly recovered by the entity from the customers located in different tariff zones.
- (3) The applicable petroleum and petroleum products pipeline tariff shall be recovered through an invoice on a non-discriminatory basis, that is, without any premium. The tariff for the pipeline so bid shall be the ceiling tariff. The entity is free to charge less than the tariff bid on a non discriminatory basis.
- (4) The authorized entity is expected to maintain the operating pressure or flow in the petroleum and petroleum products pipeline at all times as per its detailed feasibility report (hereinafter referred as DFR) without impairing the deliverable pressure requirements as specified in the contracts with the existing customers and also in line with the relevant regulations for technical standards, specifications including safety standards:

Provided that the authorized entity may separately charge additional pumping charge to the extent not included in the petroleum and petroleum products pipeline tariff as specified under sub-regulation (1) from such customer, to whom the supply of petroleum products is required at a specific deliverable pressure as defined in the contract and beyond the operating pressure profile of the petroleum and petroleum products pipeline as envisaged in the DFR.

12. Expansion of capacity in petroleum and petroleum products pipeline.

- (1) The entity may transport upto ten per cent. extra volume or expand the authorized capacity in the petroleum and petroleum products pipeline upto ten per cent. and immediately inform the Board of its decision:

Provided that there shall be no increase in the petroleum and petroleum products pipeline tariff post-expansion.

- (2) In case it is proposed to expand the capacity of the petroleum and petroleum products pipeline by more than ten per cent. of that authorized by the Board, the entity shall submit a proposal for consideration of the Board and the Board may allow for expansion of the capacity in the petroleum and petroleum products pipeline provided that the entity agrees to a reduction in the unit petroleum and petroleum products pipeline tariff by sharing fifty per cent. of the proposed incremental tariff revenue calculated based on the applicable unit petroleum and petroleum products pipeline tariff before expansion and the incremental volumes sought to be transported.

Explanation: The above provision of sharing fifty per cent. of the proposed incremental tariff revenue shall be applicable for the bidding period of ten years.

Provided that the Board shall review the tariff after ten years and fix for a block of five years thereafter on prospective basis. Any expansion beyond the period of bidding shall be submitted to the Board for authorization in line with the provisions of relevant regulations.

13. Post-authorization monitoring of activities (pre-commissioning).

- (1) An authorized entity is required to provide, on a quarterly basis, a progress report detailing the clearances obtained, targets achieved, expenditure incurred, works-in-progress and any other relevant information in the form at Schedule E.
- (2) The Board, directly or through an approved third party agency, shall seek compliance by the entity to the relevant regulations for technical standards and specifications including safety standards through conduct of technical and safety audits during the pre-commissioning phase, as well as on an on-going basis thereafter, for ensuring safe commissioning and operation and maintenance of the petroleum and petroleum products pipeline.
- (3) The Board may allow re-routing of the petroleum and petroleum products pipeline provided that such re-routing does not result in increase in petroleum and petroleum products pipeline length by more than ten per cent. of the authorized length of the petroleum and petroleum products pipeline:

Provided that the petroleum and petroleum products pipeline tariff remains the same as per the authorization.

- (4) The Board shall monitor the progress of the entity in achieving various targets with respect to the petroleum and petroleum products pipeline project, and, in case of any deviations or shortfall, advise remedial action to the entity.

14. Service obligations of authorized entity (post commissioning).

- (1) The entity shall meet the annual target of transporting petroleum and petroleum products equal to the volume of petroleum and petroleum products quoted in the bid and the Board shall monitor the actual progress in this regard on a quarterly basis:

Provided that non-fulfillment of the annual target by the entity shall result in default and encashment of the performance bond on the following basis, namely:-

(a) For the first default :

- a. ten per cent. of the amount of the performance bond for the default upto ten per cent. of annual target of transporting petroleum and petroleum products;
- b. twenty per cent. of the amount of the performance bond for the default upto fifty per cent. above ten per cent. of annual target of transporting petroleum and petroleum products;

- c. twenty five per cent. of the amount of the performance bond for the default above fifty per cent. of annual target of transporting petroleum and petroleum products;
- (b) For the second default :
 - a. twenty per cent. of the amount of the performance bond for the default upto ten per cent. of annual target of transporting petroleum and petroleum products;
 - b. forty per cent. of the amount of the performance bond for the default upto fifty per cent. above ten per cent. of annual target of transporting petroleum and petroleum products;
 - c. fifty per cent. of the amount of the performance bond for the default above fifty per cent. of annual target of transporting petroleum and petroleum products;
- (c) one hundred per cent. of the amount of the performance bond for the third default:

Provided further that the entity shall make good the encashed performance bond in each of the cases at clause (a) to (c) within a week of encashment and in case of not meeting this requirement, the authorization shall be liable for termination.

- (2) The authorized entity shall not make it conditional to the sourcing of petroleum and petroleum products from itself or its affiliates to any shipper which intends to transport petroleum and petroleum products in the petroleum and petroleum products pipeline.
- (3) The authorized entity shall give wide publicity of the capacity available in the petroleum and petroleum products pipeline for use on common carrier or contract carrier basis to encourage maximum utilization of the pipeline capacity and shall maintain information in this regard, on its official website, as specified in the relevant regulations on the access code for petroleum and petroleum products pipelines.
- (4) The capacity available in petroleum and petroleum products pipeline for use as common carrier shall be allocated on the basis specified in the relevant regulations on the access code and declaring petroleum and petroleum products pipelines as contract carrier or common carrier.
- (5) The authorized entity shall strictly adhere to the provisions under the relevant regulations for affiliate code of conduct right from the stage of submission of the application-cum-bid and onwards including the operative phase of the petroleum and petroleum products pipeline.
- (6) The authorized entity shall adhere to the requirements of unbundling of the activity of transportation in the petroleum and petroleum products pipeline from the activities of distribution or marketing of petroleum products transported in the petroleum and petroleum products pipeline as and when so decided by the Board.
- (7) The authorized entity shall be responsible for getting the technical and safety audits carried out by independent technical experts at intervals specified or directed by the Board during the pre-commissioning phase as well as on an on-going basis thereafter to ensure compliance with the relevant regulations for the technical standards and specifications including safety standards and the audit report along with the findings

shall be submitted to the Board for its review and advise of remedial action, if any, to the entity.

- (3) The third party technical and safety audits shall be carried out by independent technical experts or accredited agencies out of the panel approved by or registered with the Board in compliance with the relevant regulations.

15. Quality of service standards.

- (1) The entity laying, building, operating or expanding a petroleum and petroleum products pipeline must comply with the quality of service standards as specified in Schedule F.
- (2) The performance of the entity in complying with the quality of service standards shall be periodically assessed by the Board and compared against the minimum prescribed benchmarks and a performance consistently below the minimum prescribed benchmark may lead to the consequences specified under regulation 16.

16. Consequences of default and termination of authorization procedure.

An authorized entity shall abide by all the terms and conditions specified in these regulations and any failure in doing so, except for the default of the service obligation under sub-regulation (1) of regulation 14 and *force majeure*, shall be dealt with as per the following procedure, namely:-

- (a) the Board shall issue a notice to the defaulting entity allowing it a reasonable time to fulfill its obligations under the regulations;
- (b) no further action shall be taken in case remedial action is taken by the entity within the specified period to the satisfaction of the Board;
- (c) in case of failure to take remedial action, the Board may encash the performance bond of the entity on the following basis, namely:-
- (i) twenty five percent of the amount of the performance bond for the first default;
 - (ii) fifty percent of the amount of the performance bond for the second default;
- Provided that the entity shall make good the encashed performance bond in each of the cases at sub-clause (i) and (ii) within a week of encashment failing which the remaining amount of the performance bond shall also be encashed and authorization of the entity terminated;
- (iii) one hundred percent of the amount of performance bond for the third default and simultaneous termination of authorization of the entity;
- (d) the procedure for implementing the termination of an authorization shall be as provided in Schedule G.

- (e) without prejudice to as provided in clauses (a) to (d), the Board may also levy civil penalty as per section 28 of the Act in addition to taking action as prescribed for offences and punishment under Chapter IX of the Act.

17. Entities authorized by the Central Government for laying, building, operating or expanding petroleum and petroleum products pipeline before the appointed day.

- (1) The entity shall submit relevant information along with supporting documents in the form as per Schedule H.
- (2) The entity shall abide by the technical standards, specifications including safety standards as specified under the relevant regulations.
- (3) The Board shall monitor the actual progress made by the entity in the activities of laying, building or expanding the petroleum and petroleum products pipeline on a quarterly basis with reference to the period of commissioning, the targets specified in the DFR of the project, and the terms and conditions of the authorization with a view to avoiding any time or cost over-runs which may adversely affect the petroleum and petroleum products pipeline tariff:

Provided that in case of any delay in the commissioning of the petroleum and petroleum products pipeline or meeting any target beyond that specified in the authorization, the Board reserves the right to-

- (a) not consider the additional costs attributable to the time over-run while fixing the petroleum and petroleum products pipeline tariff as specified under clause (5); or
- (b) encash the performance bond or bank guarantee, if any and advise the Central Government for cancellation of the authorization.
- (4) The Board shall approve the petroleum and petroleum products pipeline tariff to be charged by the entity based on the methodology as specified under the relevant regulations on determination of petroleum and petroleum products pipeline tariff.
- (5) The activities of the entity may be subject to such other regulations as may be applicable as per the provisions of the Act.

18. Entity not authorized by the Central Government for laying, building, operating or expanding petroleum and petroleum products pipeline before the appointed day.

- (1) An entity laying, building, operating or expanding petroleum and petroleum products pipeline at any time before the appointed day but not duly authorized to do so by the Central Government shall apply immediately for obtaining an authorization in the form as per Schedule I.
- (2) The Board may consider the following criteria while considering the application for grant of authorization, namely:-
- (a) the entity meets the minimum eligibility criteria as specified in clauses (a) to (e) and (i) of sub-regulation (6) of regulation 5 before the appointed date and is possessing all

necessary statutory clearances, permissions, no objection certificates from the Central and State Governments and other statutory authorities;

- (b) an entity which is not registered under the Companies Act, 1956 at the time of submitting the application for grant of authorization shall undertake to become a company registered under the Companies Act, 1956:

Provided that the Board may exempt an entity to register under the Companies Act, 1956 on such conditions as it may deem appropriate;

- (c) a satisfactory assessment of the actual physical progress made and the financial commitment thereof till immediately before the appointed day in comparison with the entity's DFR appraised by the financial institution funding the project. In case the project has not been funded by any financial institution, the Board may appraise the DFR. The DFR of the entity should clearly indicate the specified length, route and capacity of the proposed petroleum and petroleum products pipeline;
- (d) in respect of the actual physical progress made and the financial commitment thereof referred to in clause (c), a physical progress of at least twenty five percent and a financial commitment of at least twenty five percent of the capital expenditure identified for the petroleum and petroleum products pipeline project as per the DFR immediately before the appointed day may be considered as adequate;
- (e) the Board reserves the right to get the actual physical progress and the financial commitment certified and depending upon the progress achieved, the Board may consider authorizing the entity for laying, building, operating or expanding the petroleum and petroleum products pipeline-
- (i) as per the route and length as specified in its DFR;
 - (ii) as per the route or length actually covered under implementation till the appointed day; or
 - (iii) as per the route or length specified by the Board;
- (f) in relation to laying, building, operating or expanding the petroleum and petroleum products pipeline, it is for the entity to satisfy the Board on the adequacy of its ability to meet the applicable technical standards, specifications and safety standards as specified in the relevant regulations for technical standards and specifications including safety standards;
- (g) assessment of the financial position of the entity in timely and adequately meeting the financial commitments in developing the petroleum and petroleum products pipeline project as appraised by a financial institution and an examination of the audited books of accounts of the entity;
- (h) the booking of the capacity in the petroleum and petroleum products pipeline should be equal to at least fifty percent of the sum of the own capacity requirements of the entity and firmed-up contracted capacity and the agreements in this regard should have been entered in a transparent manner and based on the principle of *at an arm's length*;

- (i) the entity shall submit copies of the agreements for transportation or supplying of petroleum products by the petroleum and petroleum products pipeline for the firm-ed-up contracted capacity specified under clause (h) to the Board; and
- (j) any other criteria considered as relevant by the Board based on the examination of the application.
- (3) The evaluation of the application in terms of the clauses (a) to (j) of sub-regulation (2) shall be done in totality considering the composite nature and the inter-linkages of the criteria.
- (4) The Board, after examining the application in terms of the criteria under sub-regulation (3) and also taking into account the requirements in other regulations may form a *prima-facie* view as to whether the case should be considered for authorization.
- (5) In case of *prima-facie* consideration, the Board shall issue a public notice in one national and one vernacular daily newspaper (including webhosting) giving brief details of the project and seek comments and objections, if any, within thirty days from any person on the proposal.
- (6) The Board, after examining the comments and objections, if any, under sub-regulation (5), may either consider or reject the case for grant of authorization for the petroleum and petroleum products pipeline.
- (7) In case it is decided to grant authorization, the same shall be in the form at Schedule D;
- (8) In case of rejection of the application, the Board shall pass a speaking order after giving a reasonable opportunity to the concerned party to explain its case and proceed to select an appropriate entity for the project in terms of regulation 6.
- (9) In case the entity is selected for grant of authorization for laying, building, operating or expanding petroleum and petroleum products pipeline,-
 - (a) the petroleum and petroleum products pipeline tariff shall be determined under the relevant regulations on determination of petroleum and petroleum products pipeline tariff;
 - (b) the entity shall abide by the technical standards, specifications including safety standards as specified under relevant regulations for technical standards and specifications including safety standards;
 - (c) the Board shall monitor the actual progress made by the entity in the activities of laying, building or expanding the petroleum and petroleum products pipeline on a quarterly basis with reference to the period of commissioning, the targets specified in the DFR of the project and the terms and conditions of the authorization with a view to avoiding any time or cost over-runs which may adversely affect the petroleum and petroleum products pipeline tariff:

Provided that in case of any delay in the commissioning of the petroleum and petroleum products pipeline or meeting any target beyond that specified in the

authorization, the Board reserves the right to not consider the additional costs attributable to the time over-run while fixing the petroleum and petroleum products pipeline tariff as specified under sub-regulation (a);

(d) the entity shall abide by the provisions under the relevant regulations on access code and declaring petroleum and petroleum products pipelines as common carrier or contract carrier;

(e) the provisions under regulations 8, 9, 13, 14, 15 and 16 shall apply to the entity.

19. Provisions relating to dedicated pipelines for transport of petroleum products.

(1) In respect of dedicated pipelines existing before the appointed day, the following provisions shall apply, namely:-

(a) entity having dedicated pipeline to transport petroleum products to a specific customer before the appointed day shall submit details of the pipeline length, route, capacity and customers served along with the DFR of the project to the Board within sixty days of notification of these regulations;

(b) Board may web-host details of dedicated pipeline seeking comments of general public with a view to ascertain whether such pipeline needs to be converted into petroleum and petroleum products pipeline in public interest;

(c) The Board may, based on the examination of the comments received, direct the entity to convert such pipeline into petroleum and petroleum products pipeline in overall public interest:

Provided that the entity shall be given an opportunity to present its case;

(d) The entity may also submit its proposal to convert its dedicated pipeline into petroleum and petroleum products pipeline to the Board along with the complete details and justifications and the Board may web-host details of dedicated pipeline seeking comments of general public with a view to ascertain whether such pipeline needs to be converted into petroleum and petroleum products pipeline in public interest and the Board may, based on the examination of the comments received and in overall public interest, issue grant of authorization to the entity for conversion into a petroleum and petroleum products pipeline.

(2) In respect of dedicated pipelines proposed to be laid, built, operated or expanded after the appointed day, following provisions shall apply, namely:-

(a) the entity proposing to lay, build, operate or expand a dedicated pipeline to transport petroleum products to a specific customer and is not for resale after the appointed day shall submit details on pipeline length, route, capacity and details of the customers served along with the DFR of the project to the Board at least thirty days before the proposed commencement of laying and building of the dedicated pipeline;

(b) Board may web-host details of the proposed dedicated pipeline seeking comments of general public with a view to ascertain whether, instead of a dedicated pipeline, the

public interest would be better served if a petroleum and petroleum products pipeline is laid, built, operated or expanded;

- (c) in case, based on the examination of the comments received, the Board is of the view that instead of a dedicated pipeline, petroleum and petroleum products pipeline would better serve the public purpose the Board shall advise the entity appropriately within sixty days of the receipt of the information from the entity;
- (d) in case, despite receiving the advice from the Board under clause (c), the entity still wishes to lay, build, operate or expand a dedicated pipeline, it may do so:

Provided that simultaneous to the entity building a dedicated pipeline, the Board may, on suo-motu basis, decide to issue an expression of interest for laying, building, operating or expanding petroleum and petroleum products pipeline:

Provided further that the entity shall not be allowed to apply to the Board for conversion of its dedicated pipeline into petroleum and petroleum products pipeline for a period of five years from the date of the commissioning of its dedicated pipeline:

- (e) the Board may, in respect of a dedicated pipeline laid, built, operated or expanded after the appointed day, direct the entity to convert dedicated pipeline into petroleum, petroleum products pipeline as per the following procedure, namely:-
- (i) the Board may web-host details of dedicated pipeline seeking comments of general public with a view to ascertain whether such pipeline needs to be converted into petroleum and petroleum products pipeline in public interest;
- (ii) the Board may, based on the examination of the comments received, direct the entity to convert such pipeline into petroleum and petroleum products pipeline in overall public interest:

Provided that the entity shall be given an opportunity to present its case.

- (3) In case a dedicated pipeline is converted into petroleum and petroleum products pipeline under sub-regulations (1) or (2), the provisions under the sub-regulation (9) of regulation 18 shall apply to such pipeline.

20. Access and inter-connectivity to petroleum and petroleum products pipeline.

The entity shall follow the access code and allow inter-connectivity to another petroleum and petroleum products pipeline as per the provisions of the relevant regulations for access code for petroleum and petroleum products pipelines. The entity shall abide by an affiliate code of conduct notified by the Board for the purpose.

21. Provisions regarding modifications or expansion or extension in a petroleum and petroleum products pipeline.

- (1) An entity proposing to
- i) carry out any modification or expansion or extension in a petroleum and petroleum products pipeline, or

- ii) discontinue the operations in the petroleum and petroleum products pipeline or any segment thereof, or
- iii) add a new tap off point or discontinue an existing tap off point, or
- iv) provide a new connectivity or discontinue an existing connectivity with the receiving terminal or with the dispatch terminal-

which is likely to affect the installed capacity of the petroleum and petroleum products pipeline, whether in part or in full, shall seek a prior approval from the Board in this regard and shall contain full particulars, map of all facilities and justification for the proposed modification in line with the requirements of the access code for such pipelines and relevant provisions of these regulations and any other regulations applicable in this respect:

Provided that proposal for any increase in length beyond 10 percent of the authorized length of the trunk or transmission pipeline or 50 kilometer whichever is lower, shall be submitted to the Board for authorization in line with the provisions of the Act as well as regulations:

Provided further that there shall be no change in the pipeline tariff post-extension of pipeline and it will not adversely affect the existing customers.

- (2) The entity may expand the authorized capacity in the petroleum and petroleum products pipeline upto ten per cent. and immediately inform the Board of its decision:

Provided that there shall be no change in the pipeline tariff post-expansion.

- (3) In case it is proposed to expand the capacity of the pipeline by more than ten per cent. of that authorized by the Board, the entity shall submit a proposal for consideration of the Board and the Board may allow for expansion of the capacity in the pipeline without adversely affecting the customers served by the pipeline. The financial implications for the same shall be considered in the next review period for tariff in line with the provisions of the relevant regulations on tariff for pipelines.
- (4) In case of suo moto proposal for extension or expansion of the pipeline the first right of refusal shall be with the owner of the pipeline.
- (5) The Board may examine that the proposal is not prejudicial to fair trade and competition between the entities, and shall give a decision on the proposal within a period of sixty days of receipt of such proposal.

22. Miscellaneous.

- (1) These regulations shall apply to all other petroleum and petroleum products pipeline proposals which have been granted provisional authorization by the Board before the notification of these regulations. The entities shall comply with all the provisions of these regulations for such proposals and submit the details within a period of thirty days from notifications of these regulations.
- (2) If any dispute arises with regards to the interpretation of any of the provisions of these regulations, the decision of the Board shall be final.
- (3) Time limits specified for the various activities may be relaxed by the Board in a transparent manner.

Schedule A

[see regulations 4 (1) and 5 (6)]

Application form for submitting expression of interest by an entity desirous of laying, building, operating or expanding a petroleum and petroleum products pipeline.

A. Only an entity which complies with the minimum eligibility criteria as per regulation 5 (6) of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Authorizing Entities to Lay, Build, Operate or Expand Petroleum and Petroleum Products Pipelines) Regulations, 2010 is eligible to submit its application for submission of expression of interest to the Board.

B. Entities must enclose documentary proof in support of its meeting the minimum eligibility criteria.

C. The entity submitting the expression of interest must submit the following information:

1	General Details
A	Name of the Entity
B	Type of firm – Public Limited Company / Private Limited Company / Partnership firm / Proprietorship firm / Others (please specify)
C	Date of incorporation and date of commencement of business
D	Address of the Registered office
E	Name, addresses, telephone numbers, e-mails of all directors / partners / proprietor.
2	Primary Technical Data
A	Point of origin and the end point of the proposed petroleum and petroleum products pipeline
B	Indicative route of the proposed petroleum and petroleum products pipeline indicating the likely petroleum products injection points and likely delivery points depicted on a physical map
C	Petroleum products availability position
D	Potential demand of petroleum products enroute the petroleum and petroleum product pipeline
E	Assessment of total volume for transportation in the proposed petroleum and petroleum products pipeline
F	Any other issue considered as relevant by the entity
3	Application fee of Rs. _____ paid vide demand draft/ pay order number <____> and dated <____> drawn on <name of bank and branch>.

Date:

Place:

Name and signature of entity or authorized signatory

Official Seal

Schedule B

[see regulation 5 (7)]

Application-cum-bid for grant of authorization for petroleum and petroleum products pipeline.

To
The Secretary,
Petroleum and Natural Gas Regulatory Board,
1st Floor, World Trade Centre, Babar Road,
New Delhi – 110 001.

Sub: Application-cum-bid for grant of authorization for laying, building, operating or expanding petroleum and petroleum products pipeline <name indicating the proposed route from the starting point till the end-point> under the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Authorizing Entities to Lay, Build, Operate or Expand Petroleum and Petroleum Products Pipelines) Regulations, 2010.

(Attach separate sheets for providing information wherever necessary)

Part-I – General details of the entity and technical details of the project (to be submitted in a properly earmarked, sealed and separate envelope)		
1	Details of the entity	
A	Name of the entity	
B	Type of firm – Public Limited Company/Private Limited Company/Partnership firm/Proprietorship firm / others.	
C	Date of incorporation and date of commencement of business.	
D	Address of registered office.	
E	Name, addresses, telephone numbers, e-mails of all directors / partners / proprietor.	
2	Financial details	
A	Share capital or proprietor's own funds as applicable.	
B	Loans – amount, tenure, moratorium period, rate of interest, taken from and asset mortgaged or hypothecated for securing the same, if any.	
C	Reserves, if any	
D	Fixed Assets	
E	Current Assets	
F	Current Liabilities	
G	Sales Turnover	
H	Profit After Tax	
	(Attach copies of audited Profit and Loss Account and Balance Sheet for last three financial years).	
3	Business activities of the entity	
A	Details of all existing petroleum and petroleum products pipelines, if any, and including design specifications, installed capacity, capital cost, year-wise details of operating cost, date of commissioning, volumes transported along with details of	

	customer profile, map and drawings showing details of existing facilities and future plan, petroleum products sources, unit tariff being charged, etc.	
B	Details of existing tie-up or collaboration with any entity for transport of petroleum products for existing petroleum and petroleum products pipelines.	
C	Details of other business, if any, being carried out by the promoters for the last five years.	
4	Ownership and affiliate details	
A	Details of promoters	
B	Details of all affiliates of the entity mentioning their business relationship.	
C	The entity undertakes to produce all relevant records or documents of itself and its related entities.	Yes / No
D	Is the entity a company registered under the Companies Act, 1956?	Yes / No
E	The entity undertakes to become a company, in case it is not a company at the time of submission of this application-cum-bid, under the Companies Act, 1956 on selection for grant of authorization.	Yes / No
F	Promoters undertaking in the form of letter of comfort stating that their financial contribution in the project shall be infused if required within three months of the date of grant of authorization. Enclose the letter of comfort from the promoters.	Yes / No
5	Technical details of the proposed petroleum and petroleum products pipeline	
A	Name of the proposed petroleum and petroleum products pipeline project.	
B	Detailed map indicating the route, section-wise length of the proposed petroleum and petroleum products pipeline with following details: (a) branch line (b) inter-connection points, if any (c) depiction of the proposed major facilities, such as pump stations, receiving terminal, delivery terminal, tap-off points, etc.	
C	Technical specifications of the project attaching the copy of the DFR etc.	
D	Development plan envisaged for the proposed petroleum, petroleum products pipeline project - design and installed capacity along with details of phased-out capital expenditure plans including the dates of commencement of operations phase-wise.	
E	Proposed plan for: (i) sourcing of petroleum products for injection in the petroleum and petroleum products pipeline; (ii) phase-wise capacity tie-up in the proposed petroleum and	

	petroleum products pipeline.	
F	Are all applicable technical standards, specifications including safety standards (T4S), as specified under the relevant regulations for T4S have been complied with in designing the proposed petroleum and petroleum products pipeline? Provide full details.	Yes / No
G	Undertaking to develop Emergency response and Disaster Management Plan before commissioning of the pipeline.	Yes / No
H	Is the project entitled to any subsidy, exemption, deferment or waiver of any statutory levy (including income tax) from the Central or the State Governments? If yes, give complete details indicating the year-wise utilization plan of the entity.	Yes / No
I	Non-refundable Application fee under the regulation 5 (d).	Rs. < >
	Demand draft or pay order number and date	
	Name of issuing bank and branch	
J	Bid bond	Rs. < >
	Demand draft or pay order or Bank Guarantee number and date	
	Name of issuing bank and branch	
Part-II: Financial bid (to be submitted in a separate earmarked sealed envelope) to be opened for those entities qualifying the minimum eligibility criteria under regulation 5 (b)		
A	Present value (PV) of the fixed unit petroleum, petroleum products pipeline tariff bid for the petroleum and petroleum products pipeline [petroleum and petroleum products pipeline tariff (Rs/MT) for the purpose of bidding for a period of ten years. The Board shall review the tariff after ten years and fix for a block of five years thereafter on prospective basis.	using the discount rate of 12% is Rs.< > per MT Year-wise unit petroleum and petroleum products pipeline tariff- Year 1: Rs.< > per MT Year 2: Rs.< > per MT : : Year 10: Rs.< > per MT
B	Present value (PV) of the variable unit petroleum and petroleum products pipeline tariff bid for the petroleum and petroleum products pipeline [petroleum and petroleum products pipeline tariff (Rs/MT/KM) for a period of ten years. The Board shall review the tariff after ten years and fix for a block of five years thereafter on prospective basis.	using the discount rate of 12% is Rs.< > per MT per KM Year-wise unit petroleum and petroleum products pipeline tariff- Year 1: Rs.< > per MT per KM Year 2: Rs.< > per MT per KM: : Year 10: Rs.< > per MT

C	Present value (PV) of the petroleum products pipeline capacity (in million tons per annum) proposed to be created for transported in the petroleum and petroleum products pipeline over the economic life of the project. [petroleum products pipeline capacity created for transporting in the petroleum and petroleum products pipeline shall be for each year of the economic life of the project].	per KM using discount rate of twelve percent is <___> million tons per annum (MMTPA). Year-wise petroleum and petroleum products capacity bid - Year 1: <___> MMTPA Year 2: <___> MMTPA : : Year 25: <___> MMTPA
Note: Please enclose a copy of the approved DFR of the proposed petroleum and petroleum products pipeline project for the purpose of sub-regulation (3) of regulation 7.		

DECLARATION

1. Certified that the above information is true to the best of my / our knowledge and belief and the information and data given in the annexure, attachments, enclosures and calculation sheets accompanying this application-cum-bid are correct, complete and truly stated, and if any statement made herein is found to be incorrect, the application-cum-bid shall be rejected, the application fee and the Bid Bond shall be forfeited and I / We shall be liable to be proceeded against and for punishment under the provisions of the Act.
2. I / We certify that the above application-cum-bid is the only application-cum-bid submitted and no other application-cum-bid has been or is being submitted separately for this petroleum, petroleum products pipeline by me / us.

Date:

Place:

Name and Signature of Entity/ Authorized Signatory

Official Seal

Schedule C

[see regulation 7 (4) and the provisions under clause (a) to (c) of sub-regulation (1) of regulation 7]

Illustration for determining the highest composite score for ascertaining the successful bid for grant of authorization for petroleum and petroleum products pipeline.

Let there be three entities whose bids need to be compared for determining the successful bid over the bidding criteria stated under clauses (a) to (c) of sub-regulation (1) of regulation 7.

(A) Lowness of the present value of the fixed unit petroleum and petroleum products pipeline tariff bid for the petroleum and petroleum products pipeline [petroleum and petroleum products pipeline tariff (Rs/MT) for the purpose of bidding for a period of ten years].

Let,

FT1 = Present value of the fixed unit petroleum and petroleum products pipeline tariff bid (Rs/MT) for ten years by the 1st entity.

FT2 = Present value of the fixed unit petroleum and petroleum products pipeline tariff bid (Rs/MT) for ten years by the 2nd entity.

FT3 = Present value of the fixed unit petroleum and petroleum products pipeline tariff bid (Rs/MT) for ten years by the 3rd entity.

Assume that FT1 is lower than FT2 and FT2 is lower than FT3.

The lowest fixed unit petroleum and petroleum products pipeline tariff bid (LFT1) shall be given a score of 100% and the other fixed unit petroleum and petroleum products pipeline tariff bids shall be given a score in relation to LFT1 on a pro-rata basis as under-

$$\begin{aligned} \text{LFT1} &= 100 \% \\ \text{LFT2} &= 100 \% \times (\text{FT1} + \text{FT2}) \\ \text{LFT3} &= 100 \% \times (\text{FT1} + \text{FT3}) \end{aligned}$$

(B) Lowness of the present value of the variable unit petroleum and petroleum products pipeline tariff bid for the petroleum and petroleum products pipeline [petroleum and petroleum products pipeline tariff (Rs/MT/KM) for a period of ten years].

Let,

VT1 = Present value of the variable unit petroleum and petroleum products pipeline tariff bid (Rs/MT/KM) for ten years by the 1st entity.

VT2 = Present value of the variable unit petroleum and petroleum products pipeline tariff bid (Rs/MT/KM) for ten years by the 2nd entity.

VT3 = Present value of the variable unit petroleum and petroleum products pipeline tariff bid (Rs/MT/KM) for ten years by the 3rd entity.

Assume that VT1 is more than VT2 and VT2 is more than VT3.

The lowest variable unit petroleum and petroleum products pipeline tariff bid (LVT3) shall be given a score of 100% and the other variable unit petroleum and petroleum

products pipeline tariff bids shall be given a score in relation to LVT3 on a pro-rata basis as under-

$$\begin{aligned} \text{LVT1} &= 100 \% \times (\text{VT3} + \text{VT1}) \\ \text{LVT2} &= 100 \% \times (\text{VT3} + \text{VT2}) \\ \text{LVT3} &= 100 \% \end{aligned}$$

(C) Highness of the present value of the petroleum products pipeline capacity (In million tons per annum) proposed to be created for transported in the petroleum and petroleum products pipeline over the economic life of the project [petroleum products pipeline capacity created for transporting in the petroleum and petroleum products pipeline shall be for each year of the economic life of the project].

Let,

C1 = Present value of the petroleum products pipeline capacity bid (MMTPA) for twenty five years by the 1st entity.

C2 = Present value of the petroleum products pipeline capacity bid (MMTPA) for twenty five years by the 2nd entity.

C3 = Present value of the petroleum products pipeline capacity bid (MMTPA) for twenty five years by the 3rd entity.

Assume that C1 is lower than C2 and C2 is lower than C3.

The highest present value of the petroleum products pipeline capacity bid proposed to be created (HC3) shall be given a score of 100% and the present value of the other petroleum products pipeline capacity bids shall be given a score in relation to HC3 on a pro-rata basis as under-

$$\begin{aligned} \text{HC1} &= 100 \% \times (\text{HC1} + \text{HC3}) \\ \text{HC2} &= 100 \% \times (\text{HC2} + \text{HC3}) \\ \text{HC3} &= 100 \% \end{aligned}$$

Now, the composite score of three entities shall be computed by assigning the respective weights assigned to each of the bidding criterion as indicated below-

$$\text{Entity 1} = 0.50 \times \text{LFT1} + 0.20 \times \text{LVT1} + 0.30 \times \text{HC1}$$

$$\text{Entity 2} = 0.50 \times \text{LFT2} + 0.20 \times \text{LVT2} + 0.30 \times \text{HC2}$$

$$\text{Entity 3} = 0.50 \times \text{LFT3} + 0.20 \times \text{LVT3} + 0.30 \times \text{HC3}$$

The entity with the highest composite score shall be declared as successful in the bid.

Schedule D

[see regulations 9 (2) and 18 (7)]

Grant of authorization for laying, building, operating or expanding petroleum and petroleum products pipeline.

To

<Name of the successful entity>

<address>

Subject: Grant of authorization for laying, building, operating or expanding petroleum and petroleum products pipeline along the route of < name of starting point, name of states or union territories passing through and the name of the end point> under the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Authorizing Entities to Lay, Build, Operate or Expand Petroleum and Petroleum Products Pipelines) Regulations, 2010.

Sir / Madam,

With reference to your application for grant of authorization for laying, building, operating or expansion of petroleum and petroleum products pipeline along the route of < name of starting point, name of states or union territories passing through and the name of the end point>, it has been decided to grant authorization to you, subject to the provisions under the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Authorizing Entities to Lay, Build, Operate or Expand Petroleum and Petroleum Products Pipelines) Regulations, 2010 on the following terms and conditions, namely:-

1. The route for laying, building, operating or expanding the petroleum and petroleum products pipeline shall be as depicted in the enclosed drawing [<name of the originating point>, <intermediate tap-off and interconnection points>, <name of branch line> and <name of the last delivery point> of the petroleum and petroleum products pipeline to be depicted].
2. The entity shall complete the activities of laying, building or expanding activities of petroleum and petroleum products pipeline and commission the petroleum and petroleum products pipeline project as per the enclosed time schedule and targets. The entity is allowed a maximum period of thirty six months from the date of issue of the authorization letter for commissioning of the petroleum and petroleum products pipeline project. Any failure on the part of the entity in complying with the targets prescribed in the time schedule shall lead to consequences as specified under regulation 16 of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Authorizing Entities to Lay, Build, Operate or Expand Petroleum and Petroleum Products Pipelines) Regulations, 2010.
3. The capacity in the petroleum and petroleum products pipeline shall be equal to <___> Million tons per annum (MMTPA).

4. The extra capacity in the petroleum and petroleum products pipeline shall be equal to <___> MMTPA as per the provisions specified in clause (j) of sub-regulation (6) of regulation 5 and shall be available for use on common carrier basis by any third party on open access and non-discriminatory basis.
5. The authorized entity shall be required to take prior approval from the Board for creation of any lien or charge or hypothecation on the assets of the petroleum and petroleum products pipeline to secure finances for the project and furnish details of utilization of funds. However, in case of raising funds from any financial institution or bank, the entity will be required to only inform the Board of the sanction of the funds, within a period of seven days.
6. The entity shall publish on its website the approved tariffs for each of the tariff zone of the petroleum and petroleum products pipeline.
7. The entity shall submit a detailed and clear financial closure report to the Board within a period of one hundred and twenty days from the date of authorization issued by the Board under regulation 9 of the Petroleum and Natural gas Regulatory Board (Authorizing Entities to Lay, Build, Operate or Expand Petroleum and Petroleum Products Pipelines) Regulations, 2010.
8. The furnishing of performance bond of Rs.<___> million is a guarantee for timely commissioning of the project as per the prescribed targets submitted in the bid and for meeting the performance undertakings during operating phase of the project.
9. The entity shall abide by the service obligations specified under regulation 14 and quality of service standards under regulation 15 of the Petroleum and Natural gas Regulatory Board (Authorizing Entities to Lay, Build, Operate or Expand Petroleum and Petroleum Products Pipelines) Regulations, 2010.
10. In case the authorization of the entity is terminated, the Board may assign the rights and obligations to any agency or another entity on such terms and conditions, as it may deem fit. Further, the entity may be required, as per the directions of the Board, to continue the operations of the petroleum and petroleum products pipeline at the same level till another agency or entity appointed by the Board takes over the full control of the petroleum and petroleum products pipeline.
11. The entity shall comply with the provisions under-
 - (a) the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Authorizing Entities to Lay, Build, Operate or Expand Petroleum and Petroleum Products Pipelines) Regulations, 2010;
 - (b) the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Determination of Petroleum and Petroleum Products Pipeline Tariff) Regulations, whenever notified;
 - (c) the service obligations specified in Schedule J to the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Authorizing Entities to Lay, Build, Operate or Expand Petroleum and Petroleum Products Pipelines) Regulations, 2010;

(d) the relevant regulations for-

- (i) the technical standards and specifications, including safety standards;
- (ii) the access code;
- (iii) determination of capacity for petroleum and petroleum products pipeline;
- (iv) affiliate code of conduct;
- (v) declaring petroleum and petroleum products pipelines as common carrier or contract carrier;

(e) any other regulations as may be applicable and the provisions of the PNGRB Act, 2006.

12. The entity shall comply with any other term or condition which may be notified by the Board in public interest, from time to time.

You are requested to confirm your acceptance in the space provided below and return the same in original.

Yours Faithfully,

Sd/-

Dated:

Name & Designation of Officer
On behalf of the PNGRB
Official Seal

Acceptance of Grant of Authorization

I / We hereby agree to the grant of authorization issued by the Board vide letter ref. <___> dated <___> and agree to comply with all the terms and conditions subject to which I / We have been granted authorization for laying, building, operating or expanding petroleum and petroleum products pipeline along the route from the originating station <___> in the State or the Union Territory of <___> to the terminating station <___> in the State or the Union Territory of <___>.

Date:

Place:

Signature of the Entity or Authorized Signatory
Name and Official Seal

Schedule E**[see regulation 13 (1)]****Quarterly submission of data by authorized entity.**

- A. The data and information required to be submitted by the entity in the following form shall be analyzed by the Board by comparing the –
- (1) actual progress made by the entity including commissioning of the project versus the physical and financial targets, identified in its DFR; and
 - (2) actual volume of petroleum products transported in the petroleum and petroleum products pipeline versus the volume committed in the bid.
- B. Monitoring of the progress shall be taken up by the Board on a quarterly basis and the notice of deviations and shortfalls, if any, shall be sent to the entity for a prompt resolution. In case of any delay in meeting the yearly commitments within the notice period or in case of repeated violations, the entity may face the consequences specified under regulation 16 of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Authorizing Entities to Lay, Build, Operate or Expand City or Local Petroleum and Petroleum Products Pipelines) Regulations, 2010.

A	Name of Authorized Entity		
B	Project Name		
C	Date of grant of authorization		
D	Date of commencement of operations		
E	Details of composition of the ownership of the entity (give details of variations, if any, since the date of authorization)		
	Information and data	For the Quarter	Cumulative for the year
F	Financial Details (in Rs. Million)		
1	Capital Investment		
	(a) <u>Fixed Assets</u>		
	Opening balance		
	Direct additions		
	Transfer from Capital Work-in-progress (CWIP)		
	Deletions, if any		
	Closing balance		
	(b) <u>CWIP</u>		
	Opening balance		
	Additions		

	Transfer to fixed assets		
	Deletions, if any		
	Closing balance		
2	Operating expenses(after commissioning of pipeline)		
	(a) Consumables and chemicals		
	(b) Utilities – Power and Fuel		
	(c) Salaries		
	(d) Repair and maintenance		
	(e) General administrative expenses		
	(f) Insurance		
	(g) Any other expenses (to be detailed)		
3	Financial Expenses		
	(a) Interest on Working capital borrowings (WCB)		
	(b) Interest on term loans		
4	Depreciation		
5	Revenue Earned(after commissioning of pipeline)		
	(a) Petroleum products transportation		
	(b) Marketing of petroleum products		
	(c) Other income - Interest, etc		
6	Loans Status		
	(a) Term Loans and Working capital loans		
	Opening		
	Added		
	Repaid		
	Closing		
	(Provide details of each loan - interest rate, moratorium period, term of the loan, terms and conditions, etc.)		
H	Physical Details		
1	(a) Volume transported in the petroleum and petroleum products pipeline (b) Volume committed in the bid and stated in the DFR (c) Variation in (a) versus (b) along with reasons (d) Volume delivered customer-wise at each of the delivery points.		
2	Petroleum and petroleum products pipeline length (in kilometers):		
	(a) till last quarter		
	(b) laid and built in the current quarter		
	(c) length as at the end of the quarter		
	(details to be provided outer diameter and pressure rating-wise)		

3	Number of pumping stations, intermediate delivery stations, TOPs etc		
	(a) Till last quarter		
	(b) Added now		
	(c) Total as on date		
4	Project completion status - actual achievements versus that as per the approved schedule (in % terms)		
	(Provide details for each of the target as per the approved time schedule to the grant of authorization and reasons for deviation from the same, if any)		
5	Any other information / data as may be prescribed by the Board or may be considered relevant by the entity.		

Date:

Place:

Signature of the entity or authorized signatory
Name and Seal

Note :

The Information and data in the above format should be certified by a Chartered Accountant.

Schedule F

[see regulation 15 (1)]

Quality of Service Standards

General.

The purpose of specifying the quality of service standards is to specify the minimum level of performance expected of the entity in laying, building, operating or expanding the petroleum and petroleum products pipeline in terms of service to be provided to the customers and other entities. In order to enable the entity to satisfactorily comply with the quality of service standards, other stakeholders, like, customers and other entities are also expected to diligently fulfill certain minimum responsibilities. While the authorized entity shall have to mandatorily comply with the quality of service standards, it may widely advertise the minimum responsibilities expected of the customers and other entities and also incorporate the same suitably in the contracts. The quality of service standards are indicated below:-

1. System upkeep and customer classification.

(1) Entity's responsibility:

- (a) after obtaining the authorization, entity shall publish in newspaper and its official website its plan to lay, build, operate or expand petroleum and petroleum products pipeline as per the authorized route for the information of the general public;
- (b) to ensure upkeep of the system as per the technical standards, specifications including safety standards specified under the relevant regulations;

- (c) to ensure that in case of disruption of supplies, the petroleum and petroleum products pipeline shall be accorded the first priority for use of the line pack volumes in the petroleum and petroleum products pipeline.

The contracts with the customers should accordingly contain a specific clause on dealing with interruptibility in petroleum products supplies;

- (d) to maintain the quality of petroleum products in the petroleum and petroleum products pipeline as per the technical standards, specifications and safety standards in the relevant regulations for technical standards and specifications, including safety standards.

(2) Customer's responsibility:

- (a) to ensure safety of equipment and facilities, if any provided by the entity within the premises;

2. Metering and billing.

Entity's responsibility:

- (a) responsible for ensuring delivery of petroleum products;
- (b) to ensure correct billing for transport of petroleum products as per the terms and conditions of the contract, indicating the applicable petroleum and petroleum products pipeline tariff. The bill should also contain customer name and address, serial number, volume, taxes/ levies, if any, amount, due date, etc;

3. Interruptions in petroleum and petroleum products pipeline.

Entity's responsibility:

- (a) give due notice to customers for planned maintenance;
- (b) ensure the earliest possible resumption of supplies after interruption; and
- (c) ensure prompt recovery from unplanned interruptions;

4. Emergency response handling.

(1) Entity's responsibility:

- (a) to ensure in-position of the emergency response plan to -
- (i) handle emergencies in co-ordination with the police, fire department, local administration and hospitals;
 - (ii) ensure 24X7 manning of emergency cell for handling emergencies;
 - (iii) put in place a clear responsibility chart depicting roles for individuals in the times of emergency.
- (b) ensure availability of disaster management plan, a copy of which should be made available to the Board as well as the local administration and State Governments of the area through which the petroleum and petroleum products pipeline is passing.

(2) Customer's responsibility:

- (a) inform the entity of any potentially hazardous situation at the earliest;
- (b) help the entity's personnel to contain the emergency situation, if required.

5. Maintain database.**Entity's responsibility:**

to maintain a credible database management system to handle the data requirements of the Board and also the record of customer complaints received and action taken on the same.

Schedule G

[see regulation 16 (1) (d)]

Procedure for the termination of grant of authorization of petroleum and petroleum products pipeline.

The procedure for implementing the termination of the authorization of the entity to lay, build, operate or expand petroleum and petroleum products pipeline following default by the entity as per the provisions of regulation 16 of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Authorizing Entities to Lay, Build, Operate or Expand Petroleum and Petroleum Products Pipelines) Regulations, 2010 shall be as under:

1. On approval of termination of the authorization by the Board, the entity shall be required to submit a detailed statement of the ongoing activities in the petroleum and petroleum products pipeline, investments, liabilities and such other information as may be directed by the Board within a period of thirty days from the date of receipt of notice of termination by the entity.
2. The authorized entity shall be required to continue the operations of the petroleum and petroleum products pipeline at the same level till such time another agency or entity, as per the decision of the Board, takes over the full control of the petroleum and petroleum products pipeline. The Board reserves the right to appoint any other entity or agency to manage and operate the petroleum and petroleum products pipeline till such period of time and on such terms and conditions as it may deem fit.
3. The Board may, in any manner as it deems fit including through an issue of an advertisement, invite expression of interest or bids from entities interested in taking over the management and operation of the petroleum and petroleum products pipeline.
4. On receipt of expression of interest or bids, as the case may be, the Board may take an appropriate view on the procedure for evaluation and subsequent grant of authorization and an entity shall be selected to take over the operations of the petroleum and petroleum products pipeline from the defaulting entity.
5. The defaulting entity shall have to provide an undertaking to indemnify the newly authorized entity for any liability which may arise later as a result of its past actions.

Schedule H

[see regulation 17 (1)]

Information to be provided for petroleum and petroleum products pipeline authorized by Central Government before the appointed day.

To
Secretary,
Petroleum and Natural Gas Regulatory Board,
1st Floor, World Trade Centre
Babar Road,
New Delhi – 110 001.

Sub: Information in respect of petroleum and petroleum products pipeline < Name>
from <originating point> to <last delivery point>

(Attach separate sheets for providing information wherever necessary)

Part-I – General, technical and financial details of the entity and the petroleum and petroleum products pipeline project		
1	Details of the entity	
A	Name of the entity	
B	Type of firm – Public limited company / Private limited company / Partnership firm / Proprietorship firm / Others (please specify) (attach copy of articles of association / partnership deed, etc.)	
C	Date of incorporation and date of commencement of business	
D	Address of registered office	
E	Name, addresses, telephone numbers, e-mails of all directors / partners / proprietor (please provide full details with STD code and pin code)	
F	Particulars of the authorization granted by the Central Government for laying, building, operating or expanding the petroleum and petroleum products pipeline before the appointed day. Details of NOCs', clearances, etc. considered relevant by the entity to be provided. (Copies of the authorization and other documents to be enclosed).	
2	Financial details	
A	Share capital or proprietor's own Funds	
B	Loans – amount, tenure, moratorium period, rate of interest, taken from and asset mortgaged / hypothecated for securing the same (if any)	
C	Reserves (if any)	
D	Fixed Assets	
E	Current Assets	
F	Current Liabilities	

G	Sales Turnover	
H	Profit After Tax	
	(Attach copies of audited Profit and Loss Account and Balance Sheet for the last financial year) - In case the entity is a subsidiary company, copies of the audited Profit & Loss Account and Balance Sheet for the last three financial years of the parent company to be attached.	
3	Business Activities of the entity	
A	Original cost and WDV of assets along with year of commissioning, detailed break-up of the operating costs, petroleum and petroleum products pipeline tariff during the last three years, etc.	
B	Details of technical or operational tie-up or collaboration with any other entity for laying, building, operating or expanding the petroleum and petroleum products pipeline	
C	Details of other business, if any, being carried out by the promoters for the last three years	
4	Ownership and affiliate details	
A	Details of promoters	
B	Details of affiliates of the entity mentioning the business relationship	
C	The entity undertakes to produce all relevant records and documents of itself and its related entities on demand by the Board.	Yes / No
D	The entity undertakes to abide by the relevant regulations for affiliate code of conduct.	Yes / No
E	Is the entity a body corporate registered under the Companies Act, 1956?	Yes / No
F	Is the entity promoted by company registered under the Companies Act, 1956?	Yes / No
G	The entity undertakes to become a body corporate (in case it is not a body corporate at the time of providing the information herein) registered under the Companies Act, 1956 on the grant of authorization.	Yes / No
5	Technical details of the petroleum and petroleum products pipeline	
A	Name of the petroleum and petroleum products pipeline	
B	Physical map indicating the route, section-wise length of the petroleum and petroleum products pipeline including all branch-lines, entry and exit points for petroleum products and the details of the existing and proposed points of inter-connection in the petroleum and petroleum products pipeline.	

C	Technical specifications of the infrastructure in the petroleum and petroleum products pipeline. <u>Note:</u> (a) Attach copy of the DFR along with the management approval of the investments and (b) Provide full details of the petroleum and petroleum products pipeline capacity, design, pressure rating, diameter, thickness, class, etc., route details, pipeline corrosion protection arrangements, main block valves, isolation valves, emergency shutdown valves, metering arrangements, MLPU, intermediate and delivery stations, technical standards and specifications including safety standards being complied with, etc.	
D	Development plan envisaged for the petroleum and petroleum products pipeline project - design and installed capacity of the petroleum and petroleum products pipeline along with the details of phased-out plans for augmentation of the capacity and capital expenditure to be provided.	
E	Has the entity obtained the Right-of-Way required for laying, building, operating or expanding the petroleum and petroleum products pipeline as on the appointed day? <u>Note:</u> (a) In case the answer is no, please give specific reasons. (b) If yes, documentary proof to be provided.	Yes/ No
F	Year-wise progress actually achieved by the entity in: (i) creation of the physical infrastructure in the petroleum and petroleum products pipeline is to be provided; (ii) the value of the fixed assets created head-wise and the capital work-in-progress corresponding to the physical infrastructure created till the appointed day is to be provided; and (iii) comparison of sub-clause (i) and (ii) with the levels as specified in the targets specified in the DFR of the project and the terms and conditions of authorization. The purpose being to avoid any time over-run or cost over-run, which may adversely affect the petroleum and petroleum products pipeline tariff. <u>Note:</u> (a) Documentary proof that the head-wise assets created and reflected as fixed assets in the books of accounts are ready for use is to be enclosed.	Percentage completion to be indicated activity-wise with reference to the time schedule and the targets specified in the DFR.

	(b) The stage of completion in respect of the capital work-in-progress is to be indicated and compared with that indicated in the DFR. (c) Details of the financial commitments actually made by the entity till the appointed day to be separately indicated and documentary proofs to be submitted. (d) Please state the specific reasons for shortfalls, if any, in meeting the time schedule and specific targets for completion of the activities of laying, building, operating or expanding petroleum and petroleum products pipeline as specified in the DFR.	
G	Complete details of the arrangements made by the entity for sourcing of petroleum products for the petroleum and petroleum products pipeline to be provided. In case the entity has secured any firm capacity tie-ups, copies of the agreements to be enclosed.	
H	i) Volume of petroleum products actually transported in the petroleum and petroleum products pipeline during the last three years till the appointed day with capacity utilization; ii) Reasons for variations in the actual volumes transported versus the projections in the DFR; iii) Volume of petroleum products proposed to be transported and sold on an annual basis during the rest of the economic life of the project. <u>Note:</u> (a) Volumes to be indicated in MMTPA or TMT. (b) Volume actually transported to be provided TOP wise, customer-wise for each of the tariff zone. (c) Details of arrangements to be made by the entity for securing capacity tie-ups for the petroleum and petroleum products pipeline to be clearly specified. (d) In case of the achievement of firm capacity tie-ups, copies of the agreements to be enclosed.	
I	Have all applicable technical standards, specifications including safety standards, as notified by the Board been considered and complied with while designing, laying, building, expanding or operating the petroleum and petroleum pipeline? Provide details.	Yes/ No
J	Copies of all the necessary statutory clearances, permissions and no objection certificates obtained by the entity from the Central and State Governments and other statutory authorities as applicable to the petroleum and petroleum products pipeline project to be attached.	

K	Attach copy of the Emergency Response and Disaster Management Plan in place.	
L	Is the project entitled to any subsidy or entitled for any exemption or deferment or waiver of any statutory levy including income tax from the State / Central Government? If yes, give complete details indicating the year-wise utilization plan of the entity.	Yes / No
Part-II: Any other submission considered as relevant by the entity		
Note: The Board shall monitor the actual progress made by entity against the targets fixed for the entity on a quarterly basis and take further action in case of any deviation or shortfall, which is to be determined on an annual basis in the manner as indicated in Schedule D.		

DECLARATION

1. Certified that the above information is true to the best of my / our knowledge and belief and the information and data given in the Annexure and statements are correct, complete and truly stated, and if any statement made herein is found to be incorrect, I / We shall be liable for proceeding and for punishment under the provisions of the Act.
2. I/ we also undertake to provide any further information or data as may be required by the Board within the stipulated time.

Date:

Place:

Name and Signature of Authorized Signatory

Official Seal

Schedule I**[see regulation 18 (1)]**

Application for grant of authorization for petroleum and petroleum products pipeline to the entities not authorized by Central Government.

To
The Secretary,
Petroleum & Natural Gas Regulatory Board,
1st Floor, World Trade Centre
Babar Road,
New Delhi – 110 001.

Sub: Application for grant of authorization for petroleum and petroleum products pipeline <Name> from <originating point> to <last off-take/ delivery point>

(Attach separate sheets for providing information wherever necessary)

Part I - General, technical and financial details of the entity and the petroleum and petroleum products pipeline project		
1	Details of the entity	
A	Name of the entity	
B	Type of firm – Public limited company / Private limited company / Partnership firm / Proprietorship firm / Others (please specify) (Attach copy of articles of association / Partnership deed, etc.)	
C	Date of incorporation and date of commencement of business	
D	Address of registered office	
E	Name, addresses, telephone numbers, e-mails of all directors / partners / proprietor (please provide full details with STD Code and pin code)	
2	Information and data to be provided by the entity in support of the eligibility criteria as specified under sub-regulation (2) of regulation 18.	
A	Non-refundable application fee under regulation 5 (6) (a)	Rs. < >
	Demand draft or pay order	
	Demand draft or pay order no. and date	
	Name of issuing bank and branch	
B	Entity is technically capable of laying and building petroleum and petroleum products pipeline	
	Documentary evidence in support of the technical capability of the entity in terms of the qualifying criteria under regulation 5 (6) (b), (i) to (iv) to be attached.	
C	Entity is technically capable of operating and maintaining a petroleum and petroleum products pipeline.	
	Documentary evidence in support of the technical capability of the entity in terms of the qualifying criteria under regulation 5 (6) (c), (i) to (iv) to be attached.	
D	Entity agrees to abide by the relevant regulations for technical	Yes/ No

	standards and specifications, including safety standards.	
E	Entity has adequate financial strength to execute the proposed petroleum and petroleum products pipeline, operate and maintain the same and meets the financial criterion in terms of having a minimum combined net worth as specified under regulation 5 (6) (e). <u>Note:</u> All documents in support of the calculations of the minimum combined net worth duly certified by a Chartered Accountant to be attached.	
F	Has any penalty been imposed on the entity under section 28 or punished under Chapter IX of the Act? In case the answer is yes, please submit full details.	Yes/ No
G	Copies of all the necessary statutory clearances, permissions and no objection certificates obtained by the entity from the Central and State Governments and other statutory authorities as applicable for the proposed petroleum and petroleum products pipeline project to be attached.	
H	In case entity is not registered as a company under the Companies Act, 1956, the entity undertakes to become a company registered under the Companies Act, 1956 on grant of authorization. Full details of the promoters of the entity to be provided. <u>Note:</u> In case the entity seeks an exemption from registering under the Companies Act, 1956, detailed justifications shall be submitted to the Board.	Yes/ No
I	Technical specifications of the petroleum and petroleum products pipeline	
	Details of route, section-wise length of the petroleum and petroleum products pipeline depicting the following in a physical map to be provided: (i) the entry and exit points for petroleum products; (ii) intermediate tap-off points; (iii) branch lines; (iv) pumping stations; (v) points of inter-connection with other petroleum and petroleum products pipelines. <u>Note:</u> (a) Full technical details regarding the petroleum and petroleum products pipeline capacity, design, pressure rating, diameter, thickness, class, etc., route details, pipeline corrosion protection arrangements, main block valves, isolation valves, emergency shutdown valves, metering arrangements, intermediate and delivery stations, technical standards and specifications including safety standards being complied with, etc. to be provided separately.	

J	Details of the physical and financial progress in laying, building, operating or expanding of petroleum and petroleum products pipeline as on the appointed day:	
	i) Copy of the DFR of the project to be attached. <u>Note:</u> The entity shall also enclose the documentary proof of the formal approval of the investments as per the DFR of the project by its management.	
	ii) Has the DFR of the proposed petroleum, petroleum products pipeline project for which authorization is being sought been appraised by any financial institution?	Yes/ No
	iii) Details of the development plan envisaged for the project to be provided with respect to the design and installed capacity of the petroleum and petroleum products pipeline along with details of phased-out plans for capital expenditure on augmentation of the installed capacity, if any.	
	iv) Has the entity secured the right of way for laying, building, operating or expanding the proposed petroleum and petroleum products pipeline? <u>Note:</u> (a) If the answer is no, please state reasons. (b) If yes, documentary proof to be submitted.	Yes/ No
	v) Complete details of the arrangements made by the entity for sourcing of petroleum products for petroleum and petroleum products pipeline to be provided. In case any firm tie-up has been achieved, copy of the agreement to be enclosed.	
	vi) Extent of physical progress in laying, building, operating or expanding of the petroleum and petroleum products pipeline project achieved by the entity till the day immediately before the appointed day as against the time schedules and targets specified in the DFR. <u>Note:</u> (a) The onus of proving the physical progress actually made by the entity lies with the entity and the entity shall submit all necessary documentary proofs in support. (b) The comparison of actual progress with the levels as specified in the time schedules and targets in the DFR of the project is with the purpose to avoid any time over-run or cost over-run, which may adversely affect the petroleum and petroleum products pipeline tariff. (c) Please provide specific reasons for shortfalls, if any.	<in percentage terms>
	vii) Extent of financial commitment actually made by the entity in the petroleum and petroleum products pipeline project till the day immediately before the appointed day as against the estimated capital expenditure identified in the feasibility	<in percentage terms>

	report. <u>Note:</u> (a) Year-wise gross and net blocks of the physical infrastructure created to be separately provided asset-head wise. (b) Details of capital work-in-progress and the stage of completion to be indicated. (c) The onus of proving the financial commitment actually made by the entity lies with the entity and the entity shall submit all necessary documentary proofs in support.	
	viii) Volume of petroleum products transported in the petroleum and petroleum products pipeline during the last three years till the appointed day and the reasons for variations in actual volumes transported versus the projections made in this regard in the DFR. <u>Note:</u> (a) Data on volume should be separately provided TOP wise, zone-wise and customer-wise. (b) Volume of petroleum products proposed to be transported and delivered zone-wise and customer-wise on an annual basis during the rest of the economic life of the project to be separately indicated. (c) Entity to disclose the arrangements for securing capacity tie-ups and enclose the copy of the agreement for firm capacity tie-up achieved, if any. (d) Volume to be indicated in MMTPA or TMT.	<in percentage terms>
	ix) Entity to enclose the copies of the internal procedures and guidelines as approved by its management prescribing the basis of compliance by the entity to any technical standards, specifications, including safety standards and the quality of service to customers, if any.	
3	Financial details of the entity	
A	Share capital or proprietor's own funds	
B	Loans – amount, tenure, moratorium period, rate of interest, taken from and asset mortgaged or hypothecated for securing the same, if any.	
C	Reserves, if any	
D	Fixed Assets (head-wise asset details)	
E	Current Assets	
F	Current Liabilities	
G	Sales Turnover	
H	Profit after Tax	
	(Attach copies of audited Profit and Loss Account and Balance Sheet for last three financial years) - In case applicant is a subsidiary company, copies of audited Profit & Loss Account & Balance Sheet for last three financial years of the parent company to be attached.	
4	Business activities of the entity	
A	Original cost and WDV of assets along with year of	

	commissioning, detailed break-up of the operating costs, unit petroleum and petroleum products pipeline tariff charged during the last three years, etc.	
B	Details of technical or operational tie-up or collaboration with any other entity in respect of the petroleum and petroleum products pipeline project (enclose copies of such agreements, MOU or HOA)	
C	Details of other business, if any, being carried out by the promoters for the last three years	
5	Ownership and affiliate details	
A	Details of promoters	
B	Details of all affiliates of the entity mentioning the business relationship between the entity and the affiliates ("Affiliate" means as defined in the relevant regulations for affiliate code of conduct)	
C	The applicant undertakes to produce all relevant records and documents of itself and its related entities to the Board.	Yes / No
D	The applicant undertakes to abide by the relevant regulations for affiliate code of conduct.	Yes / No
6	Other details	
A	Copy of Emergency Response and Disaster Management Plan to be attached	
B	Is the project entitled to any subsidy, tax waiver or exemption or deferment of any levy including income tax from the State / Central Government? If yes, give details.	Yes / No
Part-II: Any other submission considered as relevant by the entity with regards to its application for grant of authorization for petroleum, petroleum products pipeline by the Board.		

DECLARATION

1. Certified that the above information is true to the best of my / our knowledge and belief and the information and data given in the Annexure and statements are correct, complete and truly stated, and if any statement made herein is found to be incorrect, I / We shall be liable for proceeding and for punishment under the provisions of the Act.
2. I / we also undertake to provide any further information or data as may be required by the Board within the stipulated time.

Date:

Place:

Name and Signature of Authorized Signatory

Official Seal

3461 GI/16-14B

Schedule J

[see clause 11 (c) of the form of grant of authorization in Schedule D]

Service Obligations of entity

1. General.

- (a) The entity shall obtain all statutory permits, clearances and approvals from the concerned approving authorities and shall at all times ensure the validity of said permits, clearances and approvals.
- (b) During the continuance of the authorization, the entity shall transport petroleum products along the authorized pipeline route in accordance with the terms of this authorization, charge the approved petroleum and petroleum products pipeline tariff and abide by the extant rules and regulations, including such revisions as the case may be.
- (c) The entity shall provide extra capacity in the petroleum and petroleum products pipeline as specified under clause (j) of sub-regulation (5) of regulation 6, which shall be available for use on common carrier basis by third party on open access and non-discriminatory basis.
- (d) The entity shall put in place an appropriate system and procedures for :
 - (i) protection of its property;
 - (ii) prevention of loss and waste in the operation of the petroleum and petroleum products pipeline;
 - (iii) safe operation of petroleum and petroleum products pipeline following the technical standards and specifications including safety standards as notified by the Board;
 - (iv) redressal of consumer grievances;

A documented copy of the said systems & procedures shall be provided by the authorized entity to the Board. Modifications, if any, suggested by the Board shall be carried out by the entity.

- (e) The authorized entity shall specify its own obligations as well those of the other entities in the contracts for sourcing and transport of petroleum products as may be specified in the relevant regulations for access code.
- (f) In case the authorized entity laying, building, operating or expanding petroleum and petroleum products pipeline is also engaged in the activity of marketing of petroleum and petroleum products, it shall:

- (i) state the approved pipeline tariff to be paid under the contract for the transport of petroleum products expressed in Rs/MT or in Rs./MT/KM and other relevant terms proposed in the contract;
 - (ii) not exert undue pressure on the customer;
 - (iii) not make any offer or provide any promotional material to the customer that is inconsistent with the contract being offered to or entered into with the customer;
 - (iv) not make any representation or statement or give any answer or take any measure that is false or is likely to mislead a customer; and
 - (v) shall adhere to the provisions under the relevant regulations for affiliate code of conduct.
- (g) The entity shall provide connectivity to the consumer, if technically feasible, within a tariff zone in petroleum and petroleum products pipeline on receipt of a specific request, the consumer undertaking to pay the applicable petroleum and petroleum products pipeline tariff, subject to availability of capacity and the technical and economic viability of the proposed connectivity.
- (h) The entity shall insure all the assets used in the activity of transport of petroleum products including on the line-fill volumes and the insurance policy in this regard shall also cover third party liabilities.

2. Construction, Operation & Maintenance.

- (a) The entity shall not undertake any excavation or related work, which shall disturb or interfere with the surface of the traveled portion of any road / highway, water body, canal, river, railway crossing, forest, etc. unless a permit for the same has been first obtained from the appropriate authorities and the Government and all works subsequently undertaken by the entity shall be carried out in line with the terms of approval and to the satisfaction of the approving authority and the Government.
- (b) The entity shall not deviate from the permission granted in clause 2 (a) above without the prior approval of the approving authority and the Government.
- (c) The entity shall, during the construction, maintenance and operation of the petroleum and petroleum products pipeline system, use all reasonable precaution to avoid damage or injury to any person or property. The entity shall further be liable for any loss, injury or damage attributed to the negligence of the entity or its agents and shall indemnify the affected parties.
- (d) The entity shall establish a centralized control room for monitoring and control of the petroleum and petroleum products pipeline system, including the disaster management system.

- (e) The entity shall furnish on regular basis to the Board, the map including detailed "as built" drawings, accurately depicting the size, depth & location of pipelines, related equipment, location of marker posts indicating the route, pipeline gradient, etc. of the petroleum and petroleum products pipeline and regularly update the same for any change, addition or deletion.
- (f) The entity shall ensure compliance of all necessary quality checks and inspection certification before providing connectivity to any customer.
- (g) The entity shall properly purge, isolate, blind or dismantle any pipeline segment, equipment etc, which is not in use for long time or has been abandoned, to ensure complete safety and necessary modifications shall be carried out in the maps & drawings.
- (h) The entity shall have proper systems and procedures including designated facilities for undertaking inspection, testing, calibration and repair of safety equipments, etc.
- (i) Put in position the disaster management plan including mutual aid system and offsite or onsite emergency plan.
- (j) Any other service obligation, which the Board may specify from time to time.

3. Services and information to be maintained by the entity.

- (a) The entity shall have a current mailing address and telephone number of all locations where the petroleum and petroleum products pipeline is being set-up and operated.
- (b) The entity shall maintain a database and provide to the Board on request:
 - (i) details of the customers and shippers of petroleum products;
 - (ii) the copies of contracts with the customer and shippers of petroleum products; and
 - (iii) details of renewal or extension of contracts at clause (a) and (b).

4. Confidentiality of Consumer Information.

- (a) The entity shall not disclose customer information to any person other than the Board, without the consent of the customer in writing, except when the information has been sufficiently aggregated such that an individual consumer's information cannot be separately identified, or where the consumer information is required to be disclosed:
 - (i) for billing or market operation purposes;
 - (ii) for law enforcement purposes;

- (iii) when past due accounts of the consumer have been passed to a debt collection agency.
- (b) The entity shall inform customers regarding the conditions described in paragraph 4 (a) under which customer information may be released to a third party without the consumer's consent.
- (c) The entity shall not use consumer information obtained for a purpose other than for which it was obtained.

5. Complaints:

- (a) The entity shall provide the address and telephone number of its customer service centre for lodging of any complaint and widely advertise the same from time to time.
- (b) The entity shall make all reasonable efforts in resolving the complaints received in a time bound manner.
- (c) The entity shall maintain and periodically provide to the Board, the details of:
 - (i) complaint received by the entity or referred to by the Board;
 - (ii) method and time of disposal of complaint;
 - (iii) complaint pending for redressal; and
 - (iv) comments on the quality of service provided by the entity and suggestions, if any.

[F. No. S-Admn/II/8/2010]

RATAN P. WATAL, Secy.